

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 2011

तारांकित प्रश्नोत्तर

छत्तीसगढ़ में कुपोषित बच्चों की संख्या तथा प्रदत्त खाद्यान्न सामग्री

1. (*क्र. 823) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में वर्ष 2009 एवं 2010 में कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की संख्या कितनी-कितनी है ? (ख) जांजगीर-चांपा एवं महासमुन्द जिले में कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को कितनी-कितनी खाद्यान्न सामग्री दी जाती है ? इसके अलावा और क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ? (ग) प्रश्नांक "ख" के अंतर्गत इन बच्चों को खाद्यान्न सामग्री किस एजेन्सी/संस्था के माध्यम से प्रदान की जाती है ? (घ) क्या खाद्यान्न सामग्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है ? यदि हां, तो जांजगीर-चांपा जिले में कितने आंगनबाड़ी संचालित हैं ? नाम सहित जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) छत्तीसगढ़ में संचालित परियोजना क्षेत्र में वर्ष 2009 में 10,15,376 कुपोषित तथा 14,155 अति कुपोषित बच्चे एवं वर्ष 2010 में 8,17,711 कुपोषित तथा 38,361 अति कुपोषित बच्चे हैं। (ख) जांजगीर-चांपा एवं महासमुन्द जिले में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को दी जाने वाली खाद्यान्न सामग्री का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ में है। खाद्यान्न के अतिरिक्त बच्चों को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, अनौपचारिक शिक्षा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत स्वास्थ्य जांच एवं औषधि तथा पोषण पुनर्वास केन्द्र की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। (ग) प्रश्नांक "ख" के अंतर्गत हितग्राही बच्चों को महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री प्रदान की जाती है। (घ) जी हां, खाद्यान्न सामग्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है। जांजगीर-चांपा जिले में 1622 आंगनबाड़ी संचालित हैं। नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब में है।

जिला बिलासपुर के रतनपुर में मृत्यु उपरान्त पोस्टमार्टम में लापरवाही की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

2. (*क्र. 1277) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के रतनपुर में दिनांक 01 फरवरी, 2011 को किन-किन मृतकों का पोस्टमार्टम किन-किन के द्वारा किया गया ? (ख) क्या पोस्टमार्टम में लापरवाही करने की शिकायत मृतक के परिजनों के द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो इस प्रकरण में कौन-कौन दोषी हैं एवं 04 फरवरी 2011 तक किस-किस के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? नाम पद सहित कार्यवाही का विवरण दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) दिनांक 01 फरवरी, 2011 को केवल स्व. श्री श्यामबहादुर सिंह पिता श्री इन्द्राज सिंह निवासी रतनपुर जिला बिलासपुर का पोस्टमार्टम डॉ. अनिल श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी एवं रतनपुर नगर पंचायत के स्वीपर सुधीर खाण्डे के द्वारा किया गया। (ख) जी हां, दोष निर्धारण करने हेतु जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

सुपेला स्थित औषधालय का उन्नयन एवं पद संरचना

3. (*क्र. 1174) **श्री भजन सिंह निरंकारी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल का 100 बिस्तर अस्पताल के रूप में उन्नयन कब किया गया ? उन्नयन के पूर्व अस्पताल की पद संरचना बतावें तथा उन्नयन के बाद अस्पताल की पद संरचना बतावें ? (ख) स्वीकृत पद संरचना के विरुद्ध वर्तमान में कितने पद भरे हुये हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल का 100 बिस्तर अस्पताल के रूप में उन्नयन नहीं किया गया है। उन्नयन के पूर्व अस्पताल की पद संरचना † संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) 46 पद भरे हुए हैं। 11 पद रिक्त हैं। निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के देवरी (बंगला) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों की पूर्ति

4. (*क्र. 1123) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी (बंगला) में चिकित्सक के कितने पद स्वीकृत हैं ? (ख) स्वीकृत पद के विरुद्ध वर्तमान में कितने चिकित्सक पदस्थ हैं व कितने पद रिक्त हैं ? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 06 स्वीकृत है। (ख) 01 चिकित्सक कार्यरत व 05 पद रिक्त है। (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

प्रदेश में स्कूली छात्र-छात्राओं के लापता होने की दर्ज शिकायतें

5. (*क्र. 1111) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह जून 2009 से 31-01-11 तक प्रदेश में कुल कितनी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राओं के लापता की सूचना पुलिस थानों में दर्ज कराई गई ? जिलेवार दर्ज सूचना की जानकारी दें। (ख) लापता छात्र-छात्राओं की घटना में कितनों की पतासाजी करने में पुलिस सफल रही ? कितनों की मौत या हत्या की वारदात हुई है ? (ग) प्रश्नांक “क” व “ख” के प्रकरणों में कितने अपराधियों की धरपकड़ हुई है ? कितने पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं ? प्रकरणवार जानकारी दें।

गृह मंत्री (श्री ननकौराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में कुल 1496 स्कूली छात्र-छात्राओं की लापता होने की सूचना पुलिस थानों में दर्ज हुई है। जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दी गई है। (ख) 1213 लापता छात्र-छात्राओं के पतासाजी करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। शेष लापता छात्र-छात्राओं में से 17 की मौत एवं 12 की हत्या हुई है। (ग) 77 प्रकरणों में 119 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 26 प्रकरणों के अपराधी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। प्रकरणवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दी गई है।

सरगुजा जिले के श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन का मुआवजा

6. (*क्र. 879) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले के श्याम घुनघुट्टा परियोजना के बांध डूबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण के लिए कुल कितने किसानों की कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहित की गई ? (ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए कुल कितने किसानों को वर्ष 2010 की स्थिति में जमीन का मुआवजा दिया गया और कितने किसानों को मुआवजा दिया जाना शेष है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) सरगुजा जिले के घुनघुट्टा (श्याम) परियोजना के बांध डूबान क्षेत्र में 1644 कृषकों की रकबा 947.980 हे. एवं नहर निर्माण के लिए कुल 2842 कृषकों की रकबा 314.612 हे. भूमि अधिग्रहित की गई है। (ख) वर्ष 2010 की स्थिति में 1194 किसानों को जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है तथा 182 किसानों को मुआवजा दिया जाना शेष है।

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित जिला चिकित्सालय में पदों की पूर्ति

7. (*क्र. 200) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में संचालित जिला चिकित्सालय में कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ? पृथक-पृथक बतायें ? (ख) जिला चिकित्सालय जांजगीर में स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं ? पृथक-पृथक बतायें ? (ग) जिला चिकित्सालय जांजगीर में स्वीकृत पदों के अनुरूप अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 29 अधिकारी एवं 67 कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं. † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम “3” अनुसार. (ख) 17 अधिकारी एवं 59 कर्मचारी कार्यरत हैं. † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम “4” अनुसार. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

बस्तर संभाग में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र में कुपोषित बच्चों की संख्या

8. (*क्र. 470) **श्री संतोष बाफना** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? जिलेवार बतायें ? इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के कितने बच्चे दर्ज हैं, जिलेवार बतावें ? (ख) प्रश्नांक “क” में उल्लेखित बच्चों में 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है, जिलेवार बतावें ? (ग) कुपोषण दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) बस्तर संभाग में कुल 7002 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के 172288 बच्चे तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के 157017 बच्चे दर्ज हैं. जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ख) प्रश्नांक “क” में उल्लेखित बच्चों में से 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के 5059 बच्चे तथा 03 वर्ष से 05 वर्ष के आयु वर्ग के 2669 बच्चे गंभीर कुपोषित हैं. जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है. (ग) कुपोषण दूर करने के लिए कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल विकास सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है. इन बच्चों को आवश्यक होने पर संदर्भ सेवा/मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के माध्यम से अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं. नियमित वृद्धि अनुश्रवण, सुपोषण मेला, बाल संदर्भ मेला/कैम्प, फॉलोअप कैम्प एवं परामर्श सेवाओं आदि के माध्यम से लाभान्वित किया जाकर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु कार्य किया जा रहा है. गंभीर कुपोषित बच्चों को समुदाय के प्रबुद्धजनों, स्व सहायता समूहों, जन प्रतिनिधियों आदि द्वारा गोद लिया जाकर इन बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है.

भाटापारा अनुभाग के अन्तर्गत विभिन्न थानों में दर्ज प्रकरणों पर की गई कार्यवाही

9. (*क्र. 218) **श्री चैतराम साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग अन्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2010-11 में दिनांक 31-1-2011 तक थानों में कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? (ख) दर्ज प्रकरणों में से कितने में कोर्ट में चालान पेश किये गये और कितने में चालान पेश नहीं हो सका ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग अन्तर्गत थानों में प्रश्नाधीन अवधि में 4083 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. (ख) उपरोक्त दर्ज प्रकरणों में से 2987 प्रकरणों में चालान पेश किये गये हैं. 1096 प्रकरणों में अभी चालान पेश नहीं किये गये हैं.

प्रदेश में वर्ष 2010-2011 में मलेरिया से हुई मौतों की जानकारी

10. (*क्र. 13) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 2010-2011 में मलेरिया से कितने लोगों की मौत हो चुकी है ? जिलेवार ब्यौरा दें. (ख) मलेरिया रोकने हेतु प्रदेश स्तर पर क्या तैयारी की है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रदेश में 2010-11 (1 अप्रैल 2010 से 31 जनवरी तक) में मलेरिया से 47 लोगों की मौत हो चुकी है. ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था तथा रिक्त पदों की पूर्ति

11. (*क्र. 604) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र 100 बिस्तर, 30 बिस्तर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं ? (ख) कितने प्राथमिक स्वास्थ्य एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं ? इन केन्द्रों के लिए भवन का निर्माण कब तक कर दिया जावेगा ? (ग) इन केन्द्रों में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? कितने पद रिक्त हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-07, उप स्वास्थ्य केन्द्र-42, सौ बिस्तर अस्पताल-01, 30 बिस्तर अस्पताल-निरंक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-01 स्वीकृत है. (ख) 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 16 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनविहीन हैं. निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है. (ग) 10 अधिकारी एवं 92 कर्मचारी कार्यरत हैं. 126 पद रिक्त हैं.

राजनांदगांव जिले में धान का उपार्जन एवं संग्रहण

12. (*क्र. 1323) **श्री भोलाराम साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ वर्ष 2010-11 में दिनांक 04-02-2011 की स्थिति में राजनांदगांव जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से धान का क्रय किया गया है तथा कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से संग्रहण केन्द्रों में संग्रहण हेतु भेजा गया है ? (ख) संग्रहण केन्द्रों तक धान के परिवहन के लिये कौन-कौन से माडल एवं नम्बर के कितने वाहन लगाये गये थे ? प्रत्येक वाहन पर परिवहन हेतु कितनी राशि व्यय की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं परिशिष्ट “ब” में है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” में है.

प्रदेश के गरीब परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हेल्थ कार्ड का प्रदाय

13. (*क्र. 1080) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिलेवार कितने बी.पी.एल. (गरीबी रेखा अंतर्गत) परिवार हैं ? (ख) जिलेवार कितने परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हेल्थ कार्ड प्रदाय किये गये ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

धमतरी विकासखण्ड में धान खरीदी के दौरान नापतौल में की गई अनियमितताओं की जांच

14. (*क्र. 1185) **श्री गुरुमुख सिंह होरा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विकासखण्ड धमतरी के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में धान खरीदी केन्द्रों के तौल में की जा रही अनियमितता के संबंध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जिलाधीश एवं जिला विपणन अधिकारी को शिकायत की गई थी ? यदि हां तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : जी हां. शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर, धमतरी द्वारा जांच दल गठित किया गया. जांच दल के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, भोथली के धान उपार्जन केन्द्र कण्डेल के प्रभारी श्री मुरलीराम साहू, सहायक प्रबंधक को दोषी पाया गया. फलस्वरूप उनकी एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गयी है.

कसडोल विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पदों पर पटवारियों की पदस्थापना

15. (*क्र. 393) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत किन-किन हल्कों में कौन-कौन आर. आई. एवं पटवारी कब-कब से पदस्थ हैं ? हल्के के नाम सहित जानकारी देवें. (ख) किन-किन पटवारी हल्कों में पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पटवारी हल्कों में अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था की गई है ? यदि की गई है तो किस-किस रिक्त पटवारी हल्का में कब से कौन-कौन पदस्थ हैं ? हल्कों के नाम सहित विस्तृत जानकारी देवें. (ग) अतिरिक्त प्रभार वाले एवं रिक्त पदों पर पदस्थापना नहीं होने का क्या कारण है ? रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक कर ली जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” में †† संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” में †† संलग्न है. (ग) भरने की प्रक्रिया प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों तथा नर्सों की पदस्थापना

16. (*क्र. 781) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? (ख) कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक तथा नर्सों की पदस्थापना है ? कितने-कितने रिक्त हैं ? (ग) रिक्त जगहों में चिकित्सक तथा नर्सों की पदस्थापना कब तक की जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 07 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र. (ख) 06 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक की पदस्थापना है. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्स का पद सृजित नहीं है. अतः पदस्थापना का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. चिकित्सकों के 05 पद रिक्त हैं. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

जिला चिकित्सालय महासमुन्द में उपचार हेतु क्रय मशीनों का उपयोग

17. (*क्र. 1221) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अस्पताल महासमुन्द के लिए वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक कौन-कौन सी मशीनें क्रय कर जिला अस्पताल को प्रदाय की गई है. इन मशीनों की लागत क्या है ? अलग-अलग बतायें ? क्या सभी मशीनें चालू हैं ? यदि हां, तो इनका क्या उपयोग किया जा रहा है ? (ख) क्या यह सही है कि जिला अस्पताल महासमुन्द को प्रदाय की गई मशीनें ऑपरेटर के अभाव में बंद हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 31 जनवरी 2011 तक कोई भी मशीनें क्रय कर जिला चिकित्सालय महासमुन्द को प्रदाय नहीं की गई है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रेडी टू ईट फूड में निर्मित पौष्टिक आहार के गुणवत्ता की जांच

18. (*क्र. 1233) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) "रेडी टू ईट फूड" के तहत प्रदेश में कितनी जगहों पर पौष्टिक खाद्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेडी टू ईट फूड तैयार किया जा रहा है ? इनके द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कितने मूल्य का आहार उपलब्ध करवाया गया ? (ख) कंडिका "क" के पौष्टिक आहार की कालातीत अवधि कितने माह के बाद होती है ? (ग) कंडिका "क" के पौष्टिक आहार की गुणवत्ता की जांच कौन करता है और गुणवत्ता के मापदंड क्या है, गुणवत्ता जांच में कंडिका "क" के वर्षों में कितना व्यय किया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) प्रदेश में 1220 जगहों पर रेडी टू ईट फूड तैयार किया जा रहा है. इनके द्वारा वर्ष 2009-10 में रु. 42,60,65,871 तथा वर्ष 2010-11 में माह दिसंबर 2010 तक रु. 1,34,67,64,984 का रेडी-टू-ईट फूड उपलब्ध करवाया गया है. (ख) कंडिका "क" के पौष्टिक आहार की कालातीत अवधि निर्माण तिथि से तीन माह के बाद होती है. (ग) कंडिका "क" के पौष्टिक आहार के गुणवत्ता की जांच भारत सरकार के खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की प्रयोगशाला में करवाई जाती है. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के पुनरीक्षित पोषण आहार नियमों के अनुसार पोषण आहार खाद्य सामग्री अपमिश्रण अधिनियम एवं एकीकृत खाद्य अधिनियम के तहत निर्धारित गुणवत्ता और पोषक तत्व तथा 50 प्रतिशत आर.डी.ए. के सूक्ष्म पोषक तत्व का पालन किया जाना चाहिए. तदनुसार शासन द्वारा प्रति 100 ग्राम रेडी-टू-ईट फूड में 13.58 ग्राम प्रोटीन एवं 403.51 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्धारण किया गया. गुणवत्ता जांच में वर्ष 2009-10 में रु. 51,525/- और वर्ष 2010-11 में रु. 3,74,727/- व्यय किया गया.

भरतपुर-सोनहत एवं मनेन्द्रगढ़ विकासखण्ड में वंचित परिवारों का स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत स्मार्ट कार्ड का प्रदाय

19. (*क्र. 977) **श्री फूलचंद सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भरतपुर-सोनहत एवं मनेन्द्रगढ़ विकासखण्डों में कितने-कितने बी.पी.एल. परिवारों को स्मार्ट कार्ड वितरित किए गये हैं ? (ख) कितने परिवार स्मार्ट कार्ड पाने से वंचित है ? (ग) वंचित परिवारों को स्मार्ट कार्ड कब तक प्राप्त हो जायेंगे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) भरतपुर में 5716, सोनहत में 3857 एवं मनेन्द्रगढ़ में 879 स्मार्ट कार्ड वितरित किए गये हैं. (ख) भरतपुर में 4602, सोनहत में 460 एवं मनेन्द्रगढ़ में 12735 परिवार स्मार्ट कार्ड बनाया जाना शेष. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं है.

जिला सरगुजा में अपराधों के दर्ज प्रकरण तथा गिरफ्तार अपराधी

20. (*क्र. 838) **श्री अमरजीत भगत** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले में वर्ष 2009-10 में कुल कितने अपराध दर्ज किए गये ? (ख) कितने अपराधी गिरफ्तार नहीं किए जा सके ? (ग) अपराध रोकने कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में सरगुजा जिले अंतर्गत कुल 11,981 अपराध दर्ज किये गये हैं. (ख) 14 अपराधी गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं. (ग) जिले में अपराध रोकने के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है. इसके साथ ही रात्रि गश्त एवं होटल, लॉज, ढाबा, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, सराय आदि की चेकिंग की जा रही है. विशेष अभियान चला कर निगरानी बदमाशों की चेकिंग कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. प्रत्येक माह में क्राइम मिटिंग में जिले के समस्त थाना/चौकी के प्रभारियों को अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त निर्देश दिये गये हैं.

जिला महासमुंद में आपदा प्रबन्धन के तहत स्वीकृत कार्य

21. (*क्र. 1288) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09, 2009-2010 एवं 2010-2011 में 31 जनवरी, 2011 तक आपदा प्रबन्धन हेतु केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें. (ख) बाढ़ आपदा प्रबन्धन हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं व्यय की गई ? (ग) महासमुंद जिले में बाढ़ आपदा के कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? विधान सभावार जानकारी प्रदान करें.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में 31 जनवरी, 2011 तक आपदा प्रबंधन हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (ग) महासमुंद जिले में बाढ़ आपदा मद में वर्ष 2008-09 एवं 2010-11 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं. वर्ष 2009-10 में विधान सभावार स्वीकृत कार्यों का विवरण † संलग्न प्रपत्र "स" पर है.

अहिवारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

22. (*क्र. 167) **श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या कितनी है ? विकासखण्डवार नाम बतावें ? (ख) आयुर्वेद चिकित्सालयों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने पद भरे हुए हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? (ग) रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) आयुर्वेद चिकित्सालय कोई नहीं, औषधालयों की संख्या 03 है. औषधालयों की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखण्ड	औषधालय का नाम
1.	दुर्ग	शास. आयु. औष. सिरसाखुर्द
2.	धमधा	शास. आयु. औष. गोढ़ी
3.	पाटन	शास. आयु. औष. भिलाई 3

(ख) प्रश्नांश "क" के औषधालयों में कुल 13 पद स्वीकृत हैं 9 भरे हैं एवं 4 पद रिक्त हैं. (ग) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

प्रदेश में अपहरण के दर्ज प्रकरण

23. (*क्र. 652) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 एवं 2011 में 15 जनवरी, 2011 तक प्रदेश में कुल कितने अपहरण के प्रकरण दर्ज हुये ? जिलेवार बतायें ? (ख) इनमें से कितने अपहृतों की हत्या कर दी गयी ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में कुल 394 अपहरण के प्रकरण पंजीबद्ध हुये. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) कुल 22 अपहृतों की हत्या हुई है.

जिला जशपुर में गुमशुदगी के दर्ज प्रकरण

24. (*क्र. 961) **श्री रामपुकार सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नौकरी का प्रलोभन देकर युवक-युवतियों को बाहर ले जाने तथा गुम शुदा लोगों के सम्बन्ध में जिला जशपुर में 2008-09 एवं 2009-10 तथा 2010-11 दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक थानावार कुल कितने प्रकरण किसके-किसके विरुद्ध, किन-किन धाराओं में कब-कब दर्ज किये गए ? (ख) क्या उक्त प्रकरणों में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला जशपुर में कुल 29 प्रकरण दर्ज किये गए हैं. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) जी, हां.

जिला कबीरधाम में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत विवाह

25. (*क्र. 956) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कबीरधाम भोरमदेव परिसर में माह मार्च 2010 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत आयोजित कन्या विवाह कार्यक्रम में कहां-कहां की, कितनी-कितनी उम्र के किन-किन कन्याओं का विवाह कराया गया तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में कितनी-कितनी राशि दी गई ? (ख) उक्त कन्याओं में से अलग-अलग पूर्व से विवाहित कौन-कौन थी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) प्रश्नांश "क" अनुसार जिला कबीरधाम भोरमदेव परिसर में मार्च 2010 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत 421 कन्याओं का विवाह कराया गया. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. विभाग द्वारा कन्याओं को राशि नहीं दी गई है बल्कि प्रति कन्या 4107.97/- रुपये की सामग्री प्रदान की गई. (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार विवाहित कन्याओं में से पूर्व से कोई विवाहित नहीं थी.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

बंगलादेश से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

1. (क्र. 157) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंगलादेश से आये कितने शरणार्थी पुनर्वास विभाग के स्थायी दायित्व के तहत पी. एम. होम में निवासरत हैं ? (ख) उक्त परिवारों के पुनर्वास की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक पुनर्वास किया जाएगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्तमान में पी. एल. होम माना केम्प में कुल 268 बंगाली शरणार्थी परिवार निवासरत हैं. (ख) माना केम्प में निवासरत 268 बंगाली विस्थापित परिवारों में से बसाहट योग्य 119 परिवारों को लघु व्यवसाय के अंतर्गत पुनर्वास दिये जाने हेतु कुल रुपये 30.00 लाख की स्वीकृति एवं आवंटन कमाण्डेंट माना केम्प रायपुर को उपलब्ध कराया गया है. इसमें गुमटी निर्माण कराया जा रहा है. प्रति गुमटी 25 हजार आवंटित है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में पुलिस चौकी एवं पुलिस थानों में स्वीकृत पद

2. (क्र. 201) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने पुलिस चौकी एवं पुलिस थाना स्थापित हैं ? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) प्रदेश में स्थापित पुलिस चौकी एवं पुलिस थाना में स्वीकृत पद कितने हैं इसके विरुद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी कितने हैं ? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें ? (ग) प्रदेश में स्थापित पुलिस चौकी एवं पुलिस थानों में स्वीकृत पदों के अनुरूप अधिकारी कर्मचारी के नियुक्ति हेतु सरकार की क्या योजना है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश में कुल 364 पुलिस थाना एवं 91 पुलिस चौकी स्थापित हैं. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दी गई है. (ख) प्रदेश में स्थापित पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी में स्वीकृत पद एवं कार्यरत बल की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दी गई है. (ग) सीधी भर्ती के पद भर्ती से भरे जायेंगे एवं पदोन्नति के पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. प्रशिक्षणरत उप निरीक्षकों एवं आरक्षकों के प्रशिक्षण उपरांत रिक्त पदों की पूर्ति पदस्थापना द्वारा की जावेगी.

कुरुद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत मिलावटी खाद्यान्न नकली दवाओं में दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

3. (क्र. 349) **श्री लेखराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2009-10 से दिनांक 31-01-11 तक मिलावटी खाद्यान्न तथा नकली दवाओं के कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? (ख) उक्त कृत्य करने वाले किन-किन संलिस लोगों के विरुद्ध किन-किन नियमों के तहत कार्यवाही की गई ? (ग) कितनी-कितनी मात्राओं में खाद्यान्न एवं नकली दवाएं जब्त की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) मिलावटी खाद्य पदार्थ (चमचम मिठाई) का मात्र 01 प्रकरण दर्ज किया गया है तथा नकली दवाओं के कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किए गए हैं. (ख) प्रकरण विवचेना में लेकर †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार दोषी पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7, 16 एवं 20 के अंतर्गत प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है. (ग) कोई जप्ती नहीं की गयी.

कुरुद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब विक्रय की प्राप्त शिकायतें

4. (क्र. 353) **श्री लेखराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कुरुद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2010 से दिनांक 31-01-2011 तक की स्थिति में अवैध शराब बेचने की कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : कुरुद विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में अवैध शराब बेचने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है.

आरंग विधान सभा क्षेत्र के 30 बिस्तर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं

5. (क्र. 492) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 बिस्तर अस्पताल में मरीजों के ईलाज के लिए कौन-कौन से उपकरण की सुविधा है ? (ख) वर्ष 2010-11 में 30 बिस्तर अस्पताल के उपकरण रख-रखाव के लिए कितनी राशि की स्वीकृत की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 बिस्तर अस्पताल आरंग में मरीजों के ईलाज के लिए मुख्य रूप से ई.सी.जी. मशीन, एक्स-रे 30 एम.ए., मशीन, माइक्रोस्कोप, आपरेशन टेबल, सक्सन एपरेटस, डी.एन.सी. सेट, सेन्ट्री फ्यूजन, आक्सीजन सिलेंडर के साथ ह्यूमीडिफायर, बी.पी. एपरेटस, नब्युलाईजर, वेईंग मशीन, फीटल हार्ट मानीटर, ई.एन.टी. डाईग्नोस्टिक सेट, विजन ड्रम, ट्रायल लेंस सेट विथ ट्रायल फ्रेम की सुविधा है. (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रति वर्ष संधारण अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रदान किया जाता है. इस राशि में से उपकरण रख-रखाव भी किया जा सकता है.

रायपुर जिले में वाणिज्यिक कर वसूली हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा की गई वसूली

6. (क्र. 499) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में वाणिज्यिक कर के रूप में कितनी राशि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था ? लक्ष्य के विरुद्ध कितनी राशि वसूल की गई ? (ख) कितनी फर्म एवं संस्थाओं पर 1.00 लाख रुपये से अधिक की राशि कर के रूप में शेष है ? राशि कब तक वसूल कर ली जायेगी ? फर्म एवं संस्थाओं के नाम सहित बतावें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रश्नागत अवधि में लक्ष्य एवं की गई वसूली की जानकारी निम्नानुसार है :—

(राशि करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य (प्रांतीय, केन्द्रीय, प्रवेशकर)	लक्ष्य के विरुद्ध वसूल की गई राशि
(1)	(2)	(3)
2009-10	2831.95	2625.20
2010-11 (31 जनवरी 2011)	2665.60	2649.21

(ख) 260 फर्म एवं संस्थाओं पर शेष है. वसूली की समय-सीमा बताना संभव नहीं है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है.

दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में सलवा जुडुम शिविरों में खाद्य सामग्री का वितरण

7. (क्र. 520) **श्री सौरभ सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में कौन-कौन से सलवा जुडुम शिविरों में वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में कितने शिविर वासियों को प्रतिमाह कब-कब, किस-किस प्रकार की खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : दंतेवाड़ा जिले में सलवा जुडुम के दौरान कुल 09 राहत शिविर प्रारंभ हुआ था. उक्त राहत शिविरों में राज्य शासन की ओर से निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री यथा-चावल, दाल, नमक, आलू, प्याज, चना, मटर, हल्दी, मिर्च, धनिया, साबून, खाद्य तेल एवं मिट्टी तेल आदि का वितरण किया जाता था.

- वर्ष 2009 में केवल 07 राहत शिविरों में निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया है. वर्ष 2009 में राहत शिविरवार वितरित सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-01 अनुसार है.

2. वर्ष 2010 में 06 शिविरों में निःशुल्क खाद्यान्न के रूप में केवल चावल तथा नमक का वितरण किया गया है. 01 राहत शिविर जगरगुण्डा में ही निःशुल्क खाद्यान्न के रूप में सभी खाद्यान्न यथा-चावल, दाल, नमक, आलू, प्याज, चना, मटर, हल्दी, मिर्च, धनिया, साबून, खाद्य तेल एवं मिट्टी तेल आदि का वितरण किया गया है. वर्ष 2010 में राहत शिविरवार वितरित सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-02 अनुसार है.
3. उपरोक्त वर्ष 2009 एवं 2010 में राहत शिविरों में वितरित खाद्यान्न की शिविरवार, माहवार, तिथिवार एवं खाद्यान्न आयटमवार विस्तृत जानकारी का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-03 अनुसार है.

नारायणपुर जिले में राहत शिविर संचालित नहीं है.

मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले में लाभान्वित हितग्राही

8. (क्र. 522) श्री सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले में किस-किस विकासखंड के किन-किन गांवों में कितने-कितने बच्चों को कब-कब इस योजना से वर्ष 2008-2009 और 2010 में लाभ मिला है ? अभिभावक के नाम सहित जानकारी दें. (ख) इस योजना के तहत कितने प्रकरण कहां-कहां के किन-किन बच्चों के विचाराधीन हैं ? अभिभावक के नाम सहित जानकारी बतायें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) निरंक.

पोड़ी उपरोड़ा एवं पाली के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

9. (क्र. 588) श्री रामदयाल उड़के : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले के अंतर्गत पाली तानाखार के अंतर्गत पोड़ी उपरोड़ा एवं पाली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) निश्चित समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं है.

विधान सभा क्षेत्र कसडोल में आपदा प्रबन्धन के तहत स्वीकृत कार्यों की स्थिति

10. (क्र. 750) श्री राजकमल सिंघानिया : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अन्तर्गत आपदा एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्यों की, कब-कब स्वीकृति हुई ? (ख) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये ? कितने कार्य चालू हैं ? (ग) यदि कार्य अपूर्ण हैं तो क्यों हैं ? कार्य पूर्णता की अवधि क्या-क्या है ? निर्माण एजेंसी कौन-कौन है ? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई.सर्किल लवन अन्तर्गत आपदा प्रबंधन मद से वर्ष 2009-10 में 5 कार्य दिनांक 17-3-10 को तथा वर्ष 2010-11 में 405 कार्य दिनांक 22-6-10 को स्वीकृत की गई है. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) वर्ष 2009-10 के 5 कार्य पूर्ण हो चुके हैं. वर्ष 2010-11 के 374 कार्य पूर्ण हो चुके हैं. शेष 31 कार्य प्रगति पर है. (ग) वर्षात्रतु के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुई है. कार्य पूर्णता की अवधि 31 मार्च 2011 है. कार्य एजेंसी वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल रायपुर है. अपूर्ण सभी कार्य प्रगति पर है. अद्यतन स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

प्रतापपुर वि. स. क्षेत्र अंतर्गत स्थित चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

11. (क्र. 942) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने और कहां-कहां 100 शैयायुक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र हैं ? (ख) उक्त चिकित्सालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों में से कितने भरे हैं ? कितने रिक्त हैं तथा कब से ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 100 शैयायुक्त चिकित्सालय 01, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 02, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 14 एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र 79 हैं. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार. (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार. निश्चित समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं है.

जिला कोरबा के ग्राम रतिजा में कोलवाशरीयों को आवंटित भूमि के निरस्तीकरण संबंधी

12. (क्र. 957) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 2010 में कोरबा जिला के ग्राम रतिजा स्थित कोल वाशरीयों को आवंटित भूमि को राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन कोल वाशरीयों की भूमि को कब-कब निरस्त किया गया ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : ग्राम रतिजा में दो कोलवाशरीयों को उद्योग विभाग द्वारा भूमि आवंटित की गयी है. राजस्व मंडल द्वारा आदेश दिनांक 18-05-2010 मे. मारूति डोलबासरी को दिनांक 25-01-2002 को बंटित 37.91 एकड़ भूमि के संबंध में कलेक्टर कोरबा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-10-2002 को निरस्त किया गया है. कलेक्टर कोरबा ने आदेश दिनांक 09-10-2002 द्वारा कोल वाशरी को बंटित भूमि को नया सर्वे नंबर दिया है तथा भूमि को निस्तार पत्रक में दर्ज करने के निर्देश दिये थे.

जिला कोरिया के पटवारी हल्कों का कम्प्यूटरीकरण

13. (क्र. 979) **श्री फूलचंद सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले में कुल कितने पटवारी हल्के हैं ? कितने पटवारी हल्कों में शत प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण हो गया है ? कितने और कौन-कौन से पटवारी हल्कों का कम्प्यूटरीकरण होना शेष है ? (ख) कितनी तहसीलों के कृषकों को नक्शा, खसरा बी-1 पंचसाला कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदाय कराने की सुविधा है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कोरिया जिले में कुल 96 पटवारी हल्के हैं. सभी 96 पटवारी हल्कों में बी-1 और खसरा का कम्प्यूटरीकरण किया गया है. नक्शे का अद्यतीकरण किया जा रहा है. (ख) जिला कोरिया में सभी 5 तहसीलों में कृषकों को खसरा पंचसाला एवं बी-1 कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदाय की सुविधा है.

मिलावटी खाद्य पदार्थ/मिट्टी तेल की कालाबाजारी के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

14. (क्र. 1027) **श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में मिलावटी खाद्य पदार्थ/मिट्टी तेल के कालाबाजारी के कितने प्रकरण दर्ज किए गए और किन-किन के विरुद्ध ? (ख) उक्त प्रकरणों में कितनी-कितनी मात्रा में मिलावटी खाद्य मिट्टी तेल जप्त किया गया है ? (ग) कंडिका "क" के प्रकरणों में अधिनियम के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या इन प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2009-10 में मिलावटी/मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के 98 प्रकरण एवं वर्ष 2010-11 में दिनांक 31-01-2011 की स्थिति में 58 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" एवं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है. मिट्टी तेल की कालाबाजारी के वर्ष 2009-10 में 138 प्रकरण तथा वर्ष 2010-11 में 98 प्रकरण दर्ज किये गये. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है. (ख) वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में खाद्य पदार्थ प्रोटीन पावडर 831 किलोग्राम, गाय का दूध 13.5 लीटर, खोवा 5.750 किलोग्राम, मिल्ककेक 73.250 किलोग्राम, कोकोनट ऑइल के. ई. सी. ब्राण्ड 90 लीटर एवं स्वास्तिक पारस कोकोनट ऑइल 401 लीटर जप्त किया गया है. वर्ष 2009-10 में 85,095 लीटर मिट्टी तेल तथा वर्ष 2010-11 में 33,661 लीटर मिट्टी तेल जप्त किया गया. (ग) खाद्य निरीक्षकों के द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने संकलित कर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़, रायपुर

भेजे जाते हैं। जांच में मिलावटी/मिथ्याछाप पाये गये नमूनों के प्रकरणों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 दण्डनीय धारा 16 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाती है। न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं परिशिष्ट “ब” के कॉलम-9 अनुसार है। खाद्य निरीक्षकों द्वारा प्रकरणों में परिवाद सक्षम न्यायालय में पेश किये जाने के कारण एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी गई है। मिट्टी तेल के प्रश्नांश “क” के 75 प्रकरणों में 41,000 लीटर मिट्टी तेल राजसात किया गया तथा रु. 6,42,250/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया, शेष प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है। मिट्टी तेल के वर्ष 2009-10 में 6 प्रकरणों में तथा वर्ष 2010-11 में 21 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है।

विधान सभा क्षेत्र मस्तूरी अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों को वितरित हेल्थ कार्ड

15. (क्र. 1081) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मस्तूरी अंतर्गत कितने बी.पी.एल. परिवारों को राष्ट्रीय बीमा योजना अंतर्गत कितने हेल्थ कार्ड बने एवं वितरित हुये ? (ख) बीमा कार्ड की वैधता कब से कब तक है ? यदि अवधि (कार्ड) समाप्त हो गई तो कब से पुनः नवीनीकृत किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 18,263 स्मार्ट कार्ड बने एवं वितरित हुये। (ख) स्मार्ट कार्ड की वैधता 01 अगस्त 2010 से 31 जुलाई 2011 तक है। अवधि समाप्त होने के पश्चात् पुनः नया कार्ड बनाकर क्रियाशील किया जाता है।

प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण संबंधी

16. (क्र. 1112) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु शासकीय प्रशिक्षित संस्थानों के अतिरिक्त किन-किन निजी संस्थाओं को प्रशिक्षण का दायित्व एवं अधिकार प्रदाय किया गया है ? प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थानवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश “क” तहत संस्थाओं को किन मापदण्डों एवं शर्तों के तहत कितनी-कितनी अवधि के लिये प्रशिक्षण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है ? (ग) क्या इन संस्थाओं के पास हास्टल, लैब एवं पर्याप्त शिक्षक हैं ? (घ) प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय बहुउद्देशीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थाओं में दर्ज महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जानकारी संस्थावार बतावें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार। (ख) मापदण्ड एवं शर्तें † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार। पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र 1 वर्ष के लिए एवं महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। (ग) जी हां। (घ) † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र धमतरी में आरक्षक भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का आमद

17. (क्र. 1188) **श्री गुरुमुख सिंह होरा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र धमतरी अंतर्गत आरक्षक पद पर मेरिट सूची के आधार पर चयनित समस्त अभ्यर्थियों का आमद लिया जा चुका है ? (ख) यदि नहीं, तो किन-किन का आमद नहीं लिया गया व क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जी, नहीं। मेरिट सूची के आधार पर चयनित 305 अभ्यर्थियों में से 300 अभ्यर्थियों का आमद लिया जा चुका है। (ख) शेष 5 अभ्यर्थियों का आमद नहीं लिया गया है। जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है।

प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना

18. (क्र. 1231) **श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, उनमें चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? (ख) कंडिका “क” के सभी स्वीकृत पदों के विरुद्ध चिकित्सक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो रिक्त पद का व्यौरा दें ? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी ? क्या इन पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रदेश में 146 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, उनमें चिकित्सकों के 8-8 पद स्वीकृत हैं। (ख) जी नहीं। प्रथम श्रेणी के 656 पद एवं द्वितीय श्रेणी के 106 पद रिक्त हैं। (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं है। जी नहीं।

अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

19. (क्र. 1232) **श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01-01-2009 से 31 जनवरी, 2011 तक रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर जिले में अवैध शराब बिक्री के कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? (ख) कितनी मात्रा में शराब की जप्ती बनाई गई, और दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) कंडिका “क” के दर्ज प्रकरणों ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिसमें दोषियों द्वारा अवैध शराब की बिक्री की पुनरावृत्ति की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में दुर्ग जिले में 02 प्रकरण दर्ज किये गये. रायपुर, राजनांदगांव एवं बिलासपुर जिले में कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया. (ख) 4.500 बल्क लीटर देशी मदिरा जप्त की गई है. दोषियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (ख) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय में लंबित है. (ग) कंडिका “क” में दर्ज प्रकरणों में से ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, जिसमें दोषियों द्वारा अवैध शराब की बिक्री की पुनरावृत्ति की गई हो.

अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

20. (क्र. 1234) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री के कितने प्रकरण दर्ज किए गए, और प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार ब्यौरा दें ? (ख) क्या कंडिका “क” के अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए विभाग द्वारा एच.एम. स्कवॉड/विशेष पुलिस दस्ता द्वारा भी कार्यवाही करवायी है ? यदि हां तो वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में किन-किन जगहों में छापामार कार्यवाही की गई ? (ग) कंडिका “क” के प्रकरणों में कितनी मात्रा में अवैध शराब की जप्ती बनाई गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री के कुल 22850 प्रकरण दर्ज किये गये. विवरण एवं ब्यौरा † संलग्न प्रपत्र “अ” में दिया गया है. (ख) जी हां. स्पेशल स्क्वाड द्वारा भी कार्यवाही की गई है. वर्ष 2009-10 में स्पेशल स्क्वाड का गठन नहीं हुआ था. वर्ष 2010-11 में स्पेशल स्क्वाड द्वारा जिन जगहों पर छापामार कार्यवाही की गई है उनकी जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दी गई है. (ग) कंडिका “क” के प्रकरणों में वर्ष 2009-10 में कुल 54298.371 लीटर एवं वर्ष 2010-11 में कुल 53832.358 लीटर अवैध शराब जप्ती बनाई गई है.

आकस्मिक वर्षा से हुई फसल की क्षति तथा कृषकों को प्रदत्त मुआवजा

21. (क्र. 1278) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2010-2011 के खरीफ एवं रबी की फसल माह-नवंबर-दिसंबर 2010 एवं माह-जनवरी 2011 में हुई आकस्मिक बरसात एवं ठंड, पाला पड़ने से नष्ट हुई है ? यदि हां तो बिलासपुर जिले में कुल कितने कृषकों की कितने एकड़ की फसल का नुकसान हुआ ? खरीफ एवं रबी फसल का जीन्सवार विवरण दें ? (ख) क्या 04 फरवरी, 2011 तक पीड़ित कृषकों को मुआवजा की राशि वितरित की गई है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि एवं किस अनुपात में मुआवजा तय किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) बिलासपुर जिले में खरीफ एवं रबी फसल की आकस्मिक बरसात से क्षति नहीं हुई है किन्तु पाला पड़ने से तहसील पेण्ड्रा रोड के 5 कृषकों की कुल 22 एकड़ की फसल को आंशिक क्षति हुई है जिसमें टमाटर की 19 एकड़ तथा अरहर की 3 एकड़ फसल है. (ख) पीड़ित कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि वितरित की गई है. माह जनवरी एवं फरवरी 2011 में कुल राशि रुपये 28,000/- राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार भुगतान किया जा चुका है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित मदिरा की दुकानों पर निर्धारित समय उपरान्त भी खुली रखने पर की गई कार्यवाही

22. (क्र. 1324) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 04-02-11 की स्थिति में कहां-कहां देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें किनके-किनके द्वारा संचालित हैं ? (ख) वर्ष 2010-11 में दिनांक 04-02-11 की स्थिति में विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित दुकानों में कितनी दुकानों पर देर रात्रि तक (निर्धारित समय से अधिक समय तक) दुकान खुली रखने की वजह से क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी प्रदान करें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की वांछित जानकारी निम्नानुसार है :—

01. देशी मदिरा दुकानें :—

क्र.	दुकान/स्थान का नाम	संचालक/लायसेंसी का नाम
1.	खुज्जी	सुश्री शिम्पी कंग
2.	बननवागांव	सुश्री शिम्पी कंग
3.	धोबनी	सुश्री शिम्पी कंग
4.	गेंदाटोला	श्री जगदीश सिंह
5.	छुरिया	श्री डामन लाल गंगवंशी
6.	अम्बागढ़ चौकी	श्री जनार्दन यादव
7.	बांधाबाजार	श्री जनार्दन यादव

02. विदेश मदिरा दुकानें

क्र.	दुकान का नाम	संचालक/लायसेंसी का नाम
1.	अम्बागढ़ चौकी	श्री जनार्दन यादव
2.	चिचोला	श्री प्रीतम कुमार यादव

(ख) उपरोक्त मदिरा दुकानें निर्धारित समय से अधिक समय तक खुली नहीं पायी गईं. जानकारी निरंक.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रायगढ़ जिले में पात्र हितग्राहियों को पेंशन की स्वीकृति

1. (क्र. 123) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले के रायगढ़ शहर, ग्रामीण रायगढ़, पुसौर एवं बरमकेला विकासखण्ड में 01 अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक रायगढ़ शहर में वार्डवार एवं उपरोक्त तीनों विकासखण्डों में ग्राम पंचायतवार कितने-कितने पात्र नये हितग्राही को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, इंदिरा गांधी सुखद सहारा, विधवा, परित्यक्ता पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के सचिवों ने जनपद पंचायतों में जमा किया है ? जांच में कितने हितग्राही पात्र पाये गये, कितने स्वीकृत प्रकरणों को कब-कब से पेंशन प्रदाय प्रारंभ किया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

अवैध शराब बिक्री, जुआ, सट्टा तथा ओवरलोड वाहनों से की गई वसूली तथा जब्त सामग्री

2. (क्र. 124) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गृह विभाग द्वारा वर्ष 2010-2011 में शराब की अवैध बिक्री, जुआ, सट्टा एवं कबाड़ियों की दुकान में चोरी के माल, ओवरलोड वाहनों की जांच के दौरान प्रदेश में जिलेवार कितने-कितने प्रकरण बनाये गये हैं ? कितनी राशि की वसूली एवं सामग्री की जप्ती की गयी है ? (ख) कितने ओवरलोड वाहनों पर 31-01-2011 तक कार्यवाही की गई ? कितने का समन्स शुल्क वसूली किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) 1198 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 4606513/- रुपये समन्स शुल्क की राशि वसूल की गई है.

जिला जांजगीर-चांपा में अंध मूक बधिर विद्यालयों की संख्या

3. (क्र. 208) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चांपा में कुल कितने अंध मूक बधिर विद्यालय संचालित हैं ? विकासखण्डवार बतावें ? (ख) जिले में संचालित विद्यालयों में से कितने विद्यालय शासकीय एवं अशासकीय हैं ? पृथक-पृथक बतायें ? क्या उक्त विद्यालयों के पास स्वयं का भवन उपलब्ध है ? यदि नहीं तो कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल एक अंध-मूक बधिर विद्यालय विकासखण्ड पामगढ़ में संचालित है. (ख) जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड पामगढ़ में संचालित विद्यालय स्वैच्छिक (अशासकीय) संस्था है. (ग) उक्त विद्यालय के पास स्वयं का भवन उपलब्ध है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

4. (क्र. 209) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? विकासखण्डवार ग्राम एवं केन्द्र के नाम सहित बतायें ? (ख) क्या जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं उप केन्द्रों में स्वयं का भवन है ? यदि नहीं, तो भवन विहीन केन्द्र एवं उपकेन्द्र कौन-कौन से हैं ? पृथक-पृथक बतायें ? (ग) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं उप केन्द्रों में सुविधायुक्त भवन कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 272 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 40 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं. विकासखण्डवार, ग्राम एवं केन्द्रवार, आंगनबाड़ी केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है. (ख) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वयं के भवन स्वीकृत नहीं हैं. भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स एवं उपकेन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द पर है. (ग) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं उप केन्द्रों में सुविधायुक्त नवीन भवन उपलब्ध कराने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

भाटापारा अनुभाग अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

5. (क्र. 229) **श्री चैतराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? (ख) क्या उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन हैं ? यदि नहीं, तो भवन विहीन केन्द्रों के लिये शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग के अंतर्गत 352 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. (ख) उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं के भवन नहीं हैं. 161 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये स्वयं के भवन स्वीकृत हैं. आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन वित्त आयोग, ग्राम उत्कर्ष योजना, एकमुश्त केन्द्रीय सहायता, विभागीय मद इत्यादि के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है.

रायपुर जिले के विभिन्न थानों में पर्याप्त बलों की तैनाती

6. (क्र. 230) **श्री चैतराम साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भाटापारा अनुभाग के अंतर्गत विभिन्न थानों में स्वीकृत पदों के अनुसार बलों की तैनाती की गई है ? (ख) यदि नहीं, तो पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जी नहीं. (ख) रिक्त पदों की पूर्ति अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं नव आरक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण उपरांत वर्षान्त तक कर दी जावेगी. निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

सारंगढ़ विधान सभा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा, निराश्रित वृद्धा पेंशन एवं इंदिरा सहारा योजनांतर्गत पेंशनधारियों की संख्या

7. (क्र. 316) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सारंगढ़, बरमकेला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा, निराश्रित वृद्धा पेंशन, इंदिरा सहारा योजनांतर्गत पेंशनधारियों की संख्या कितनी है ? (ख) उपरोक्त योजना के पेंशनधारियों को प्रति माह किस तारीख तक कितनी-कितनी पेंशन राशि दिये जाने का प्रावधान है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सारंगढ़ एवं बरमकेला में पेंशनधारियों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्र.	जनपद पंचायत/नगरीय निकाय का नाम	योजना का नाम		
		सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	सुखद सहारा योजना (पूर्व नाम इंदिरा सहारा)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जनपद पंचायत सारंगढ़	2884	487	7720
2.	जनपद पंचायत बरमकेला	1786	591	3469
3.	नगर पंचायत सारंगढ़	903	155	418
4.	नगर पंचायत बरमकेला	104	27	115

(ख) प्रतिमाह 07 तारीख तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में रुपये 200/- प्रतिमाह, सुखद सहारा योजना में रुपये 200/- प्रतिमाह तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में रुपये 300/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन देने का प्रावधान है.

रायगढ़ जिले में छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ की राईस मिलें

8. (क्र. 321) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की रायगढ़ जिले में कितनी राईस मिल है ? इनमें से कितनी राईस मिल चालू है ? कितनी बंद है ? (ख) उक्त राईस मिल में से कितनी मिल को लीज पर दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की रायगढ़ जिले में चार राईस मिलें हैं। इनमें से कोई भी राईस मिलें चालू नहीं हैं। सभी चारों राईस मिलें बंद हैं। (ख) उक्त राईस मिल में से किसी भी राईस मिल को लीज पर नहीं दिया गया है।

कुरुद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न अपराधों के दर्ज प्रकरण

9. (क्र. 383) **श्री लेखराम साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्र में थानावार मौत, हत्या का प्रयास, दहेज प्रताड़ना, बलात्कार, डकैती, लूट एवं चोरी के कितने-कितने प्रकरण दिनांक 01-01-10 से 31-01-11 तक दर्ज हुए? (ख) उपरोक्त में से थानावार कितने प्रकरणों में अपराधी पकड़े गये? कितने में चालान पेश हुए, कितने प्रकरणों में अब तक अपराधी नहीं पकड़े गये हैं?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। (ख) उपरोक्त में से थाना कुरुद में 18 प्रकरणों में 25 अपराधी पकड़े गये, जिनमें से 17 प्रकरणों में 22 अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं, 5 प्रकरणों में 3 अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश करना शेष है एवं 23 प्रकरणों में अज्ञात अपराधी नहीं पकड़े गये हैं। थाना मगरलोड में 25 प्रकरणों में 119 अपराधी पकड़े गये, जिनमें से 25 प्रकरणों में 120 अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं। इन 25 प्रकरणों में से 1 अपराधी पकड़ा जाना शेष है एवं 10 प्रकरणों में से अज्ञात अपराधी होने से अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। थाना भखारा में 12 प्रकरणों में 23 अपराधी पकड़े गये हैं, जिनमें 11 प्रकरणों में 22 अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान पेश हुए हैं। 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति के विरुद्ध चालान पेश करना शेष है एवं 21 प्रकरण में अज्ञात अपराधी होने से अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत मुख्यमंत्री संजीवनी कोष से स्वीकृत सहायता

10. (क्र. 551) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यमंत्री संजीवनी कोष से वर्ष 2008, 2009 और 2010 में अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किस-किस गांव के, कौन-कौन से मरीजों को इस योजना से किस बीमारी के लिए, कितनी राशि की सहायता कब और किस माध्यम से दी गई है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : योजना अंतर्गत मरीज को राशि देने का प्रावधान नहीं है। मरीज के इलाज हेतु संबंधित चिकित्सालय को योजना के प्रावधानों के अनुसार राशि दी जाती है। जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार।

चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर हेतु निर्माण एवं सामग्रियों के क्रय हेतु प्रावधानित एवं व्यय राशि

11. (क्र. 670) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना से दिनांक 15-01-2011 तक निर्माण एवं चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी हेतु कुल कितनी राशि प्रावधानित की गयी वर्षवार बताएं। (ख) उक्त अवधि में एन.एम.डी.सी. एवं अन्य संस्थाओं द्वारा कितनी राशि इस हेतु प्रदान की गयी? (ग) कुल राशि में से कुल कितनी राशि व्यय की गयी?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जगदलपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना से दिनांक 15-01-2011 तक निर्माण एवं चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी हेतु शासन द्वारा ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार राशि वर्षवार प्रावधानित की गई है। (ख) उक्त अवधि में एन.एम.डी.सी. द्वारा ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार राशि इस हेतु प्रदान की गई है तथा अन्य किसी संस्था द्वारा कोई राशि प्रदाय नहीं की गई है। (ग) कुल राशि में से ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार व्यय किया गया है।

नक्सल प्रभावित जिलों के थानों में स्वीकृत पद

12. (क्र. 671) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में कौन-कौन से जिले नक्सल प्रभावित हैं? (ख) नक्सल प्रभावित जिलों में कितने थाने हैं? इन थानों में कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार जानकारी दें। (ग) क्या समस्त नक्सल प्रभावित थानों में संचार की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो कितने थानों में नहीं है? और क्यों?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश में वर्तमान में कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, राजनांदागांव, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर एवं कोरिया पूर्ण रूप से तथा धमतरी, महासमुंद, दुर्ग एवं पुलिस जिला गरियाबंद आंशिक रूप से नक्सल प्रभावित जिले हैं। (ख) नक्सल प्रभावित जिलों में 263 थाना (एवं 67 चौकियां) हैं। इन थाना चौकियों में 13,299 पद स्वीकृत हैं तथा 4,105 पद रिक्त हैं। जिलेवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है। (ग) जी हां।

जिला रायगढ़ में असमय वर्षा से हुए फसल नुकसान का मुआवजा

13. (क्र. 790) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में सन् 2010 में असमय वर्षा से कृषकों की कितनी फसल नष्ट हो गई ? फसलवार जानकारी दें ? (ख) क्या शासन द्वारा इसका सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी फसल को कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है ? (ग) नुकसान हुए फसल का मुआवजा देने का शासन का क्या मापदण्ड है ? इसकी भरपाई कब तक कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले में सन् 2010 में असमय वर्षा से मुख्य फसल धान की निम्नानुसार क्षति हुई है :—

1. खड़ी फसल की क्षति 209 हे. राशि रु. 1,04,50,000.00
2. कटे फसल करपा के रूप में 157 हे. राशि रु. 78,50,000.00
3. खलिहान में खरही के रूप में 1148 हे. राशि रु. 14,01,000.00

(ख) जी हां। खरीफ मौसम के मुख्य फसल धान को मात्र 0.63 प्रतिशत क्षति हुई है। (ग) 25 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 अनुसार अनुदान सहायता देने का प्रावधान है। चूंकि क्षति 25 प्रतिशत से कम है इसलिए मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं है।

जिला रायगढ़ में भू-राजस्व संहिता की धारा-170 ख के लंबित प्रकरण

14. (क्र. 791) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में भू-राजस्व संहिता की धारा-170 ख के कुल कितने प्रकरण दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में लंबित हैं ? तहसीलवार बतावें ? (ख) उल्लेखित लंबित प्रकरणों में से विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा के कुल कितने प्रकरण हैं ? (ग) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले में भू-राजस्व संहिता की धारा 170 ख के कुल 32 प्रकरण दिनांक 30-6-10 की स्थिति में लंबित हैं। तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	तहसील का नाम	लंबित प्रकरणों की संख्या
1.	बरमकेला	01
2.	सारंगढ़	01
3.	पुसौर	03
4.	रायगढ़	07
5.	खरसिया	03
6.	घरघोड़ा	02
7.	तमनार	08
8.	लैलूंगा	07
9.	धरमजयगढ़	-
योग		32

(ख) उल्लेखित लंबित प्रकरणों में से विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा के कुल 20 प्रकरण हैं। (ग) न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति संबंधी

15. (क्र. 882) **श्री डोमनलाल कोसेवाड़ा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है ? (ख) प्राप्त आवेदनों पर कितने खिलाड़ियों को शासकीय सेवा के विभिन्न वर्गों में नियुक्ति दी गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु 33 आवेदन प्राप्त हुये हैं. (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को तृतीय श्रेणी वर्ग में नियुक्ति दी जा चुकी है.

जिला जशपुर में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण हेतु प्राप्त आवंटन एवं संचालित कार्यक्रम

16. (क्र. 962) **श्री रामपुकार सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है ? जशपुर जिले में वर्ष के दिसम्बर 2010 तक कितने रोगी चिन्हित किये गये ? (ख) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण के लिये उक्त जिले को कितनी धन राशि वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई है, तथा इसके तहत कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 5635 कुष्ठ रोगी. 119 कुष्ठ रोगी चिन्हित किये गये हैं. (ख) उक्त जिले को कुल राशि 16.54 लाख प्राप्त हुई. प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा एवं संचार, विकासखण्ड स्तरीय सघन जागरूकता एवं रोगी खोज अभियान कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं.

जिला जशपुर अंतर्गत भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के विचाराधीन प्रकरण

17. (क्र. 966) **श्री रामपुकार सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जशपुर अंतर्गत भू-राजस्व की धारा 170 (ख) के कितने प्रकरण विचाराधीन हैं ? तहसीलवार बतावें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जिला जशपुर अंतर्गत भू-राजस्व संहिता की धारा-170 (ख) के अंतर्गत कुल 21 प्रकरण विचाराधीन हैं. तहसीलवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है.

जिला जांजगीर-चांपा में विभाग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य

18. (क्र. 1031) **श्री जगेश्वर राम भगत** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 में लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला जांजगीर-चांपा में किन निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई ? (ख) इन प्रत्येक कार्य के लिए प्रशासकीय स्वीकृति राशि कितनी थी ? (ग) दिनांक 20 जनवरी, 2011 की स्थिति में, कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो इसके कारण बतायें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) †† संलग्न प्रपत्र “अ” के कालम “2” अनुसार. (ख) †† संलग्न प्रपत्र “अ” के कालम “3” अनुसार. (ग) 06 भवन निर्माण कार्य पूर्ण. (घ) 06 भवन निर्माण कार्य पूर्ण एवं 44 निर्माण कार्य अपूर्ण. †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

जिला रायगढ़ में घटित विभिन्न घटनाओं के दर्ज प्रकरण

19. (क्र. 1117) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में दिनांक 31-01-2011 तक कितनी-कितनी संख्या में हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी, धोखाधड़ी, जाली नोट, दहेज प्रताड़ना के प्रकरण दर्ज किये गये ? वर्षवार जानकारी देवें. (ख) वर्ष 2010-11 में जिले में घटित चोरी व लूट, डकैती के कितने प्रकरणों में अपराधियों को पकड़ा गया ? कितने पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में घटित प्रकरणों में से चोरी के 97, लूट के 21 एवं डकैती के 05 प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार चोरी के 56, लूट के 11 एवं डकैती के 5 प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है।

राजस्व मण्डल द्वारा जारी आदेश का परिपालन

20. (क्र. 1118) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व मण्डल छ. ग. बिलासपुर द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2008 को जारी अपने आदेश के तहत राजस्व अपील प्रकरण क्र. ए/13/आर-बी-121/190/06 ग्राम चुहकीमार तह. धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के अनु. जाति एवं जनजाति के 10 कृषकों को आवंटित जमीन के संदर्भ में निरस्त पट्टा पुनः बहाल किये जाने का आदेश पारित किया गया है ? (ख) यदि हां, तो उक्त आदेश का परिपालन अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व धरमजयगढ़ द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक परिपालन किया जायेगा ? (ग) क्या प्रश्नांक “क” के प्रकरण में भूमिहीन अनु. जाति एवं जनजाति के कृषकों की संस्था, कृषि सामूहिक सहकारी संस्था, चुहकीमार के सदस्य कृषकों को आवंटित खसरा नंबर में राजस्व अधिकारी द्वारा परिवर्तन किया गया है ? यदि नहीं, तो अनु.जाति एवं जनजाति हेतु आवंटित भूमि को गैर अनु. जाति एवं जनजाति के लोगों को किस आधार पर वितरित किया गया ? (घ) प्रश्नांक “क” प्रकरण में पारित आदेश का परिपालन नहीं करने वाले दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) राजस्व मंडल छ. ग. बिलासपुर के अपील प्रकरण क्रमांक/ए/13/आर-बी-121/190/06 में पारित आदेश दिनांक 10-01-2008 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 10 कृषकों को आवंटित जमीन के संदर्भ में निरस्त पट्टा पुनः बहाल किया गया है। (ख) राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 10-01-2008 में खसरा नं. 143/1क के स्थान पर 141/1 अंकित है जो खसरा नंबर में भिन्नता होने से पालन नहीं किया गया। न्यायालयीन प्रक्रिया का प्रकरण होने के कारण समय-सीमा बताया जा पाना संभव नहीं है। (ग) भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों को सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित चुहकीमार के आवंटित खसरा नं. में राजस्व अधिकारी द्वारा परिवर्तन नहीं किया गया है। यह भूमि 15 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत बनहर के पत्र क्रमांक-क्यू/प/86 दिनांक 23-10-1986 के अनुशंसा के आधार पर नायब तहसीलदार धरमजयगढ़ द्वारा वितरित किया गया है। (घ) प्रश्नांश (ख) में स्थिति स्पष्ट है। अतः अभी यह बिन्दु न्यायालयीन प्रक्रिया में होने के कारण किसी पृथक कार्यवाही हेतु अपेक्षित नहीं है।

धमतरी जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड

21. (क्र. 1190) **श्री गुरुमुख सिंह होरा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने हितग्राहियों (बी.पी.एल. परिवार) को स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है ? कितने हितग्राहियों का स्मार्ट कार्ड बनना शेष है और कब तक बना लिया जायेगा ? (ख) जिले में कितने निजी चिकित्सालयों में स्मार्ट कार्ड के तहत ईलाज करने हेतु मान्यता दी गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 36,385 हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड जारी किया गया। 21,128 हितग्राहियों का स्मार्ट कार्ड बनना शेष है। निश्चित समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं है। (ख) 05 निजी चिकित्सालयों को।

जिला महासमुंद में नामांतरण के दर्ज प्रकरण का निराकरण

22. (क्र. 1227) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में नामांतरणों के लंबित प्रकरणों की संख्या कितनी है ? (ख) वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 की स्थिति में नामांतरण के कुल कितने प्रकरण निपटाए गए ? निपटाए गए प्रकरणों में कितने प्रकरण विवादित नामांतरण के हैं ? तहसीलवार जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) महासमुन्द जिला अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में नामांतरण के 118 प्रकरण लंबित हैं। (ख) वर्ष 2008-09 में 4222 एवं 2009-2010 में 2491 की स्थिति में नामांतरण के कुल 6713 प्रकरण निपटाए गए। निपटाए गये प्रकरणों में 891 विवादित नामांतरण के हैं। तहसीलवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में है।

जिला महासमुंद में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

23. (क्र. 1228) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले के अंतर्गत विकासखंडवार कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? (ख) कितने केन्द्र भवन विहीन हैं तथा कितने जर्जर भवन में संचालित हो रहे हैं ? (ग) नवीन भवन कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) विभाग अंतर्गत महासमुन्द जिले के विकासखण्डों/परियोजनाओं में 1479 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. संचालित केन्द्रों की विकासखण्डवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) महासमुन्द जिले में 242 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं. वर्तमान में कोई केन्द्र जर्जर भवन में संचालित नहीं हो रहे हैं. (ग) नवीन भवन उपलब्ध कराने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत कार्य की स्थिति

24. (क्र. 1235) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में आपदा प्रबंधन मद से कौन-कौन से कार्य कितने-कितने लागत के स्वीकृत किए गए ? जिले रायपुर, दुर्ग का विकासखण्डवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका "क" के कार्यों को किनके माध्यम से कराया गया ? निर्माण एजेंसी के नाम बतावें ? (ग) कंडिका "क" के कौन-कौन से कार्य समय-सीमा में कराये गये, कितने शेष हैं, शेष कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में आपदा प्रबंधन मद से जिला रायपुर एवं दुर्ग में स्वीकृत किये गये कार्यों का विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है. (ख) कंडिका "क" में दर्शाये गये कार्यों की कार्य एजेंसी का विवरण जिलेवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर है. (ग) जिला रायपुर के वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं. 2010-11 के 47 कार्य शेष हैं. उक्त कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिये जावेंगे. जिला दुर्ग के वर्ष 2008-09 के 9 कार्य अपूर्ण हैं, जिन्हें विभागीय मद से पूर्ण किया जावेगा, 2009-10 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं. वर्ष 2010-11 के एक कार्य प्रगति पर है जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जावेगा.

खेल संघों को स्वीकृत अनुदान एवं समायोजन

25. (क्र. 1236) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में किन-किन खेल संघों को, कितनी-कितनी राशि, किन-किन खेलों के आयोजन के लिये दी गई ? किन-किन खेलों में कितने-कितने खिलाड़ियों ने भाग लिए ? (ख) कंडिका "क" के खेल का आयोजन कब-कब और कहां-कहां कराए गए ? (ग) कंडिका "क" के अनुदान का समायोजन कब-कब किया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स्तम्भ 2, 3, 4 में उल्लेखित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स्तम्भ 5 एवं 6 में उल्लेखित है. (ग) 1. वर्ष 2008-09 में दिए गए अनुदान का संस्थाओं द्वारा मार्च 2009 की स्थिति में अंकेक्षण कराया गया है तथा उसका समायोजन वर्ष 2009-10 में किया गया.

2. वर्ष 2009-10 में दिए गए अनुदान का संस्थाओं द्वारा मार्च 2010 की स्थिति में अंकेक्षण कराया गया है तथा उसका समायोजन वर्ष 2010-11 में किया गया. वर्ष 2009-10 में संस्था छत्तीसगढ़ सायकल पोलो संघ दुर्ग एवं जिला एम्योचर कबड्डी संघ बिलासपुर का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. अतः समायोजित नहीं किया गया.

3. 2010-11 में स्वीकृत आर्थिक सहायता के लिये संस्थाओं द्वारा मार्च 2011 की स्थिति में अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप प्रस्तुत की जायेगी. तत्पश्चात् उक्त आर्थिक सहायता का समायोजन किया जायेगा.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित शराब दुकानों से प्राप्त राजस्व

26. (क्र. 1243) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में कुल कितनी शराब की लायसेंसी दुकानें हैं ? (ख) शराब दुकान से प्रतिवर्ष कितना राजस्व शासन को प्राप्त होता है ? 2008 से 31-01-2011 तक की जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 121 शराब की लायसेंसी दुकानें हैं. (ख) वांछित राजस्व प्राप्ति की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्राप्त राजस्व (रुपये में)
2007-08	48,09,73,298/-
2008-09	51,71,56,263/-
2009-10	60,73,84,123/-
2010-11	72,29,83,331/-

(दिनांक 01-04-2010 से 31-01-2011 तक)

प्रदेश में मलेरिया से हुई मौतें

27. (क्र. 1285) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 तक छ.ग. प्रदेश में मलेरिया से पीड़ित कितने मरीज हैं एवं मलेरिया से कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? जिलेवार संख्या दें ? (ख) छ.ग. प्रदेश में कुल कितने लेब टेक्निशियन के पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने-कितने पद रिक्त हैं ? जिलेवार संख्या दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 152303 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित. 41 व्यक्तियों की मलेरिया से मृत्यु. † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) 761 नियमित पद स्वीकृत. 386 पद रिक्त. † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्मार्ट कार्ड का वितरण

28. (क्र. 1289) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने बी.पी.एल. कार्डधारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाना है ? (ख) प्रश्नांक “क” के कितने बी.पी.एल. कार्डधारियों को स्मार्ट कार्ड प्रदान कर दिया गया है एवं कितनों को दिया जाना शेष है ? शेष कार्डधारियों को कब तक कार्ड वितरित कर दिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 26,539 कार्डधारियों को. (ख) 13,413 कार्डधारियों को स्मार्ट कार्ड प्रदान किया गया. 13,126 कार्डधारियों को दिया जाना शेष. निश्चित समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जीवनदीप समितियों के आय-व्यय

29. (क्र. 1290) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जीवनदीप समितियों में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 31 जनवरी, 2011 तक कुल कितने रुपयों की आय हुई एवं कितना खर्च किया गया ? समितिवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांक “क” के समितियों की कब-कब बैठक की गई एवं इसमें किये गये कितने निर्णयों पर कार्यवाही की गई ? समितिवार जानकारी प्रदान करें. (ग) वर्तमान में इन समितियों में कितनी राशि शेष है ? इस राशि की व्यय की क्या योजना है ? समितिवार जानकारी प्रदान करें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार. (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार. (ग) दिनांक 31-01-2011 तक की स्थिति में 19,13,956/- रुपये शेष है. संलग्न परिशिष्ट “स” अनुसार.

डेंटल कॉलेज रायपुर के नवीन निर्मित भवन में स्थानान्तरण संबंधी

30. (क्र. 1299) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि रायपुर डेंटल कॉलेज हेतु नये भवन का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या भवन पूर्ण हो चुका है ? क्या उक्त मेडिकल कॉलेज का स्थानान्तरण नये भवन में कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक स्थानांतरण किया जाएगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जी हां. भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है. डेंटल कॉलेज का स्थानान्तरण दिनांक 04-02-2011 से प्रारंभ हो चुका है और आज दिनांक तक स्थानान्तरण का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. शेष स्थानान्तरण शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा.

प्रदेश के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्यवाही

31. (क्र. 1311) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने वन ग्राम हैं एवं उन्हें राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए राजस्व विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : प्रदेश में कुल 534 वन ग्राम हैं. राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रचलन में है.

कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ एवं आपदा राहत मद में स्वीकृत राशि

32. (क्र. 1318) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों में रायपुर जिले में कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ राहत एवं आपदा राहत के तहत किस-किस विकासखण्ड में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस की अनुशंसा में स्वीकृत हुए ? (ख) उक्त वित्तीय वर्षों में किस-किस विकासखण्ड के कौन-कौन से गांव बाढ़ राहत एवं आपदा राहत हेतु चिन्हित किये गये थे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ आपदा मद से वर्ष 2008-09 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं. वर्ष 2009-10 में एक कार्य लागत रुपये 24.94 लाख तथा वर्ष 2010-11 में 405 कार्य लागत राशि रुपये 1098.00 लाख के स्वीकृत किये गये हैं. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है. कलेक्टर रायपुर की अनुशंसा से कार्य स्वीकृत की गई है. (ख) रायपुर जिले के बाढ़ एवं आपदा राहत हेतु चिन्हित ग्रामों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

33. (क्र. 1327) **श्री भोलाराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत छुरिया एवं अं. चौकी विकासखंडों में दिनांक 04-02-11 की स्थिति में किन-किन आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्त हैं ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित पदों पर नियुक्ति कब तक की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है. पद पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 1174) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक (1)	स्वीकृत पदनाम (2)	स्वीकृत पदसंख्या (3)
1.	पी. जी. एम. ओ. मेडिसीन	1
2.	पी. जी. एम. ओ. स्त्री रोग	1
3.	चिकि. अधिकारी	5
4.	दंत चिकि. अधिकारी	1
5.	नर्सिंग सिस्टर	3
6.	स्टाफ नर्स	7
7.	रेडियोग्राफर	2
8.	लेब टेक्नीशियन	2
9.	स्टोर कीपर	1
10.	औषधि संयोजक	1
11.	लेखापाल सह भण्डार सह लिपिक	2
12.	ओ. टी. अण्डे.	1
13.	वाहन चालक	2
14.	सहायक ग्रेड-3	2
15.	लेब असिस्टेंट	1
16.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
17.	ड्रेसर ग्रेड-1	1
18.	ड्रेसर ग्रेड-2	1
19.	मेस सर्वेंट नैमेत्तिक	1
20.	वार्ड ब्वाय	5
21.	वार्ड ब्वाय नैमेत्तिक	2
22.	वार्ड आया	3
23.	वार्ड आया नैमेत्तिक	1
24.	स्वीपर	3
25.	स्वीपर नैमेत्तिक	2
26.	कुक नैमेत्तिक	2
27.	भृत्य	3
कुल		57

परिशिष्ट “दो”

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 1111) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

लापता स्कूली छात्र/छात्राओं की जानकारी
माह जून 2009 से 31-01-2011 तक

क्र. (1)	जिला का नाम (2)	लापता छात्र/छात्राओं की संख्या (3)
1.	रायपुर	392
2.	महासमुंद	13
3.	धमतरी	34
4.	दुर्ग	333
5.	राजनांदगांव	30
6.	कबीरधाम	16
7.	गरियाबंद	8
8.	बिलासपुर	106
9.	रायगढ़	42
10.	जांजगीर-चांपा	85
11.	कोरबा	178
12.	सरगुजा	14
13.	जशपुर	29
14.	कोरिया	76
15.	बलरामपुर	46
16.	सुरजपुर	12
17.	जगदलपुर	56
18.	दंतेवाड़ा	7
19.	कांकेर	11
20.	बीजापुर	0
21.	नारायणपुर	4
22.	रेल रायपुर	4
योग :-		1496

प्रपत्र "ब"

लापता स्कूली छात्र/छात्राओं के प्रकरणों में पुलिस गिरफ्त से बाहर अपराधियों की प्रकरणवार जानकारी

क्र.	जिला	थाना	अपराध क्रमांक व धारा	गिरफ्तार आरोपी की संख्या	अपराधियों की संख्या जो पुलिस गिरफ्त से बाहर है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	पुरानी बस्ती	357/10, धारा 363, 366 भादवि	-	01
2.	-- " --	पलारी	124/10, धारा 363, 366 भादवि	-	01
3.	-- " --	पलारी	382/10 धारा 363, 366 भादवि	-	01
4.	-- " --	डीडीनगर	54/10 धारा 363, 366 भादवि	-	01
5.	-- " --	तेलीबांधा	455/09 धारा 363, 366 भादवि	-	01
6.	-- " --	खमतलाई	15/11 धारा 363, 366 भादवि	-	01
7.	-- " --	सिमगा	20/11 धारा 363, 366 भादवि	-	01
8.	दुर्ग	भिलाईभट्टी	46/10 धारा 363, 366 भादवि	-	01
9.	-- " --	-- " --	121/10 धारा 363, 366 भादवि	-	अज्ञात
10.	-- " --	-- " --	24/11 धारा 363 भादवि	-	अज्ञात
11.	-- " --	सुपेला	378/10 धारा 363, 366 भादवि	-	01
12.	-- " --	-- " --	869/10 धारा 363 भादवि	-	अज्ञात
13.	-- " --	-- " --	476/10 धारा 363, 366 भादवि	-	01
14.	-- " --	-- " --	29/11 धारा 363 भादवि	-	अज्ञात
15.	रायगढ़	कोतरारोड	192/10 धारा 365/34 भादवि	-	अज्ञात
16.	जांजगीर-चांपा	सक्ती	179/10 धारा 363, 366 भादवि	-	01
17.	सरगुजा	कोतवाली अंबिकापुर	812/10 धारा 302, 201 भादवि	-	अज्ञात
18.	-- " --	राजपुर	55/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	-	02
19.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	17/11 धारा 363, 366, 376 भादवि	03	01
20.	-- " --	पटना	49/10 धारा 302 भादवि	-	अज्ञात
21.	जगदलपुर	परपा	116/10 धारा 302 भादवि	-	अज्ञात
22.	-- " --	नगरनार	27/09 धारा 363, 366 भादवि 3 (2) (5) एस. सी. एस. टी. एक्ट	-	01
23.	-- " --	बड़ाजी	44/10 धारा 363, 366 भादवि 3 (1) (12) (15), 3(2)(5) एस. सी. एस. टी. एक्ट.	-	01
24.	कोरबा	कोतवाली	1190/09 धारा 363, 366 भादवि	-	अज्ञात
25.	-- " --	पाली	04/11 धारा 363, 366, 376 भादवि 3(2)(5) एस. सी. एस. टी. एक्ट.	-	अज्ञात
26.	-- " --	कोतवाली	805/10 धारा 363 भादवि	-	अज्ञात

लापता स्कूली छात्र/छात्राओं के प्रकरणों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराधियों की प्रकरणवार जानकारी

क्र.	जिला	थाना	अपराध क्रमांक व धारा	गिरफ्तार आरोपी की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	राजिम	162/10 धारा, 376, 342, 506 भादवि. 3(1)(2) एस. सी. एस. टी. एक्ट.	01
2.	-- "--	-- "--	10/11 धारा 376 भादवि	01
3.	-- "--	-- "--	128/10 धारा 363, 366 भादवि	01
4.	-- "--	-- "--	143/10 धारा 363, 366, 376 भादवि 3(1)(10) एस. सी. एस. टी. एक्ट.	01
5.	-- "--	नेवरा	138/10 धारा 363, 366/34 भादवि	02
6.	-- "--	खमतराई	15/11 धारा 363, 366 भादवि	01
7.	-- "--	गुढ़ियारी	340/10 धारा 364-क, 302, 201 भादवि	01
8.	-- "--	बिलाईगढ़	08/11 धारा 363, 366 भादवि	01
9.	-- "--	पण्डरी (मोवा)	481/09 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
10.	-- "--	पलारी	35/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
11.	-- "--	-- "--	180/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
12.	-- "--	-- "--	314/10 धारा 363, 366, 506/34 भादवि	02
13.	-- "--	सरस्वतीनगर	125/09 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
14.	-- "--	धरसीवा	40/11 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
15.	-- "--	टिकरापारा	437/10 धारा 302, 201 भादवि	01
16.	दुर्ग	पुलगांव	533/09 धारा 302, 364, 201, 212, 216 भादवि	03
17.	-- "--	छावनी	20/11 धारा 365, 302 भादवि	01
18.	-- "--	पाटन	47/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
19.	-- "--	डौंडीलोहारा	120/10 धारा 363, 366, 376, 368 भादवि	02
20.	-- "--	बेमेतरा	120/10 धारा 342, 363, 366 भादवि	01
21.	-- "--	नवागढ़	108/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
22.	-- "--	खम्हरिया	150/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
23.	-- "--	नवागढ़	07/11 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
24.	-- "--	नंदनी	286/10 धारा 363, 366 भादवि	01
25.	-- "--	-- "--	389/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	02
26.	-- "--	अण्डा	115/09 धारा 363, 366, 342 भादवि	01
27.	-- "--	अर्जुन्दा	101/09 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
28.	-- "--	मोहन नगर	230/09 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
29.	-- "--	दुर्ग	220/10 धारा 363, 366, 368/34 भादवि	04
30.	-- "--	छावनी	46/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
31.	-- "--	जामुल	108/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	दुर्ग	भिलाई भट्टी	179/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
33.	-- ”--	नेवई	216/10 धारा 363, 366-क भादवि	02
34.	-- ”--	-- ”--	136/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
35.	-- ”--	सुपेला	126/10 धारा 363, 366, 376/34 भादवि	02
36.	रायगढ़	बरमकेला	210/09 धारा 363, 366/34 भादवि	02
37.	-- ”--	पुसौर	183/09 धारा 363, 366/34 भादवि	02
38.	-- ”--	सरिया	97/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
39.	-- ”--	-- ”--	19/11 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
40.	गरियाबंद	मैनपुर	49/09 धारा 363 भादवि	01
41.	-- ”--	गरियाबंद	91/09 धारा 363, 366, 342, 376 भादवि 3(2) एस. सी. एस. टी. एक्ट.	01
42.	सरगुजा	कोतवाली	759/10 धारा 364-क, 302, 201/34 भादवि	08
43.	रायगढ़	बतौली	90/09 धारा 363, 366, 376 भादवि	02
44.	-- ”--	-- ”--	106/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	02
45.	-- ”--	धौरपुर	90/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	02
46.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	557/10 धारा 363, 366/34 भादवि	02
47.	-- ”--	-- ”--	17/11 धारा 363, 366/34 भादवि	03
48.	-- ”--	-- ”--	25/11 धारा 363, 366 भादवि, 3(2)(5) एस. सी. एस. टी. एक्ट.	01
49.	-- ”--	खड़गवां	59/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
50.	-- ”--	-- ”--	137/09 धारा 363, 366, 376 भादवि	03
51.	-- ”--	केल्हारी	56/09 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
52.	-- ”--	पटना	104/09 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
53.	नारायणपुर	नारायणपुर	141/10 धारा 363, 366 भादवि	01
54.	जगदलपुर	जगदलपुर	624/10 धारा 364, 302 भादवि	01
55.	महासमुंद	कोतवाली	183/10 धारा 363, 34 भादवि	02
56.	-- ”--	कोतवाली	35/11 धारा 363, 366, 34 भादवि	03
57.	-- ”--	सरायपाली	392/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
58.	धमतरी	कोतवाली धमतरी	81/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
59.	-- ”--	कोतवाली	83/10 धारा 363, 366 भादवि	01
60.	जांजगीर-चांपा	अजाक जांजगीर	29/10 धारा 363, 366, 376 भादवि 3(1)(12) एससी/एसटी एक्ट.	01
61.	-- ”--	अकलतरा	132/10 धारा 363, 302 भादवि	01
62.	-- ”--	सक्ती	282/09 धारा 363, 366 भादवि	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63.	जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	52/10 धारा 363, 366 भादवि	01
64.	कबीरधाम	पिपरिया	301/10 धारा 363, 366, 376, 34 भादवि	02
65.	-- "--	पिपरिया	302/10 धारा 363, 366, 376, 34 भादवि	03
66.	-- "--	कुण्डा	159/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
67.	-- "--	कुकदुर	09/10 धारा 363, 366, 376, 34 भादवि	02
68.	बिलासपुर	बिल्हा	113/10 धारा 364ख, 365, 302, 34 भादवि	03
69.	कोरबा	बालको नगर	253/10 धारा 302, 201, 34 भादवि	02
70.	-- "--	बांको	42/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
71.	-- "--	पाली	356/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
72.	बलरामपुर	शंकरगढ़	87/09 धारा 363, 366, 376 भादवि	03
73.	-- "--	चलगली	14/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
74.	-- "--	चांदो	17/10 धारा 363, 366, 376 भादवि	01
75.	-- "--	रामचंद्रपुर	26/10 धारा 363, 366क, 376 भादवि 3(1)(12) एससी/एसटी एक्ट.	01
76.	-- "--	शंकरगढ़	51/10 धारा 363, 366, 376 भादवि 3(1)(12) एससी/एसटी एक्ट.	01
77.	-- "--	शंकरगढ़	120/10 धारा 363, 366क, 376 506 बी, भादवि	01

परिशिष्ट “तीन”
[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 200) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र. (1)	जिला चिकित्सालय में स्वीकृत पदनाम (2)	स्वीकृत पद (3)	कार्यरत पद (4)
स्वीकृत एवं कार्यरत अधिकारी			
1.	सिविल सर्जन (वरिष्ठ विशेषज्ञ सह अधीक्षक)	01	00
2.	मेडिकल विशेषज्ञ	01	00
3.	सर्जिकल विशेषज्ञ	01	01
4.	शिशु रोग विशेषज्ञ	01	01
5.	स्त्री रोग विशेषज्ञ	01	01
6.	निश्चेतना विशेषज्ञ	01	01
7.	नेत्र रोग विशेषज्ञ	01	01
8.	रेडियोलॉजिस्ट	01	00
9.	पैथोलॉजिस्ट	01	00
10.	नाक, कान, गला विशेषज्ञ	01	01
11.	अस्थि रोग विशेषज्ञ	01	00
12.	मनोरोग विशेषज्ञ	01	00
13.	चिकित्सा अधिकारी	15	10
14.	दंत रोग चिकित्सक	01	01
15.	मैट्रन	01	00
कुल		29	17

स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मचारी			
16.	नर्सिंग सिस्टर	01	00
17.	स्टॉफ नर्स	18	12
18.	मुख्य लिपिक	01	00
19.	लेखापाल	01	02
20.	कैशियर/सहायक ग्रेड-2	01	01
21.	स्टीवर्ड/सहायक ग्रेड-2	01	00
22.	सहायक ग्रेड-3	02	02
23.	लेब टेक्नीशियन	02	01
24.	रेडियोग्राफर	02	00
25.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	02	02
26.	ड्रेसर ग्रेड-1	03	03
27.	लेब असिस्टेंट	01	01
28.	डार्क रूम असिस्टेंट	01	01
29.	भृत्य	04	05
30.	वार्ड ब्वाय	03	10

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	वार्ड आया	10	03
32.	वाहन चालक (एम्बुलेंस)	01	01
33.	वाहन चालक (नैमेत्तिक)	03	02
34.	कुक	02	02
35.	चौकीदार	02	02
36.	मेस सर्वेंट	02	02
37.	ओ. टी. अटेल्लेट	04	04
38.	पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता	00	01
39.	महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता	00	01
40.	नेत्र सहायक अधिकारी	00	01
कुल		67	59

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 470) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की जिलेवार जानकारी

स. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या (3)
1.	बस्तर	2677
2.	बीजापुर	930
3.	दंतेवाड़ा	1648
4.	कांकेर	1427
5.	नारायणपुर	320
योग :-		7002

प्रपत्र "ब"

बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज 06 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज बच्चों की संख्या	
		6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या	3 वर्ष से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बस्तर	78885	67586
2.	बीजापुर	17851	17336
3.	दंतेवाड़ा	30135	34605
4.	कांकेर	38390	29904
5.	नारायणपुर	7027	7586
योग		172288	157017

प्रपत्र “स”

बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज बच्चों में से 06 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर कुपोषित बच्चों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या	
		6 माह से 3वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या	3 वर्ष से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बस्तर	2718	939
2.	बीजापुर	644	580
3.	दंतेवाड़ा	869	885
4.	कांकेर	638	225
5.	नारायणपुर	190	40
योग		5059	2669

परिशिष्ट “पांच”
[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 13) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

प्रदेश में 2010-2011 (1 अप्रैल 2010 से 31 जनवरी 2011 तक) मलेरिया से हुई मृत्यु की जिलेवार संख्या

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	मलेरिया से मृत्यु संख्या (3)
1.	राजनांदगांव	08
2.	नारायणपुर	00
3.	बीजापुर	02
4.	कांकेर	00
5.	महासमुंद	02
6.	कोरिया	05
7.	जशपुर	00
8.	धमतरी	00
9.	कबीरधाम	01
10.	जांजगीर-चांपा	07
11.	जगदलपुर	00
12.	कोरबा	02
13.	दंतेवाड़ा	07
14.	बिलासपुर	09
15.	रायगढ़	04
16.	रायपुर	00
17.	दुर्ग	00
18.	सरगुजा	00
योग :-		47

प्रपत्र “ब”

प्रदेश में मलेरिया रोकने हेतु प्रदेश स्तर पर की गई तैयारी :-

1. विभिन्न स्तरीय अस्पतालों के साथ मितानिनों एवं डपो होल्डरों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाइयों के साथ त्वरित कार्यवाही हेतु तैनात किया गया है.
2. समस्या मूलक महामारी संभावित पहुंच विहीन ग्रामों की सूची तैयार कर समय पूर्व रोग प्रतिकारक कार्यवाही एवं औषधियों का भण्डारण किया गया है.
3. उक्त बीमारियों की रोकथाम के लिये त्वरित रोग निदान एवं शीघ्र उपचार के अंतर्गत रक्तपट्टियों की जांच एवं रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा मलेरिया रोग की पहचान कर शीघ्र उपचार की व्यवस्था की गई है.
4. दो ए. पी. आई. से अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों के ग्रामों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है.
5. दूरदर्शन में मलेरिया के लक्षण, उपचार एवं बचाव हेतु जानकारी समय -समय पर दी जाकर जन जागृति के उपाय किया गये हैं.
6. समुदाय के मच्छरदानियों का कीटनाशक दवा से उपचारित कर बचाव के उपाय किए गये तथा मच्छरदानियों को वितरित किया गया है.
7. औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.
8. महामारी की सूचना हेतु सुदृढ़ सूचना तंत्र की व्यवस्था की गई है.
9. बचाव हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है.

परिशिष्ट “छः”
[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1080) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	बी. पी. एल. परिवारों की संख्या (3)
1.	राजनांदगांव	125975
2.	दुर्ग	281660
3.	बिलासपुर	238328
4.	सरगुजा	232801
5.	रायपुर	376643
6.	बस्तर	141746
7.	नारायणपुर	14899
8.	कांकेर	59741
9.	धमतरी	57513
10.	बीजापुर	27634
11.	दंतेवाड़ा	57296
12.	महासमुंद	118665
13.	कबीरधाम	83640
14.	रायगढ़	198128
15.	कोरबा	114660
16.	जशपुर	69960
17.	कोरिया	50557
18.	जांजगीर-चांपा	129030
कुल योग		23,78,876

प्रपत्र "ब"

क्र.	जिला	दिनांक 02-02-2011 की स्थिति बी. पी. एल. परिवारों को प्रदाय किये गये क्रियाशील स्मार्ट कार्ड की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	राजनांदगांव	79263
2.	दुर्ग	143122
3.	बिलासपुर	125231
4.	सर्गुजा	152145
5.	रायपुर	178713
6.	बस्तर	41146
7.	नारायणपुर	2890
8.	कांकेर	25516
9.	धमतरी	36835
10.	बीजापुर	दंतेवाड़ा में सम्मिलित
11.	दंतेवाड़ा	9631 (बीजापुर जिले सहित)
12.	महासमुंद	76362
13.	कवर्धा	43552
14.	रायगढ़	113048
15.	कोरबा	69511
16.	जशपुर	52552
17.	कोरिया	28720
18.	जांजगीर-चांपा	68482
योग		1246719

परिशिष्ट “सात”

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 393) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के रा. नि. मं. लवन में पदस्थ राजस्व निरीक्षकों की जानकारी

क्रमांक (1)	राजस्व निरीक्षक का नाम (2)	विकासखण्ड का नाम (3)	रा. नि. मं. का नाम (4)	पदस्थापना दिनांक (5)	रिमार्क (6)
1.	श्री पी. एल. देवांगन	कसडोल	कसडोल	01-07-09	
2.	श्री अमरसिंह रात्रे	पलारी	पलारी	01-01-2009	
3.	श्री नारायण लाल साहू	-- ”--	संडी	06-03-2010	
4.	श्री गणेशराम धृतलहरे	बलौदाबाजार	लवन	10-04-2000	

विकासखंड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के रा. नि. मं. लवन में पदस्थ पटवारियों की जानकारी

क्रमांक (1)	तहसील का नाम (2)	रा. नि. मं. (3)	पटवारी का नाम (4)	प. ह. नं. (5)	वर्तमान पदस्थापन दिनांक (6)	रिमार्क (7)
1.	कसडोल	कसडोल	श्री धनसाय साहू	1	16-11-09	
2.			श्री सोनाराम धृतलहरे	2	16-11-09	
3.			श्री सोनाराम धृतलहरे	रिक्त 3 अति. प्रभार	18-05-10	
4.			श्री फणिभूषण बांधे	4	18-08-10	
5.			श्री राजकुमार साहू	5	20-08-10	
6.			श्री राजेश ठाकुर	6	19-11-09	
7.			श्री प्रेमलाल साहू	7	23-11-07	
8.			श्री प्रेमलाल साहू	रिक्त 8 अति. प्रभार	23-11-07	
9.			श्री सुदर्शन दुबे	9	16-07-07	
10.			श्री सुदर्शन दुबे	रिक्त 10 अति. प्रभार	18-05-10	
11.			श्री योगेन्द्र शर्मा	रिक्त 11 अति. प्रभार	18-05-10	
12.			श्री पी. एल. देवांगन रा. नि.	रिक्त 12 अति. प्रभार	19-11-09	
13.			श्री शिवकुमार साहू	रिक्त 13 अति. प्रभार	27-11-07	
14.			श्री चोलेश शंकर साहू	14	11-12-07	
15.			श्री श्रवण कुमार पैकरा	15	23-07-07	
16.			श्री शिवकुमार साहू	रिक्त 16 अति. प्रभार	01-09-10	
17.			श्री शिवकुमार साहू	17	11-12-07	
18.			श्री भूपेन्द्र नाथ साहू	18	16-11-09	
19.			श्री कन्हैया प्रसाद सिन्हा	19	20-08-10	
20.			श्री खेमेश्वर प्रसाद साहू	20	19-11-09	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	पलारी	संडी	श्री रैनसिंह दीवान	01	15-12-09	
22.			श्री जयराम सिंह ठाकुर	02	08-12-09	फरार
			श्री रैनसिंह दीवान	अति. प्रभार	08-12-09	
23.			श्री घनश्यामप्रसाद साव	रिक्त 3 अति. प्रभार	31-03-10	
24.			श्री सोमनाथ साहू	04	08-01-11	निलंबित
			श्री रामनाथ अजगले	अति. प्रभार		
25.			श्री रामनाथ अजगले	05	30-12-09	
26.			श्री भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा	06	23-10-07	
27.			श्री नंदराम साहू	07	13-11-09	
28.			कु. शिरीष रावत	08		संलग्न
			श्री नंदराम साहू	अति. प्रभार	17-01-11	तहसील कार्या.
29.			श्रीमती आरती ठाकुर	09	08-08-10	
30.			श्री संजय नायडू	10	08-01-11	निलंबित
			श्री नंदराम साहू	अति. प्रभार		
31.			श्री सीताराम कंवर	11	13-11-09	
32.			श्री आजूराम यदुवंशी	रिक्त 12 अति. प्रभार	13-11-09	
33.			श्री अमित खरे	13	01-08-10	
34.			श्री अंजन मिश्रा	रिक्त 14 अति. प्रभार	16-08-10	
35.			श्री अंजन मिश्रा	15	13-11-09	
36.			श्री आजूराम यदुवंशी	16	13-11-09	
37.			कु. शिवकुमारी धृतलहरे	17	20-08-10	
38.			श्री मनीष साहू	18	09-08-10	
39.	पलारी	पलारी	श्री राजाचुडामणी जोशी	19	14-08-06	
40.			श्री भुवनेश्वर प्रसाद साहू	20	08-08-10	
41.			कु. संगीता भगत	21	19-08-10	
42.			श्री नरेन्द्र बोरसे	22	09-02-07	
43.			श्री शंकरलाल बांधे	23	08-08-10	
44.			श्री घनश्याम प्रसाद साव	24	02-01-08	
45.			श्री तेजपाल दुबे	25	21-12-09	
46.			श्री भोजेन्द्र कुमार ध्रुव	26	13-11-09	
47.			श्री भोजेन्द्र कुमार ध्रुव	रिक्त 27 अति. प्रभार	28-12-09	
48.			श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	28	13-11-09	
49.			श्री धनेश कुमार बंजारे	29	13-11-09	
50.			श्री धनेश कुमार बंजारे	रिक्त 30 अति. प्रभार	01-07-10	
51.			श्री सुखीराम साहू	रिक्त 31 अति. प्रभार	22-01-10	
52.			श्री प्रितम कुमार चंद्राकर	32	08-08-10	
53.			श्री सुखीराम साहू	33	13-01-09	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54.	पलारी	पलारी	श्री महेष कुमार ध्रुव	34		10-11-09
55.			श्री नरेन्द्र बोर्से	रिक्त 35 अति. प्रभार		06-07-10
56.			श्री सुरेन्द्र वर्मा	36		10-11-09
57.			श्री राजाचुड़ामणी जोशी	रिक्त 37 अति. प्रभार		01-07-10
58.	बलौदाबाजार	लवन	श्री मोहनलाल सिन्हा	20		08-12-09
59.			श्री वेदराम वर्मा	21		12-07-10
			श्री मोहनलाल सिन्हा	अति. प्रभार		08-12-09
60.			श्री विजय कुमार डहरिया	22		08-08-10
61.			श्री कार्तिकराम मत्स्यपाल	23		13-11-09
62.			श्री डेनिष कुमार ध्रुव	24		12-08-10
63.			श्री नरेन्द्र कुमार टंडन	25		13-11-09
64.			श्री घनश्याम प्रसाद साहू	रिक्त 26 अति. प्रभार		
65.	बलौदाबाजार	लवन	श्री कन्हैयालाल पुरेना	27		08-05-10
66.			श्री घनश्याम प्रसाद साहू	28		17-09-08
67.			श्री बृहस्पत प्रधान	29		12-12-09
68.			श्री देवराज दीवान	रिक्त 30 अति. प्रभार		10-07-09
69.			श्री देवराज दीवान	31		10-07-09
70.			श्री शिवसिंह			30-01-09
			श्री गणेशराम धृतलहरे रा. नि.	32 अति. प्रभार		30-01-09
71.			श्री रूपसिंह दीवान	33		13-11-09
72.			श्री गोपीचंद देवगढ़े	34		17-07-08
73.			श्री बृहस्पत प्रधान	रिक्त 35 अति. प्रभार		12-12-09
74.			श्री सत्यनारायण ध्रुव	35		30-06-07
75.			श्री तुलसीराम बर्मन	37		08-08-10
76.			श्री चित्रसेन निराला	38		12-02-07
77.			श्री मोहन लाल सिन्हा	रिक्त 39 अति. प्रभार		08-12-09
78.			श्री चित्रसेन निराला	रिक्त 40 अति. प्रभार		25-12-10
79.			श्री सत्यनारायण ध्रुव	रिक्त 41 अति. प्रभार		09-12-09

निलंबित

फरार

प्रपत्र "ब"

विधान सभा कसडोल के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के रा. नि. मं. लवन में रिक्त पटवारी हल्का नम्बर की सूची

क्र.	रिक्त प. ह. नं.	विकासखण्ड का नाम	अतिरिक्त प्रभार वाले पटवारी का नाम	प्रभार का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	03	कसडोल	श्री सोनाराम धृतलहरे	18-05-2010
2.	08	--"--	श्री प्रेमलाल साहू	23-11-2007
3.	10	--"--	श्री सुदर्शन दुबे	18-05-2010
4.	11	--"--	श्री योगेन्द्र शर्मा	18-05-2010
5.	12	--"--	श्री पी. एल. देवांगन	19-11-2009
6.	13	--"--	श्री शिवकुमार साहू	27-11-2007
7.	16	--"--	श्री शिवकुमार साहू	01-09-2010
8.	03	पलारी	श्री घनश्याम प्रसाद साव	31-03-2010
9.	12	--"--	श्री आजूराम यदुवंशी	13-11-2009
10.	14	--"--	श्री अंजन मिश्रा	16-08-2010
11.	27	--"--	श्री भोजेन्द्र कुमार ध्रुव	26-12-2009
12.	30	--"--	श्री धनेश कुमार बंजारे	01-07-2010
13.	31	--"--	श्री सुखीराम साहू	22-01-2010
14.	35	--"--	श्री नरेन्द्र बोरसे	06-07-2010
15.	37	--"--	श्री राजाचुड़ामणी जोशी	01-07-2010
16.	26	रा. नि. मं. लवन	श्री घनश्याम प्रसाद साहू	17-09-2008
17.	30	--"--	श्री देवराज दीवान	01-07-2009
18.	35	--"--	श्री बृहस्पत प्रधान	12-12-2009
19.	39	--"--	श्री मोहन लाल सिन्हा	08-12-2009
20.	40	--"--	श्री चित्रसेन निराला	25-12-2010
21.	41	--"--	श्री सत्यनारायण ध्रुव	09-12-2009

विधान सभा कसडोल के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के रा. नि. मं. लवन में विभिन्न कारणों 06 हल्कों में पदस्थ पटवारियों का प्रभार अन्य पटवारियों को दिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	रिक्त प. ह. नं.	विकासखण्ड का नाम	अतिरिक्त प्रभार वाले पटवारी का नाम	प्रभार का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	02	पलारी	श्री जयराम सिंह	फरार होने के कारण
2.	04	--"--	श्री सोमनाथ साहू	रिश्तव लेते पकड़े जाने के कारण
3.	08	--"--	कु. शिरीष राउत	तहसील कार्यालय में संलग्न होने के कारण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	10	पलारी	श्री संजय नायडू	रिश्वत लेते पकड़े जाने के कारण
5.	21	रा. नि. मं. लवन	श्री वेदराम वर्मा	रिश्वत लेते पकड़े जाने के कारण
6.	32	-- ”--	श्री शिवसिंग ध्रुव	फरार

परिशिष्ट “आठ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1288) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

आपदा प्रबंधन हेतु केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा आवंटित राशि का विवरण

वर्ष (1)	आपदा राहत निधि/राज्य आपदा मोचन निधि (राशि लाख रुपये में)		
	केन्द्रांश (2)	राज्यांश (3)	योग (4)
2008-09	9009.50	3003.00	12012.50
2009-10	13993.50	4623.50	18617.00
2010-11	5674.50	1891.50	7566.00

प्रपत्र “ब”

वर्ष (1)	आपदा राहत निधि से आवंटित एवं व्यय राशि (राशि लाख रुपये में)	
	आवंटित राशि (2)	व्यय राशि (3)
2008-09	9185.16	7218.05
2009-10	17466.63	13595.45
2010-11	18481.23	12189.64

प्रपत्र “स”

**महासमुन्द जिले में वर्ष 2009-10 में आपदा राहत निधि से क्षतिग्रस्त अधोसंरचना पुनर्स्थापना
मद अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची**

स. क्र.	विधान सभा	क्रियान्वयन एजेन्सी	कार्य का नाम	ग्राम एवं ग्राम पंचायत	विकासखण्ड	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख रुपये में)	कार्य की प्रगति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सरायपाली	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) महासमुंद.	किसडी-देवलभाठा मार्ग के क्षतिग्रस्त के किमी. 3/2 (A) 3/2 (B) पर पुलिया मरम्मत कार्य.	किसडी	सरायपाली	1.20	कार्यपूर्ण
2.	सरायपाली	-- ”--	राफेल-मानपाली-बस्तीपाली मार्ग के क्षतिग्रस्त के किमी. 2/4, 4/2, 5/2, 5/6, 5/8, 5/10 पर पुलिया मरम्मत कार्य.	बस्तीपाली	सरायपाली	2.20	कार्यपूर्ण
3.	बसना	-- ”--	भवंरपुर-पलसापाली मार्ग के किमी. 1/6, पर क्षतिग्रस्त पुलिया का मरम्मत कार्य.	भवंरपुर	बसना	2.00	कार्यपूर्ण
4.	सरायपाली	-- ”--	मुरमुरी-बंदलीमाल मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी. 1/4, 2/2, 2/8, 3/6, 5/10, 7/2, 7/4 मार्ग एवं क्षतिग्रस्त किमी. 2/4, 3/2, 5/8 (A) 5/8 (B) 6/6, 6/8, 6/10, 7/4, 7/8, 8/2, 8/6, 8/8 पर पुलिया क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य.	मुरमुरी	सरायपाली	3.60	कार्यपूर्ण
5.	सरायपाली	-- ”--	रूढा-मौलीखार मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी. 2/2, 2/4, 2/8, 3/2, 3/6, 4/4, 4/6, 4/8, 4/10, 5/6, 5/8, 5/10 का मरम्मत कार्य.	रूढा	सरायपाली	2.15	कार्यपूर्ण
6.	सरायपाली	-- ”--	मौलीखार-कलेण्डा मार्ग के किमी. 1/2 से 2/10 तक क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य.	कलेण्डा	सरायपाली	1.85	कार्यपूर्ण
7.	सरायपाली	-- ”--	भगत-सरायपाली-रायगढ़ सीमा मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी. 1/4, 1/8, 1/10, 2/4, 2/6, 2/10, 3/6, 3/8, 4/2, 4/6, 4/10, एवं पुलिया व एप्रोच क्षतिग्रस्त किमी. 5/2 का मरम्मत कार्य.	भगत-सरायपाली	सरायपाली	4.00	कार्यपूर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	बसना	कार्यपालन अभियंता लो. नि. वि. (भ./स.) महासमुन्द.	लमकेनी-भदरापाली मार्ग के किमी. 1/8, 1/10, 2/4, 2/8, 2/10, 3/4, 3/8 का मरम्मत कार्य.	लमकेनी	बसना	0.90	कार्यपूर्ण
9.	बसना	-- "--	देवरी-सोनामुन्दी मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी. 1/8, 2/2, 2/6, 2/6, 3/8, 3/10, (150 मी.) का मरम्मत कार्य.	छोटेपटनी	बसना	0.85	कार्यपूर्ण
10.	बसना	-- "--	बड़ेढाबा-छोटेपटनी-सोनामुन्दी मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी. 3/2, 4/8, 5/2, 5/6, 5/8 का मरम्मत कार्य.	बड़ेढाबा	बसना	0.60	कार्यपूर्ण
11.	बसना	-- "--	लमकसा-चिमरकेल मार्ग के किमी. 2/8, 2/10, 3/2, 3/4 क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य.	चिमरकेल	बसना	0.95	कार्यपूर्ण
12.	बसना	-- "--	अंकोरी सरायपाली मार्ग के किमी. 2/2, 2/10, 3/8, 3/10 क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य.	अंकोरी	बसना	0.60	कार्यपूर्ण
13.	बसना	-- "--	पौंसरा बड़ेटेमरी मार्ग के किमी. 2/2 (नाला एप्रोज) व किमी. 3/3, 3/4 (क्षतिग्रस्त किमी.) का मरम्मत कार्य.	पौंसरा	बसना	1.00	कार्यपूर्ण
14.	बसना	-- "--	बड़ेटेमरी-सुखापाली मार्ग के किमी. 1/4, 1/8, 1/10, 2/4, 2/6, 2/10, 3/4, (क्षतिग्रस्त) का मरम्मत कार्य.	बड़ेटेमरी	बसना	1.20	कार्यपूर्ण
15.	बसना	-- "--	बड़ेटेमरी लिंक मार्ग किमी. 1/2 से 2/6 तक मार्ग का क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य.	बड़ेटेमरी	बसना	1.00	कार्यपूर्ण
16.	बसना	-- "--	बड़ेटेमरी-डूमरपाली पिपलखुटा सोनामुन्दी मार्ग के किमी 1/2 से 3/10=3.00 किमी. (क्षतिग्रस्त भाग) का मरम्मत कार्य.	बड़ेटेमरी	बसना	1.80	कार्यपूर्ण
17.	बसना	-- "--	सिंघनपुर-तोषगांव मार्ग के किमी. 1/4 पर क्षतिग्रस्त पुलिया एवं किमी. 2/2 से 3/10=3.00 किमी. क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य.	सिंघनपुर	बसना	2.70	कार्यपूर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	सरायपाली	कार्यपालन अभियंता लो. नि. वि. (भा./वि.) महासमुन्द.	सागरपाली-जमदरहा मार्ग के किमी. 2/2, 5/4, 6/8, 9/6 (क्षतिग्रस्त) का मरम्मत कार्य.	सागरपाली	सरायपाली	1.40	कार्यपूर्ण
19.	बसना	-- "--	बड़ेसाजापाली-बुन्देलभाठा मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी. 1/4, 1/8, 1/10, 2/2, 226 पर पुलिया व पटरी मरम्मत कार्य.	बड़ेसाजापाली	बसना	1.25	कार्यपूर्ण
20.	सरायपाली	-- "--	सिंधोड़ा-बिरकोल मार्ग के किमी. 2/10, 3/2, 3/4, 3/6, 4/2, 5/6, 5/10 6/4, 7/4, 8/2, 12/2, 13/4, 13/6, 13/8, 14/2, 15/4, 15/6, 16/6, 17/2, 17/10 (क्षतिग्रस्त भाग) का मरम्मत कार्य.	सिंधोड़ा	सरायपाली	1.45	कार्यपूर्ण
21.	सरायपाली	-- "--	बोड़सरा-लम्बर मार्ग के किमी. 31/4, 31/6, 31/8, 31/10, 32/2, 32/4, 35/2, 35/4, 35/6, 36/8, 37/8, 39/4, 39/6, 39/10, 40/2, 40/4, 40/8 का मरम्मत कार्य.	बोड़सरा	सरायपाली	1.45	कार्यपूर्ण
22.	सरायपाली	-- "--	बिछिया-दुलरपाली मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी. 1/2, 1/6, 1/10, 2/10, 3/2, 3/4 का मरम्मत कार्य.	बिछिया	सरायपाली	1.25	कार्यपूर्ण
23.	सरायपाली	-- "--	झिलमिला-जम्हारी मार्ग के किमी. 1/6, 1/10, 2/4, 2/8, 3/6, 3/8, 4/6, 4/8, 5/2, 6/4, 10/2, 11/4, 11/6, 12/2 (क्षतिग्रस्त किमी.) का मरम्मत कार्य.	जम्हारी	सरायपाली	1.35	कार्यपूर्ण
24.	बसना	-- "--	बिछिया-मेढ़ापाली-उमरिया मार्ग क्षतिग्रस्त किमी. 1/4, 1/10, 2/4, 2/6, 2/10, 3/2, 3/6, 4/2, 4/4, 5/4, 6/2, 6/6, 6/10 का मरम्मत कार्य.	बिछिया	बसना	1.35	कार्यपूर्ण
25.	सरायपाली	-- "--	बघईजोर-प्रेतनडीह मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी. 1/2, 1/6, 1/10, 2/2, 2/6, 2/8 का मरम्मत कार्य.	प्रेतनडीह	सरायपाली	1.25	कार्यपूर्ण
26.	सरायपाली	-- "--	नूनपानी चकरदा मार्ग के किमी. 2/6, 2/10, 3/2, 3/4 पर (क्षतिग्रस्त किमी.) का मरम्मत कार्य.	चकरदा	सरायपाली	1.15	कार्यपूर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27.	बसना	कार्यपालन अभियंता लो. नि. वि. (भ./स.) महासमुंद.	शंकरपुर तुकड़ा से शंकरपुर सड़क मरम्मत.	शंकरपुर	पिथौरा	14.00	प्रगति पर
48.	बसना	-- ”--	सरकडा आन्तरिक सड़क में मरम्मत अन्तर्गत कांक्रिटीकरण भाग-3.	सरकडा/सरकडा	पिथौरा	5.00	कार्यपूर्ण
49.	बसना	-- ”--	सरकडा आन्तरिक सड़क में मरम्मत अन्तर्गत कांक्रिटीकरण भाग-4.	सरकडा/सरकडा	पिथौरा	5.00	कार्यपूर्ण
50.	बसना	-- ”--	ग्राम बल्दीडीह आन्तरिक सड़क में मरम्मत अन्तर्गत कांक्रिटीकरण.	सपोस/ बल्दीडीह	पिथौरा	5.00	कार्यपूर्ण
51.	बसना	-- ”--	ग्राम अम्लीडीह आन्तरिक सड़क में मरम्मत अन्तर्गत कांक्रिटीकरण.	सरकडा/ अमलीडीह	पिथौरा	5.00	कार्यपूर्ण
52.	बसना	-- ”--	चारभाठा आन्तरिक सड़क में मरम्मत अन्तर्गत कांक्रिटीकरण.	चारभाठा/ चारभाठा	पिथौरा	5.00	कार्यपूर्ण
योग :-						281.50	

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 652) के भाग (क) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ राज्य में अपहरण एवं अपहरण कर हत्या कर दी गई की जानकारी वर्ष 2010 एवं 15 जनवरी 2011 तक

क्रमांक	जिला	वर्ष 2010 से 15 जनवरी 2011 तक अपहृतों की संख्या	अपहृतों की संख्या जिसकी हत्या कर दी गई
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	59	01
2.	दुर्ग	42	04
3.	राजनांदगांव	18	00
4.	कबीरधाम	08	00
5.	धमतरी	10	01
6.	महासमुंद	08	00
7.	गरियाबंद	04	00
8.	बिलासपुर	40	01
9.	रायगढ़	20	00
10.	जांजगीर	09	01
11.	कोरबा	07	00
12.	सरगुजा	31	01
13.	जशपुर	25	00
14.	कोरिया	22	00
15.	बलरामपुर	12	00
16.	सुरजपुर	17	00
17.	जगदलपुर	18	05
18.	कांकेर	12	01
19.	दंतेवाड़ा	08	02
20.	बीजापुर	10	05
21.	नारायणपुर	12	00
22.	रेल रायपुर	02	00
योग :- 394			22

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 961) के भाग (क) की जानकारी]

युवक/युवतियों को अन्य राज्यों में अच्छे काम दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में दर्ज प्रकरणों की जानकारी अवधि 01-04-2008 से 31-01-2011 तक

क्र.	थाना	अपराध क्र.	धारा	कायमी दिनांक	ले जाये गये युवक/ युवतियों का नाम, पता	मुक्त कराये युवक/ युवतियों का नाम, पता	आरोपियों का नाम पता	गिरफ्तारी संख्या/गिर. दिनांक	आरोपी किस प्लेसमेंट एजेंसी का है	अद्यतन स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	बगीचा	47/08	363, 374 ताहि	04-04-08	1. भाईचरो बाई 16 वर्ष साकिनान मछरी डुमरपानी 2. राजमनी बाई उम्र 08 साल सा. मछरी डुमरपानी.	1. भाईचरो बाई 16 वर्ष साकिनान मछरी डुमरपानी 2. राजमनी बाई उम्र 08 थाना नारायणपुर.	वक्रसन दास आ. लकती दास पनिका 40 वर्ष सा. सिंहा थाना नारायणपुर.	01/14-04-08	-	न्यायालय में विचाराधीन है.
2.	बगीचा	49/08	363, 374 ताहि	10-04-08	कु. संगीता खलखो आ. धनी खलखो 14 साल सा. सरईपानी.	कु. संगीता खलखो आ. धनी खलखो 14 साल सा. सरईपानी.	शनि मिंज आ. सुखे उांव 21 साल सा. गोटमहुवा.	01/05-10-08	-	न्यायालय में विचाराधीन है.
3.	बगीचा	82/08	363, 366, 374, 376, 506 बी, 34 ताहि	30-05-08	फुलदेवी आ. रूप साय 16 साल सा. सुसतरी बगीचा.	फुलदेवी आ. रूप साय 16 साल सा. सुसतरी बगीचा.	1-अनिल शर्मा आ. सेवदास 23 साल, 2- सुनील शर्मा आ. बगीचा.	02/03-06-08	-	30-01-09 को दोषमुक्त सेवदास 21 साल सा. खुदागंज जिला शहजानापुर उ. प्र.
4.	जशपुर	140/08	363 भादवि	12-06-08	1. कु. मीना बाई पुत्री सिमोन लोहार 14 साल, 2. ज्ञानती बाई पुत्री दुबराज राम 15 साल साकिनान पुरानगर थाना जशपुर.	1. कु. मीना बाई पुत्री सिमोन लोहार 14 साल, 2. ज्ञानती बाई पुत्री दुबराज राम 15 साल साकिनान पुरानगर थाना जशपुर.	बालचन्द आ. सखन बसोठ 30 वर्ष सा. पुरानगर.	01/30-06-08	-	न्यायालय में विचाराधीन है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	कांसाबेल	42/08	363, 366, 367, 34	01-08-08 ताहि	1. प्रमिला बेक पुत्री प्रसुस बेक 16 वर्ष फरसाजुनाईन. 2. रेशमा मिंज पुत्री सुबल	1. प्रमिला बेक पुत्री प्रसुस बेक 16 वर्ष 2. रेशमा मिंज पुत्री सुबल	1. फुलजेस मिंज आ. पारस्कल मिंज 20 वर्ष सा. फरसाजुनाईन 2. रेशमा मिंज पुत्री सुबल मिंज 12 वर्ष साकिनान मिंज 12 वर्ष साकिनानटोपो 25 वर्ष सा. डाडपानी.	02/02-04-08 -	-	26-07-08 को दोषमुक्त
6.	पथलागांव	150/08	363 ताहि	08-09-08	1. हंसलाल आ. रतन केरकेट्टा 15 वर्ष 2. लालजीत आ. खिजू उरांव 14 वर्ष 3. संतराम आ. खरसु राम उरांव 17 वर्ष साकिनान बहनाटांगर.	1. हंसलाल आ. रतन केरकेट्टा 15 वर्ष 2. लालजीत आ. खिजू उरांव 14 वर्ष 3. संतराम आ. खरसु राम उरांव 17 वर्ष साकिनान बहनाटांगर.	सोन साय उरांव आ. कुंवर साय लकड़ा 34 वर्ष सा. ईला थाना पथलागांव.	01/08-09-08 -	-	न्यायालय में विचाराधीन है.
7.	आस्ता	17/08	363, 365 ताहि	06-08-08	1-देवीबाई 18 साल, 2-लीलाबाई 19 साल, 3-प्रसन्नाबाई 15 साल सा. ओरडीह. 4-रंजन्ती बाई 14 साल	1-देवीबाई 18 साल, 2-लीलाबाई 19 साल, 3-प्रसन्नाबाई 15 साल सा. ओरडीह. 4-रंजन्ती बाई 14 साल	अर्जुन सिंह आ. सनमान सिंह राजपूत 22 साल सा. उपरलिटीम	01/06-08-08 -	-	17-09-08 को दोषमुक्त.
8.	बगीचा	146/08	363, 374, 511 ताहि	08-10-08	1. कु. सुचिताबाई पुत्री देवनाथ राम, 2. कु. हरावती बाई पुत्री वीर साय, 3. कु. मनकुमारी बाई पुत्री बंधनराम, 4. सुधनीबाई पुत्री जयरूप राम सा. मरोल कांसाबेल, 5. बसंतीबाई पुत्री मोहन राम 14 साल सा. मरोल कांसाबेल.	1. कु. सुचिताबाई पुत्री देवनाथ राम, 2. कु. हरावती बाई पुत्री वीर साय, 3. कु. मनकुमारी बाई पुत्री बंधनराम, 4. सुधनीबाई पुत्री जयरूप राम सा. मरोल कांसाबेल, 5. बसंतीबाई पुत्री मोहन राम 14 साल सा. मरोल कांसाबेल.	मो. शाजिद मोमिन आ. अब्दुल मरहुम इब्राहम 45 साल सा. बेराडीह लुण्डा सरगुजा.	01/08-10-08 -	-	न्यायालय में विचाराधीन है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	दुल्लुला	77/08	363, 365, 370, 34 ताहि	31-10-08	1. कु. सोमारी बाई पुत्री तोरन राम लोहार 18 साल सा. दुल्लुला 2. अगस्ती उर्फ बोगी पुत्री सावन राम 14 साल सा. छेरडांड दुल्लुला.	1. कु. सोमारी बाई पुत्री तोरन राम लोहार 18 साल सा. दुल्लुला 2. अगस्ती उर्फ बोगी पुत्री सावन राम 14 साल सा. छेरडांड दुल्लुला.	1- जीवनदीप तिगा आ. दुलार वरदान तिगा 26 साल सा. छोटे गलौण्डा जशपुर 2- सुचिता तिगा पति जीवनदीप तिगा सा. छोटे गलौण्डा जशपुर 3-शोभा उर्फ प्रतापचन्द्र आ. सुखमंगल नायक सा. चांपाबारी थाना कुरुडेगा सिमडेगा झारखण्ड.	01/05-04-09	-	न्यायालय में विचाराधीन है.
10.	बागबहरा	05/09	371, 34, 365, 368 ताहि	12-01-09	1. कु. उषा भगत पुत्री राजू उरांव 12 साल 2. कु. अमिरा टोप्यो पुत्री जंगली टोप्यो 12 साल 3. कु. मनी उर्फ मनीरा मिंज पुत्री सनमेत उरांव 14 साल साकिनान डुमरबहार.	1. कु. उषा भगत पुत्री राजू उरांव 12 साल 2. कु. अमिरा टोप्यो पुत्री जंगली टोप्यो 12 साल 3. कु. मनी उर्फ मनीरा मिंज पुत्री सनमेत उरांव 14 साल साकिनान डुमरबहार.	1-सोन साय आ. कुंवर साय लकड़ा 02/13-01-09 40 वर्ष सा. ईला 2- दिल कुमार आ. छनद एक्का 19 वर्ष सा. करंगा बहला 3-कु. ललिता आ. स्व. चमर साय 15 वर्ष सा. डुमरबहार.	01/23-02-09	-	न्यायालय में विचाराधीन है.
11.	कासाबेल	90/09	363, 374, 366 ताहि	25-05-09	1. कु. सुनीता मिंज पुत्री नजारियुस मिंज 15 वर्ष 2. कु. महली बाई पुत्री हाटलु नांगवंशी 15 वर्ष साकिनान डेलडेवला घुघरी.	1. कु. सुनीता मिंज पुत्री नजारियुस मिंज 15 वर्ष 2. कु. महली बाई पुत्री हाटलु नांगवंशी 15 वर्ष साकिनान डेलडेवला घुघरी.	सत्यनारायण यादव आ. श्री राम यादव 47 वर्ष सा. विसवास थाना माडन जिला अलवार (राजस्थान)	01/26-05-09	-	28-10-09 को दोषमुक्त.
12.	दुल्लुला	47/09	363, 365, 370 ताहि	05-06-09	1-कु. अजना आ. जोहन कुचूर 14 साल, 2-अनुग्रहित आ. लौरेंस कुचूर 18 साल 3-प्रतिभा टोप्यो आ. जोन्सन टोप्यो 16 साल साकिनान गांगीमुड़ा.	1-कु. अजना आ. जोहन कुचूर 14 साल, 2-अनुग्रहित आ. लौरेंस कुचूर 18 साल 3-प्रतिभा टोप्यो आ. जोन्सन टोप्यो 16 साल साकिनान गांगीमुड़ा.	निमन राशि किस्पोट्टा आ. प्रेमप्रकाश 26 साल सा. विपतपुर डीपाटोली.	01/15-06-09	-	न्यायालय में विचाराधीन है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					4-कु. रिबका पुत्री रुबेन टोप्पो 16 साल सा. डांडपानी	4-कु. रिबका पुत्री रुबेन टोप्पो 16 साल सा. डांडपानी				
					5-कु. अलका ओमेद आ. जगदीश 16 साल दरीगड़ा	5-कु. अलका ओमेद आ. जगदीश 16 साल दरीगड़ा				
					6-कु. प्रियका पुत्री ज्वाकिम किण्डो 15 साल सा. विपतपुर डीपाटोली.	6-कु. प्रियका पुत्री ज्वाकिम किण्डो 15 साल सा. विपतपुर डीपाटोली.				
13.	जशपुर	186/09	363, 366क, 365, 370, 34 ताहि	25-06-09	1. कु. गायत्री बाई आ. सुखदेव उर्वोव 16 वर्ष सा. डुमरटोली.	1. कु. गायत्री बाई आ. सुखदेव उर्वोव 16 वर्ष सा. डुमरटोली.	1. अनिमा बाई 2. अनिमा का जीजा सा. खोंगा थाना आस्ता.	19-06-09 2/21-12-10	-	प्रकरण विवेचना में है.
14.	आस्ता	11/09	363, 365 ताहि	03-07-09	1. सुनीता मिंज आ. अन्जलुस मिंज 19 साल सा. नडार	1. सुनीता मिंज आ. अन्जलुस मिंज 19 साल सा. नडार	शमीम अंसारी आ. मो. फजल अंसारी सा. आस्ता.	01/04-09-09	-	न्यायालय में विचाराधीन है.
15.	जशपुर	222/09	363, 365, 370, 366क, 34 ताहि	30-07-09	दुर्गाबाई पुत्री बिहारी महली 14 साल सा. पुरानगर जशपुर.	दुर्गाबाई पुत्री बिहारी महली 14 साल सा. पुरानगर जशपुर.	1-गणेश मुण्डा, 2-चदरो उर्फ चडया साकिनान पुरानगर जशपुर.	आरोपियों की गिरफ्तारी होना शेष है.	-	प्रकरण विवेचना में लंबित है.
16.	जशपुर	223/09	363, 365, 370, 34 ताहि	31-07-09	1. कु. प्रियंका पुत्री राजू यादव 17 साल, 2. कु. श्वेता पुत्री चरकू यादव 15 साल साकिनान बेलपहाड़ जशपुर.	1. कु. प्रियंका पुत्री राजू यादव 17 साल, 2. कु. श्वेता पुत्री चरकू यादव 15 साल साकिनान बेलपहाड़ जशपुर.	1-वजीफ आ. एहसान मियां 30 साल, 2-कपिल यादव साकिनान बेलपहाड़, जशपुर.	02/17-08-09	-	न्यायालय में विचाराधीन है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17.	बगीचा	211/09	370, 371, 34 ताहि	10-09-09	1-कु. मयती बाई आ. गोपाल राम उरॉव 14 साल 2-कु. जयन्ती बाई आ. भुनेश्वर उरॉव 14 साल सा. सरडीह 3-कु. अरूणा उम्र 17 साल 4-कु. मात्रे बाई उम्र 20 साल 5-कु. मति केरकेट्टा 20 साल.	1-कु. मयती बाई आ. गोपाल राम उरॉव 14 साल 2-कु. जयन्ती बाई आ. भुनेश्वर उरॉव 14 साल सा. सरडीह 3-कु. अरूणा उम्र 17 साल 4-कु. मात्रे बाई उम्र 20 साल 5-कु. मति केरकेट्टा 20 साल.	1-कु. मुजू आ. सेहर सिंह उरॉव 25 साल सरडीह 2-खोडे राम आ. कमला राम 27 साल सा. सरडीह.	02/10-09-09	-	न्यायालय में विचाराधीन है.
18.	बगीचा	12/10	370, 371, 34 ताहि	19-01-10	1. मुकेश यादव आ. नोबिन्दो राम यादव 19 साल सा. फुलडीह, 2-योगेश नोसिया आ. श्यामलाल नोसिया 19 साल सा. फुलडीह, 3-बसंत राम आ. सुधराम नोसिया 18 साल सा. बंध, 4-बिरेन्द्र राम आ. भरतराम नोसिया 18 साल सा. बंध, 5- सुखराम आ. मवेल राम 15 साल सा. बंध, 6-जितेन्द्र राम आ. मंगलराम लोहार 18 साल सा. बंध, 7-उमाशंकर आ. बसंत नोसिया 19 साल सा. बंध, 8-जीवन कुजू आ. मरियानुस कुजू 18 साल सा. बेतरा,	1. मुकेश यादव आ. नोबिन्दो राम यादव 19 साल सा. फुलडीह, 2-योगेश नोसिया आ. श्यामलाल नोसिया 19 साल सा. फुलडीह, 3-बसंत राम आ. सुधराम नोसिया 18 साल सा. बंध, 4-बिरेन्द्र राम आ. भरतराम नोसिया 18 साल सा. बंध, 5- सुखराम आ. मवेल राम 15 साल सा. बंध, 6-जितेन्द्र राम आ. मंगलराम लोहार 18 साल सा. बंध, 7-उमाशंकर आ. बसंत नोसिया 19 साल सा. बंध, 8-जीवन कुजू आ. मरियानुस कुजू 18 साल सा. बेतरा,	1-कु. मुजू आ. सेहर सिंह उरॉव 25 साल सरडीह 2-खोडे राम आ. कमला राम 27 साल सा. सरडीह. 38 साल सा. रम्पुर थाना- नारायणपुर. 2-बसंत लोहार आ. कोला लोहार 27 साल सा. गुरम्हाकोना.	02/22-01-10	-	चालान न्यायालय पेश

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				9-सतीश गयार आ. विफडया गयार कोरबा आ. सनी राम कोरबा 15 साल सा. बेतरा 10-गुलाब कोरबा आ. सनी राम कोरबा 15 साल सा. बेतरा.	9-सतीश गयार आ. विफडया गयार कोरबा आ. सनी राम कोरबा 15 साल सा. बेतरा 10-गुलाब कोरबा आ. सनी राम कोरबा 15 साल सा. बेतरा.					
19.	दुलदुला	08/10	363, 366, 370, 34 ताहि	28-02-10	1-कु. कांती बाई पुत्री जंगलू राम डोम उम्र 14 साल सा. बंगूरकेला 2-सुनिता बाई पुत्री जगर राम लोहार 16 साल सा. बंगूरकेला.	1-कु. कांती बाई पुत्री जंगलू राम डोम उम्र 14 साल सा. बंगूरकेला थाना दुलदुला	झगन राम आ. बिछी राम जाति डोम उम्र 30 साल सा. डोभ फारार है.	01/15-03-10 - एवं एक आरोपी फारार है.	-	विवेचना में है एवं एक लडकी अदम दस्तयाब है.
20.	वौकी आरा थाना जशपुर	120/10	363, 34 ताहि	15-05-10	1-कु. वृन्दावती बाई पुत्री घनश्याम सिंह रौतिया उम्र 15 साल सा. बरगांव 2-कु. सुभद्रा बाई पुत्री बिधेश्वर सिंह रौतिया उम्र 15 साल सा. बरगांव.	1-कु. वृन्दावती बाई पुत्री घनश्याम सिंह रौतिया उम्र 15 साल सा. बरगांव 2-कु. सुभद्रा बाई पुत्री बिधेश्वर सिंह रौतिया उम्र 15 साल सा. बरगांव.	1-इन्दरनाथ तुरी, आ. गोविन्द राम 26 साल, 2-अंजनी तुरी पुत्री गोविन्द राम 21 साल साकिनान माधेटोली. आरा.	02/11-09-09 168/ 16- 9-09		प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है.
21.	नारायणपुर	43/10	363, 342 ताहि	29-05-10	कुमारी बाई पुत्री दुरजन राम मलार उम्र 14 साल सा. पकरीकछार.	-	1-जसिता सा. नकवार पण्डरीपानी 2-पेन्सू तिकी आ. बोनीफास तिकी सा. पकरीकछार. 3-श्रीमती कलोर तिकी पति पेन्सू तिकी सा पकरीकछार.	01/17-09-10 - 02/20-10-10	-	प्रकरण में चालान न्यायालय पेश किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22.	नारायणपुर 45/10	363 ताहि	10-06-10	कु. आरती चौहान पुत्री बुधनाथ राम चौहान उम्र 16 साल सा. बछ्राव.	कु. आरती चौहान पुत्री बुधनाथ राम चौहान उम्र 16 साल सा. बछ्राव.	कु. आरती चौहान पुत्री बुधनाथ राम चौहान उम्र 16 साल सा. बछ्राव. बंगाल.	तरुण विश्वास आ. गुरुपद विश्वास सा. लियगंगा थाना गगनापुर जिला नदिया पश्चिम बंगाल.	-	-	प्रकरण विवेचना में लंबित है.
23.	कांसाबेल 88/10	363, 367, 371, 34 ताहि	26-06-10	1-कु. अमिता एक्का पुत्री फबियानुस 17 साल 2-सुषमा लकड़ा पुत्री जुलियुस लकड़ा 19 साल 3-दिलीप राम आ. साधु राम कोरबा 14 साल 4-राजकुमार आ. बाला राम कोरबा 20 साल सभी साकिनान घुघरी बहारटोली.	1-कु. अमिता एक्का पुत्री फबियानुस 17 साल 2-सुषमा लकड़ा पुत्री जुलियुस लकड़ा 19 साल 3-दिलीप राम आ. साधु राम कोरबा 14 साल 4-राजकुमार आ. बाला राम कोरबा 20 साल सभी साकिनान घुघरी बहारटोली.	1-कु. राजपति बाई पुत्री महेन्द्र लोहार उम्र 18 साल 2-श्रीमती कमला बाई पति भुना राम कोरबा उम्र 40 साल साकिनान घुघरी बहारटोली.	02/26-06-10	-	चालान न्यायालय पेश.	
24.	दुलदुला 43/10	363, 366, 368, 376, 34 ताहि	10-08-10	1-कु. सालिनी एक्का पुत्री निस्तार एक्का 17 साल सा. सुनकाडांड. 2-कु. मनीषा एक्का पुत्री प्रदीप एक्का 16 साल सा. सुनकाडांड 3-कु. सुरेखा आ. रामसाय उम्र 16 साल सा. सुनकाडांड.	1-कु. सालिनी एक्का पुत्री निस्तार एक्का 17 साल सा. सुनकाडांड. 2-कु. मनीषा एक्का पुत्री प्रदीप एक्का 16 साल सा. सुनकाडांड 3-कु. सुरेखा आ. रामसाय उम्र 16 साल सा. सुनकाडांड.	1-संकुतला पुत्री जीतु उरॉव 23 साल सा. सुनकाडांड, 2-शैलेश कुमसा सिंह आ. मदन ठठेरा 26 साल सा. केदारपुर सरगुजा एवं 01 अन्य.	01/12-08-10	01/18-08-10	-	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है.
25.	कांसाबेल 130/10	363, 367 ताहि	20-08-10	1-रामेश्वर आ. प्रेमसाय ग्यार 18 साल 2-छेरतू राम आ. बंधन राम नागवंशी 15 साल 3-नंदकुमार आ. भोला राम नागवंशी 15 साल 4-अर्जुन आ. देवनीष राम नागवंशी 16 साल	1-रामेश्वर आ. प्रेमसाय ग्यार 18 साल 2-छेरतू राम आ. बंधन राम नागवंशी 15 साल 3-नंदकुमार आ. भोला राम नागवंशी 15 साल 4-अर्जुन आ. देवनीष राम नागवंशी 16 साल	सियाराम आ. लुथरू राम लोहार उम्र 50 साल सा. कदमटोली घुघरी 2-मुकेश कुमार आ. मंगल सिंह गोंड उम्र 25 साल सा. भागा बिछिया जिला मंडला हा. मु. काशी नागर तेलीबांधा रायपुर.	02/21-08-10	-	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				5-जगद्वेव राम आ. घना राम नागवंशी 16 साल, 6- रतिया राम आ. हीरा साय नागवंशी 15 साल सा. घुघरी.	5-जगद्वेव राम आ. घना राम नागवंशी 16 साल, 6- रतिया राम आ. हीरा साय नागवंशी 15 साल सा. घुघरी.					
26.	जशपुर	275/10 363, 370, 371 ताहि	09-10-10	1-कु. पार्वती बाई पुत्री बुधनाथ लोहार 15 साल, 2-कु. सूजा प्रियंका पुत्री कुलदीप बखला 15 साल साकिनान पोरेतेगा.	1-कु. पार्वती बाई पुत्री बुधनाथ लोहार 15 साल, 2-कु. सूजा प्रियंका पुत्री कुलदीप बखला 15 साल साकिनान पोरेतेगा.	श्रीमती सुकरी बाई पति जयश्री 45 साल जाति लोहार सा. पोरेतेगा तेतरटोली.	01/10-10-10	-		प्रकरण चालान न्यायालय में पेश.
27.	कुनकुरी	147/10 363 ताहि	03-10-10	अपहृत/मृतक रून राम उम्र 15 साल सा. खारीझरिया	मृतक	1-दीनु राम लोहार, 2-राजू राम लोहार सा. जाममुड़ा दोकड़ा	02/05-10-10	-		प्रकरण में चालानी कार्यवाही शेष है.
28.	दुलदुला	79/10 363, 366क ताहि. 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट	18-12-10	कु. नीता बाई पुत्री सुखदेव राम डोम उम्र 13 साल सा. सिमड़ा थाना दुलदुला.	-	कांशीलाल आ. बमवारी लोहार सा. सिमगा थाना दुलदुला.	-	-		प्रकरण विवेचना में लंबित है.
29.	कुनकुरी	09/11 363 ताहि	24-01-11	1-मुकेश आ. गौरा राम रौतिया 17 साल, 2-सती उर्फ सच्चिदानंद आ. दशरथ दास गोस्वामी 15 साल, 3-धनेश्वर आ. शिवलाल रौतिया 16 साल साकिनान पण्डरीपानी थाना कुनकुरी.	1-मुकेश आ. गौरा राम रौतिया 17 साल, 2-सती उर्फ सच्चिदानंद आ. दशरथ दास गोस्वामी 15 साल, 3-धनेश्वर आ. शिवलाल रौतिया 16 साल साकिनान पण्डरीपानी थाना कुनकुरी.	1-चेरू उर्फ तिलकेश्वर राम आ. कलारू राम लोहार 21 साल सा. टागरपानी, 2-पील्टन उर्फ रमाशंकर आ. दीप साय लोहार 25 साल सा. कुम्हारबहार थाना फरसाबहार, 3-धरमी राम आ. दुना राम चीम 25 साल सा. बारो थाना फरसाबहार.	03/25-01-11	-		चालानी कार्यवाही शेष है.

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रिनोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “ग्यारह”

[परिवर्तित अतारांकित प्र न संख्या 02 (क. 201) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

प्रदेश में स्थापित जिलेवार पुलिस चौकी एवं पुलिस थानों की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	स्थापित	
		थाना	चौकी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	39	13
2.	दुर्ग	39	12
3.	धमतरी	8	2
4.	राजनांदगांव	25	2
5.	कबीरधाम	13	2
6.	महासमुंद	8	5
7.	गरियाबंद	5	1
8.	बिलासपुर	25	6
9.	जांजगीर—चांपा	16	3
10.	कोरबा	12	4
11.	रायगढ़	19	5
12.	जगदलपुर	23	5
13.	नारायणपुर	7	0
14.	कांकेर	17	3
15.	दंतेवाड़ा	23	1
16.	बीजापुर	18	0
17.	सरगुजा	12	2
18.	बलरामपुर	12	5
19.	कोरिया	12	4
20.	सूरजपुर	14	7
21.	ज पुर	12	7
22.	रेल रायपुर	5	2
योग		364	91

प्रपत्र "ब"

प्रदेश में स्थापित पुलिस चौकी एवं पुलिस थाना में जिलेवार स्वीकृत पद एवं कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	स्वीकृत पद		कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	
		थाना (3)	चौकी (4)	थाना (5)	चौकी (6)
1.	रायपुर	2760	341	1490	99
2.	दुर्ग	1629	148	1355	144
3.	धमतरी	398	29	257	18
4.	राजनांदगांव	1346	31	882	27
5.	कबीरधाम	685	68	391	29
6.	महासमुंद	174	72	153	34
7.	गरियाबंद (पुलिस जिला)	228	18	90	8
8.	बिलासपुर	799	70	685	51
9.	जांजगीर-चांपा	503	48	448	33
10.	कोरबा	371	50	293	28
11.	रायगढ़	544	76	507	69
12.	जगदलपुर	1344	120	985	210
13.	नारायणपुर	455	0	332	0
14.	कांकेर	1058	79	719	66
15.	दंतेवाड़ा	1424	20	870	10
16.	बीजापुर	1140	0	615	0
17.	सरगुजा	601	54	349	28
18.	बलरामपुर (पुलिस जिला)	796	162	494	137
19.	कोरिया	402	108	314	42
20.	सूरजपुर (पुलिस जिला)	679	10	547	163
21.	ज एफ़	388	186	236	109
22.	रेल रायपुर	308	16	318	16
योग		18032	1906	12330	1321

परिशिष्ट “बारह”

[परिवर्तित अतारांकित प्र न संख्या 03 (क. 349) के भाग (ख) की जानकारी]

कुरुद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से 31-01-11 तक मिलावटी खाद्यान्न की जानकारी

क्रमांक	खाद्य निरीक्षक का नाम	आरोपी का नाम एवं पता	खाद्य पदार्थ का नाम	नमूना लेने का दिनांक	जॉच परिणाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव	श्री विवेक कुमार साहू, उम्र 55 वर्ष, आ. स्व. श्री राम सिंह साहू, मालिक कृष्णा स्वीट्स एण्ड भोजनालय, मेन रोड कुरुद, जिला धमतरी (छ. ग.)	चमचम मिठाई 1500 ग्राम	29-10-2009	अपमिश्रित	प्रकरण विवेचना में है

परिशिष्ट “तेरह”

[परिवर्तित अतारांकित प्र न संख्या 08 (क. 522) के भाग (क) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा में वर्ष 2008-09 लाभान्वित बच्चों की जानकारी :-

क्रमांक	विकासखण्ड	गांव का नाम	लाभान्वित बच्चों की संख्या	लाभान्वित बच्चे का नाम	पिता का नाम	लाभान्वित दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डभरा	चंद्रपुर	01	तुलसी वैश्रणव	मनोज वैश्रणव	7-10-2008
2.	अकलतरा	तागा	01	गायत्री	खींखराम	10-10-2008
3.	अकलतरा	वार्ड क. 1 परसदाखुर्द	01	रामे वरी पटेल	श्री दुजेलाल	8-11-2008
4.	अकलतरा	वार्ड 6 ग्रा. बुचीहरदी	01	ममता	श्री दुलार साये	4-3-2009
5.	अकलतरा	ग्राम. व तह. अकलतरा	01	हर्ष पुरोहित	लक्ष्मीकांत पुरोहित	28-3-2009
6.	पामगढ़	खरौद	01	अरवि ।	तीजराम यादव	26-11-2008
7.	जैजैपुर	कैथा	01	अनुज कुमार	धनारामा कुर्रे	22-1-2009
8.	बलौदा	रसौटा	01	सुनन्दा	लखन लाल	3-3-2009

जांजगीर-चांपा में वर्ष 2010 लाभान्वित बच्चों की जानकारी :-

1.	डभरा	मेढापाली	01	संजना खुटे	जीवनलाल खुटे	3-4-2009
2.	डभरा	क्वलाझार,	01	भोमे । कुमार	निलम कुमार चंद्रा	18-8-2009
3.	डभरा	जवाली	01	लक्की पटेल	योग । पटेल	2-12-2009
4.	डभरा	कोंसी	01	बेबी तेजस्वी	कौ । ल कि ।ोर बरेट	15-12-2009
5.	डभरा	टुण्डी वार्ड क 13	01	खु ।बु धीरहे	तहजराम धीरहे	28-1-2010
6.	डभरा	कोयो	01	उमा ।ंकर पटेल	हरिलाल पटेल	31-3-2010
7.	अकलतरा	करुमहूँ	01	मास्टर राजे वर लहरे	चिंताराम लहरे	10-04-2009
8.	अकलतरा	मुलीडीह	01	राजकुमार बंजारे	राजेन्द्र कुमार बंजारे	29-10-2009
9.	अकलतरा	देवरी	01	अरुण कुंमार मार्बल	कमल प्रसाद मार्बल	9-11-2009
10.	अकलतरा	सोरमाल	01	अभिशोक पाटले	महेन्द्र कुमार पाटले	19-11-2009
11.	अकलतरा	तिलई	01	अमित कुमार कौ । क	गोपाल कौ । क	25-10-2010
12.	अकलतरा	परसदा	01	हिमां ।ु वर्मा	रमे । कुमार वर्मा	3-11-2010
13.	बम्हनीडीह	सारागांव	01	राजे । कुमार यादव.	लखन यादव	26-4-2009
14.	बलौदा	।वनी चांपा	01	कंचन साहू	विजय साहू	28-8-2009
15.	पामगढ़	रसौटा	01	प्राची गौतम	संजीव कुमार गौतम	25-08-2010
16.	मालखरौदा	सपिया	01	विक्रम भास्कर	राजकुमार भास्कर	1-5-2009
17.	पामगढ़	चेउडीह	01	सुमीत कुमार	राजाराम पात्रे	25-5-2009
18.	बलौदा	पिसौद	01	भा । कला साहू	राम साहू	25-5-2009

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	बम्हनीडीह	कोटाडबरी	01	तुशार पटेल	मालिकराम पटेल	30-06-2009
20.	बम्हनीडीह	नकठीडीह	01	उमा चंद्रा	श्री सोकीलाल चंद्रा	24-7-2009
21.	मालखरौदा	मोहन्दीकला	01	बेबी दिव्या देवांगन	रमभे वर देवांगन	6-8-2009
22.	मालखरौदा	आडिल	01	रो ली	नवरतन लाल	6-2-2010
23.	मालखरौदा	कलमी वार्ड क्र. 4	01	मुके टा कुमार यादव	छतराम यादव	20-5-2010
24.	मालखरौदा	जोखा	01	चैन कुमार	लक्ष्मी प्रसाद	29-9-2010
25.	बलौदा	औराईकला	01	सोमनाथ साहू	विजय कुमार साहू	18-8-2009
26.	सक्ति	सोंठी	01	साकेत कुमार कामे श्रीवास	वर श्रीवास	14-3-2010
27.	सक्ति	सकरेली कला	01	कुमार नाई	नोहर साय	31-8-2009
28.	पामगढ़	बुन्देला	01	रोमे टा कुमार क यप	जसपाल क यप	8-4-2010
29.	पामगढ़	मेकरी	01	आयूश	विरेन्द्र रात्रे	16-2-2010
30.	डभरा	चंद्रपुर वार्ड क्र 13	01	लसिका निशाद	कृष्ण कुमार निशाद	6-3-2010
31.	जैजैपुर	जैजैपुर	01	अन्नू	सुरेन्द्र कुमार चन्द्रा	13-10-2010

परिशिष्ट “चौदह”

[परिवर्तित अतारांकित प्र न संख्या 09 (क. 588) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक	विकासखंड	स्वास्थ्य संस्था का नाम	डाक्टरों के स्वीकृत पद	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पाली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाली	08	03
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरदीकला	02	01
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उतरदा	02	02
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाफा	02	02
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोरबी	02	02
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चैतमा	02	01
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपलवा	02	01
2.	पोड़ी उपरोड़ा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोड़ी उपरोड़ा	08	07
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पसान	02	02
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महोरा	02	02
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जटगा	02	01
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुमान	02	02
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोरगा	02	02
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोरबी	01	01
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरमिना	02	02
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटोरीनगोई	02	02
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरिया	02	02
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालपुर	02	02
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गाचाडोली	02	02

परिशिष्ट “पंद्रह”

[परिवर्तित अतारांकित प्र न संख्या 16 (क. 1112) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क.	निजी महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रिक्षण केन्द्र	क.	निजी पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रिक्षण केन्द्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रतिभा इंस्टीट्यूट आफ नर्सिंग रायपुर	1.	मानव मित्र संस्था अभनपुर रायपुर
2.	श्री रि अभदेव एजुकेशन सोसायटी रायपुर	2.	श्री रि अभदेव एजुकेशन सोसायटी रायपुर
3.	सी. जी. स्कूल आफ नर्सिंग रायपुर	3.	एकता सृजन सेवा समिति रायपुर
4.	मानव मित्र संस्था बेलभाटा रायपुर	4.	सुगंध हेल्थ एण्ड एजेकुशन फाउंडेशन रायपुर
5.	अमर सिंह राठौर प्रिक्षण समिति, रायपुर	5.	प्रतिभा इंस्टीट्यूट आफ एमपीडब्ल्यू रायपुर
6.	आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट प्रायवेट लिमिटेड रायपुर	6.	सृष्टि सेवा संस्थान रायपुर
7.	सृष्टि एएनएम प्रिक्षण केन्द्र रायपुर	7.	अमर सिंह राठौर प्रिक्षण रायपुर
8.	सर्वदा सृजन प्रिक्षण एवं सेवा संस्थान रायपुर	8.	रि अभदेव एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायपुर
9.	पं. गोकुल कमला मेमोरियल बिलासपुर	9.	आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट रायपुर
10.	रि अभदेव एजुकेशन एवं रिसर्च सेंटर बिलासपुर	10.	पं. गोकुल कमला मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी बिलासपुर
11.	सी. जी. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बिलासपुर	11.	रि अभदेव एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट बिलासपुर.
12.	संदीपनी एकेडमी बिलासपुर	12.	सी. जी. इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्रा. लि. बिलासपुर.
13.	अमर सिंह राठौर प्रिक्षण समिति जांजगीर	13.	अमर सिंह राठौर प्रिक्षण समिति जांजगीर
14.	सूर्या प्रिक्षण समिति जांजगीर	14.	सूर्या प्रिक्षण समिति जांजगीर
15.	पी. जी. नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई दुर्ग.	15.	बहु. स्वा. प्रिक्षण समिति अंबिकापुर
16.	श्रेयस कॉलेज आफ नर्सिंग भिलाई, दुर्ग	16.	वी केयर वेलफेयर सोसायटी अंबिकापुर
17.	गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, दुर्ग.	17.	गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई दुर्ग
18.	श्री चन्द्रा एजुकेशन सोसायटी भिलाई, दुर्ग	18.	श्रेयस स्कूल ऑफ नर्सिंग भिलाई दुर्ग
19.	स्कूल आफ नर्सिंग जयपुर	19.	गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई दुर्ग
20.	मानव मित्र संस्था कबीरधाम	20.	मानव मित्र संस्था कबीरधाम
21.	अरफ़ी देवी सेवा संस्थान महासमुंद	21.	संस्कृति प्रिक्षण समिति कबीरधाम
22.	श्री मंगला एएनएम प्रिक्षण केन्द्र रायगढ़	22.	सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर कोरबा.
23.	श्री सिद्धी बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग राजनांदगांव	23.	फेलोशिप एजुकेशन एण्ड चैरिटेबल आर्गनाइजेशन महासमुंद.
24.	सृष्टि इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस कोरबा	24.	पब्लिक हेल्थ केयर आर्गनाइजेशन बसना महासमुंद
25.	फेलोशिप स्कूल आफ नर्सिंग महासमुंद	25.	मां. मंगला पु. बहु. स्वा. कार्य. रायगढ़
26.	स्व. वेदवती दुबे प्रिक्षण समिति अंबिकापुर	26.	श्री सिद्धी बालाजी प्रिक्षण एवं प्रिक्षण संस्थान राजनांदगांव.
27.	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस रायपुर	27.	श्री राम सेवा सोसायटी रायपुर
28.	जन स्वास्थ्य सहयोग समिति बिलासपुर	28.	जय मां वीणा पाणि प्रिक्षण समिति रायपुर
29.	आदेवर प्रिक्षण समिति जगदलपुर	29.	स्वाती एजुकेशन सोसायटी एम. पी. डब्ल्यू. रायपुर
30.	आदेवर प्रिक्षण समिति कांकेर	30.	रत्ना एजुकेशन समिति बिलासपुर
		31.	भारती एजुकेशन सोसायटी धमतरी

(1)	(2)	(3)	(4)
		32.	आदे वर चिकित्सा समिति जगदलपुर
		33.	स्व. वेदवती दुबे िक्षण समिति अंबिकापुर
		34.	सावित्री एजुके िन एवं इनवायरमेंटल सोसायटी कांकेर
		35.	आदे वर िक्षण समिति कांकेर
		36.	एकता सृजन सेवा समिति रायपुर कृते बैकुण्ठपुर जिला कोरिया.
		37.	लवकु ि एजुके िन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पत्थलगांव, जिला ज िपुर.
		38.	चन्द्रा एजुके िन सोसायटी दुर्ग

(1)	(2)
17.	एम. पी. डब्ल्यू बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण कर पंजीयन कराने की दृष्टि में भासकीय सेवा में नियोजन की कोई गारंटी नहीं होगी. पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर विभाग की सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पृथक से पद विज्ञापित कर ही भर्ती की कार्यवाही की जावेगी.
18.	यदि कोई निजी संस्था प्रशिक्षण हेतु भासकीय चिकित्सालय का उपयोग करना चाहती है तो इस हेतु संस्था को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से पृथक से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा इस प्रकार की अनुमति दिये जाने की दृष्टि में संस्था द्वारा विद्यार्थियों से लिये जाने वाले फीस का 10 प्रतिशत संबंधित भासकीय चिकित्सालय की जीवनदीप समिति को प्रशिक्षण भुक्त/ चिकित्सालय किराया के रूप से देय होगा.
19.	उपरोक्त भर्तियों पर पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु निजी क्षेत्रों की संस्थाओं को भासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसके आधार पर पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन व मान्यता के आवेदन पर विचार किया जा सकेगा. भर्तियों का पालन संबंधित संस्था द्वारा किया जा रहा है या नहीं, यह परीक्षण कर प्रतिवेदन लेने का दायित्व संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का होगा.
20.	पुरुष, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र का प्रशिक्षण केन्द्र सत्र जनवरी से प्रारम्भ किया जाना होता है.

क.	महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु भारतीय परिचर्या परिशद् के अनुसार मापदण्ड एवं भर्ती
(1)	(2)
1.	प्रशिक्षण केन्द्र किसी 30 से 50 बिस्तर अस्पताल के क्षेत्र में होकर उस अस्पताल से सम्बद्ध होना चाहिए.
2.	प्रायोगिक सुविधा उपलब्ध हो.
3.	प्रशिक्षण कार्य हेतु समुचित अमला उपलब्ध हो.
4.	प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालय एवं हॉस्टल हेतु भारतीय परिचर्या परिशद् के अनुरूप अमला हो.
5.	भारतीय परिचर्या परिशद् के मापदण्ड के अनुसार प्रशिक्षण एवं हॉस्टल भवन आदि के लिये पर्याप्त जगह हो.
6.	लाईब्रेरी, प्रयोगशाला, परिवहन, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध हो.

प्रपत्र "स"

भासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

क्र.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम एवं स्थान	स्वीकृत सीट संख्या	भरी हुई सीट
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, जगदलपुर	60	60
2.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, कोण्डागांव	40	40
3.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, धमतरी	60	60
4.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, राजनांदगांव	40	40
5.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, रायगढ़	60	60
6.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, अम्बिकापुर	60	60
7.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, ज. ापुर	30	30
8.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर	40	40
9.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, कांकेर	30	30
10.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, कोरबा	40	40
11.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, कोरिया	40	40
12.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, महासमुंद	40	40
13.	महिला बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, दंतेवाड़ा	40	40

भासकीय पुरुष बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केन्द्र

1.	पुरुष बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, दुर्ग	60	60
2.	पुरुष बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, अंबिकापुर	60	60
3.	पुरुष बहुउद्देशीय स्वा. कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र, पंखाजूर, कांकेर	60	60

निजी महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

क्र.	प्रशिक्षण केन्द्र/समिति का नाम एवं स्थान	स्वीकृत सीट संख्या	भरी हुई सीट
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रतिभा इंस्टीट्यूट आफ नर्सिंग रायपुर	40	40
2.	श्री रिाभदेव एजुकेान सोसायटी रायपुर	60	60
3.	सी. जी. स्कूल आफ नर्सिंग रायपुर	60	30
4.	मानव मित्र संस्था बेलभाटा रायपुर	60	60
5.	अमर सिंह राठौर िाक्षण समिति, रायपुर	30	30
6.	आदर्ा नर्सिंग इंस्टीट्यूट प्रायवेट लिमिटेड रायपुर	60	41
7.	सृशिट एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर	30	30
8.	सर्वदा सृजन िाक्षण एवं सेवा संस्थान रायपुर	40	40
9.	पं. गोकुल कमला मेमोरियल बिलासपुर	40	20
10.	रिाभदेव एजुकेान एवं रिसर्च सेंटर बिलासपुर	40	40
11.	सी. जी. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बिलासपुर	60	60
12.	सांदीपनी एकेडमी बिलासपुर	40	40
13.	अमर सिंह राठौर िाक्षण समिति जांजगीर	25	25
14.	सूर्या िाक्षण समिति जांजगीर	60	60
15.	पी. जी. नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई, दुर्ग.	50	50
16.	श्रेयस कॉलेज आफ नर्सिंग भिलाई, दुर्ग	30	26
17.	गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, दुर्ग.	40	40
18.	श्री चन्द्रा एजुकेान सोसायटी भिलाई, दुर्ग	30	30
19.	स्कूल आफ नर्सिंग जापुर	20	20
20.	मानव मित्र संस्था कबीरधाम	30	30
21.	अारफी देवी सेवा संस्थान महासमुंद	30	30
22.	मॉ मंगला एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र रायगढ़	60	60
23.	श्री सिद्धी बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग राजनांदगांव	40	30
24.	सृशिट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस कोरबा	40	40
25.	फेलोशिप स्कूल आफ नर्सिंग महासमुंद	60	30
26.	स्व. वेदवती दुबे िाक्षण समिति अंबिकापुर	30	30
27.	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस रायपुर	30	29
28.	जन स्वास्थ्य सहयोग समिति बिलासपुर	25	25
29.	आदेवर िाक्षण समिति जगदलपुर	40	40
30.	आदेवर िाक्षण समिति कांकेर	60	60

निजी पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

क्र.	प्रशिक्षण केन्द्र/समिति का नाम एवं स्थान	स्वीकृत सीट संख्या	भरी हुई सीट
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मानव मित्र संस्था अभनपुर रायपुर	100	100
2.	श्री रिभदेव एजुकेशन सोसायटी रायपुर	60	60
3.	एकता सृजन सेवा समिति रायपुर	50	41
4.	सुगंध हेल्थ एण्ड एजुकेशन फाउंडेशन	60	60
5.	प्रतिभा इंस्टीट्यूट ऑफ एमपीडब्ल्यू रायपुर	60	60
6.	सृष्टि सेवा संस्थान रायपुर	60	30
7.	अमर सिंह राठौर शिक्षण रायपुर	55	41
8.	रिभदेव एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायपुर	40	40
9.	आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट रायपुर	60	0
10.	पं. गोकुल कमला मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी बिलासपुर	20	20
11.	रिभदेव एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट बिलासपुर	40	40
12.	सी. जी. इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्रा. लि. बिलासपुर	60	60
13.	अमर सिंह राठौर शिक्षण समिति जांजगीर	55	46
14.	सूर्या शिक्षण समिति जांजगीर	60	48
15.	बहु. स्वा. शिक्षण समिति अंबिकापुर	30	30
16.	वी केयर वेलफेयर सोसायटी अंबिकापुर	60	29
17.	गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई दुर्ग	60	60
18.	श्रेयास स्कूल ऑफ नर्सिंग भिलाई दुर्ग	100	30
19.	गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई दुर्ग	60	60
20.	मानव मित्र संस्था कबीरधाम	60	60
21.	संस्कृति शिक्षा समिति कबीरधाम	60	60
22.	सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर कोरबा	30	30
23.	फेलोशिप एजुकेशन एण्ड चैरिटेबल आर्गनाइजेशन महासमुंद	45	45
24.	पब्लिक हेल्थ केयर आर्गनाइजेशन बसना महासमुंद	15	15
25.	मां. मंगला पु. बहु. स्वा. कार्य. रायगढ़	60	40
26.	श्री सिद्धि बालाजी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान राजनांदगांव	60	60
27.	श्री राम सेवा सोसायटी रायपुर	40	21
28.	जय मां वीणा पाणि शिक्षण समिति रायपुर	20	18
29.	स्वाती एजुकेशन सोसायटी एम. पी. डब्ल्यू रायपुर	30	30
30.	रत्ना एजुकेशन समिति बिलासपुर	30	27
31.	भारती एजुकेशन सोसायटी धमतरी	55	46
32.	आदेवर चिकित्सा समिति जगदलपुर	60	24
33.	स्व. वेदवती दुबे शिक्षण समिति अंबिकापुर	50	50
34.	सावित्री एजुकेशन एवं इनवायरमेंटल सोसायटी कांकेर	30	25
35.	आदेवर शिक्षण समिति कांकेर	60	60
36.	एकता सृजन सेवा समिति रापुर कृते बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	55	00
37.	लवकुटा एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पत्थलगांव, जिला जापुर.	60	60
38.	चन्द्रा एजुकेशन सोसायटी दुर्ग	60	50

परिशिष्ट “सोलह”

[परिवर्तित अतारांकित प्र न संख्या 17 (क. 1188) के भाग (ख) की जानकारी]

भोश 05 उम्मीदवारों में से 03 उम्मीदवार (1) श्री अमित आनन्द धीर, जिला कबीरधाम (2) श्री पवन आनन्द धीर, जिला कबीरधाम (3) श्री मोहित कुमार साहू, ग्राम नवागांव, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी, का नाम छ. ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जारी ग्राह्यता/मान्यता/समकक्षता पुस्तिका क्रमांक 216 के अनुसार भौक्षणिक अर्हता पूर्ण न करने के कारण पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग के आदेश क्रमांक पुमनि/दुर्ग रेंज/स्था/एम/05-सी/2011 दिनांक 27-1-11 के द्वारा चयन सूची से पृथक किये जाने से आमद नहीं हुआ. अन्य 02 उम्मीदवार (1) श्री संतराम ठाकुर, जिला महासमुंद (2) श्रीमती भारदा यादव, जिला बिलासपुर को आमद हेतु पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा नोटिस जारी किया गया है, परन्तु उपस्थित न होने के कारण आमद नहीं हुआ है.

परिशिष्ट “सत्रह”

[परिवर्तित अतारांकित प्र न संख्या 20 (क. 1234) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

अवधि दिनांक 01-04-2009 से 31-03-2010 एवं 01-04-2010 से 31-01-2011 तक

क्र.	जिला का नाम	अवधि	दर्ज प्रकरणों की संख्या	की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	2009-10 2010-11	2055 2378	चालान पे I चालान पे I
2.	महासमुंद	2009-10 2010-11	180 213	चालान पे I चालान पे I
3.	धमतरी	2009-10 2010-11	483 460	चालान पे I 436 चालान पे I, 24 पु. पेंडिंग
4.	दुर्ग	2009-10 2010-11	404 334	चालान पे I 324 चालान पे I, 10 पु. पेंडिंग
5.	राजनांदगांव	2009-10 2010-11	736 741	चालान पे I 729 चालान पे I, 12 पु. पेंडिंग
6.	कबीरधाम	2009-10 2010-11	482 430	चालान पे I 412 चालान पे I, 18 पु. पेंडिंग
7.	बिलासपुर	2009-10 2010-11	1356 1423	चालान पे I चालान पे I
8.	रायगढ़	2009-10 2010-11	1063 836	1062 चालान पे I, 01 खात्मा 806 चालान पे I, 29 पु. पेंडिंग, 01 खात्मा
9.	जांजगीर चांपा	2009-10 2010-11	946 859	944 चालान पे I, 01 खात्मा, 01 पु. पेंडिंग 835 चालान पे I, 01 खात्मा 23 पु. पेंडिंग
10.	कोरबा	2009-10 2010-11	763 1156	चालान पे I चालान पे I
11.	सरगुजा	2009-10 2010-11	445 365	चालान पे I चालान पे I
12.	ज पुर	2009-10 2010-11	389 366	चालान पे I चालान पे I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	कोरिया	2009-10 2010-11	722 557	चालान पे । चालान पे ।
14.	बलरामपुर	2009-10 2010-11	119 127	चालान पे । 111 चालान पे । 16 पु. पेंडिंग
15.	सुरजपुर	2009-10 2010-11	349 235	चालान पे । 215 चालान पे ।, 20 पु. पेंडिंग
16.	जगदलपुर	2009-10 2010-11	371 375	चालान पे । चालान पे ।
17.	दंतेवाड़ा	2009-10 2010-11	75 74	चालान पे । 61 चालान पे ।, 13 पु. पेंडिंग
18.	कांकेर	2009-10 2010-11	158 271	चालान पे । चालान पे ।
19.	बीजापुर	2009-10 2010-11	40 59	21 चालान पे ।, 19 पु. पेंडिंग 42 चालान पे ।, 17 पु. पेंडिंग
20.	नारायणपुर	2009-10 2010-11	54 48	चालान पे । 41 चालान पे ।, 07 पु. पेंडिंग
21.	रेल रायपुर	2009-10 2010-11	7 8	चालान पे । चालान पे ।
22.	गरियाबंद	2009-10 2010-11	185 153	चालान पे । 145 चालान पे ।, 08 पु. पेंडिंग
कुल		2009-10 2010-11	11382 11468	

प्रपत्र “ब”

28-04-2010 से 04-12-2010 तक उपरोक्त अवधि में गठित स्पेशल स्क्वॉड द्वारा निम्नलिखित जिलों में अवैध भाराब की छापामारी की कार्यवाही की गई है

क. (1)	जिला का नाम (2)
1.	रायपुर
2.	महासमुंद
3.	धमतरी
4.	दुर्ग
5.	राजनांदगांव
6.	बिलासपुर
7.	रायगढ़
8.	जांजगीर-चांपा
9.	कोरबा
10.	सरगुजा
11.	सुरजपुर
12.	जगदलपुर
13.	कांकेर

अतारणिक प्रनोत्तर से संबधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "अट्टारह"

[अतारणिक प्र न संख्या 02 (क. 124) के भाग (क) की जानकारी]

जिलेवार जानकारी (01 अप्रैल 2010 से 31 जनवरी 2011)

क्र.	जिला	अवैध भाराब			जुआ			सट्टा			कबाडियों की दुकान में चोरी का माल			ओखर लोड की कार्यवाही				
		प्रकरण	व्यक्ति	जप्ती (मिली)	कीमती रु.	प्रकरण	व्यक्ति	जप्ती रु.	प्रकरण	व्यक्ति	जप्ती रु.	कीमती रु.	प्रकरण	व्यक्ति	संस भुल्लक रु.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	रायपुर	2378	2412	6391489	2370900	764	3288	3178568	201	222	673902	15	18	1103.53	336095	40	40	454025
2.	महासमुंद	195	196	2219861	354678	131	508	457902	3	5	9505	-	-	-	-	59	59	213600
3.	धमतरी	460	463	1009120	231757	242	913	516679	60	60	85862	-	-	-	-	49	49	119200
4.	दुर्ग	334	364	5507820	1138143	1254	4054	2308319	295	295	176327	2	2	लोहा एवं कबाड़	15200	179	179	455550
5.	राजनंदगांव	741	742	2477835	464624	311	971	1509183	137	137	105604	1	1	लोहा+कबाड़	50000	17	17	79000
6.	कबीरधाम	430	433	867780	157780	241	965	345626	23	23	66646	3	3	843 विं. कबाड़	274100	13	13	285560
7.	बिलासपुर	1423	1434	6136000	939995	624	2461	1523997	108	108	78279	2	2	लोहा के पेटर्स	11650	76	76	508275
8.	सरगुजा	475	475	3648000	429356	225	852	423376	-	-	-	63	63	लोहा+कबाड़	165000	231	231	523400
9.	रायगढ़	836	836	2926850	410405	493	1802	1387862	80	84	131694	6	15	234.58 विं.	568914	60	60	484200
10.	जांजगीर-चांपा	859	861	2136355	388096	510	1911	711201	9	9	37920	3	3	लोहा+कबाड़	1005780	10	10	42086
11.	कोरवा	1156	1156	234839	255910	294	1105	428229	2	2	1560	-	-	-	-	40	40	338200
12.	ज. पुर	366	366	514180	79410	126	396	129883	4	4	1025	-	-	-	-	144	144	96800
13.	कोरिया	397	401	1208200	241682	262	982	533867	46	49	58595	1	1	लोहा+कबाड़	40000	62	62	376490
14.	बलरामपुर	127	127	773380	46697	43	197	46502	-	-	-	-	-	-	-	34	34	93700
15.	सूरजपुर	235	238	167807	145460	186	748	269275	-	-	-	-	-	-	-	77	77	75000
16.	जगदलपुर	371	376	2271000	154776	218	754	131750	23	23	8360	2	2	लोहा+कबाड़	65000	1	1	2200
17.	दत्तेवाड़ा	74	74	445475	62135	33	149	113684	-	-	-	-	-	-	-	15	15	147600
18.	कांकर	271	271	689990	98760	103	416	1324670	36	44	42769	8	8	8 टन कबाड़	1317700	30	30	111527
19.	बीजापुर	59	59	81360	26010	10	45	9731	-	-	-	-	-	-	-	58	58	175100
20.	नारायणपुर	48	48	248180	20775	9	30	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	गरियाबंद	153	156	71500	132730	40	238	19590	15	15	18400	-	-	-	-	3	3	25000
22.	रेल	8	12	103000	17654	13	55	91025	5	5	1990	-	-	-	-	-	-	-
योग		11396	11500	42243578	8167733	6132	22840	15466919	1047	1085	1498438	106	118	-	3849439	1198	1198	4606513

परिशिष्ट “उन्नीस”

[अतारांकित प्र न संख्या 09 (क. 383) के भाग (क) की जानकारी]

**कुरुद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थानों की भीर्षवार जानकारी
अवधि—1 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011 तक**

क्रमांक (1)	अपराध भीर्ष (2)	कुरुद (3)	मगरलोड (4)	भखारा (5)	योग (6)
1.	समस्त प्रकार का मौत (हत्या)	147	68	46	261
2.	हत्या का प्रयास	1	1	1	3
3.	दहेज प्रताड़ना	2	3	0	5
4.	बलात्कार	8	5	3	16
5.	डकैती	0	5	0	5
6.	लूट	2	0	0	2
7.	चोरी	29	35	28	92
महायोग		189	117	78	384

परिशिष्ट "बीस"

[अतारांकित प्र न संख्या 10 (क. 551) की जानकारी]

जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008 तक

क्र.	गांव का नाम	विकासखंड	मरीज का नाम	बीमारी का नाम	दी गई सहायता राशि	दिनांक जब राशि दी गई	चिकित्सालय जिसे चेक के माध्यम से राशि दी गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	पुराना चंदनिया पारा.	नवागढ़	श्री रोहण भुक्ला पिता श्री दुर्गे ा भुक्ला.	हृदय रोग	20000	दिनांक 26-02-2008	बी. वाय. एल. नायर हॉस्पिटल मुंबई.
2.	बुचाहरदी	अकलतरा	गीतालाल सतनामी पिता श्री हिरालाल.	हृदय रोग	120000	दिनांक 07-03-2008	अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर.
3.	अकलतरा	अकलतरा	प्रका ा चन्द्र अग्रवाल पिता श्री बद्रीप्रसाद अग्रवाल.	हृदय रोग	109000	दिनांक 20-10-2008	एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर
4.	अकलतरा	अकलतरा	मो ब गीर पिता श्री हाजीइब्राहिम	रीढ़ के हड्डी	150000	दिनांक 23-10-2008	सी. एम. सी. वेल्लूर.
5.	पोड़ीदल्हा	अकलतरा	श्रीमती सुकृता बाई पति श्री ईंद्रभूशण सिंह.	हृदय रोग	65000	दिनांक 26-12-2008	एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर.

जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009 तक

1.	ढोरला	बलौदा	श्री मनहरण लाल बरेठ पिता श्री मुखी राम बरेठ	हृदय रोग	65000	दिनांक 08-04-2009	एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर.
2.	नालापरसाही	अकलतरा	संतोश गिरी गोस्वामी पिता श्री लोचन गोस्वामी	हृदय रोग	65000	दिनांक 22-12-2009	एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर.
3.	वार्ड 13, अकलतरा	अकलतरा	श्रीमति सुं गीला देवी गुप्ता पतिश्री रामसेवक	हृदय रोग	5000	दिनांक 22-12-2009	एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर.

जनवरी 2010 से दिसम्बर 2010 तक

1.	अमरताल	अकलतरा	श्रीमती सुमित्रा बाई पति श्री कौ ाल कुमार	हृदय रोग	150000	दिनांक 13-01-2010	रामकृष्ण केयर रायपुर.
2.	मुरलीडीह कुंजी	अकलतरा	श्रीमति केसर बाई पति श्री राम विकास गोयल	कैंसर रोग	170000	दिनांक 30-01-2010	अपोलो बी. एस. आर. भिलाई
3.	पिपरसत्ती	अकलतरा	श्रीमती कुमारी बाई पति श्री चंद्रभान सिंह	हृदय रोग	8820	दिनांक 10-03-2010	एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	सिवनी	बलौदा	श्रीमति कुलकीत बाई देवांगन.	हृदय रोग	78250	दिनांक 24-09-2010	एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर.
5.	देवरी	अकलतरा	श्री सेवक राम डहरिया पिता श्री वेदराम डहरिया	हृदय रोग	115000	दिनांक 23-12-2010	एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर.
6.	वाल्मिकी वार्ड 21	नवागढ़	श्रीमति प्रतिमा सिंग पति श्री पलटन सिंग	हृदय रोग	65000	दिनांक 23-12-2010	एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर.
7.	अर्जुनी	अकलतरा	श्रीमति रामकली पति श्री लक्ष्मण प्रसाद	हृदय रोग	65000	दिनांक 23-12-2010	एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर.
8.	पिपरसत्ती	अकलतरा	श्री रूपलाल पिता श्री परदे पी श्रीवास	हृदय रोग	117500	दिनांक 23-12-2010	एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर.

परिशिष्ट “इक्कीस”

[अतारांकित प्र न संख्या 11 (क. 670) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय की जानकारी

(क) की जानकारी

2007-08

क्रमांक (1)	मद (2)	भीर्श (3)	आवंटन (4)	रिमार्क (5)
1.	27-006	अन्य लघु निर्माण	2500000.00	वर्षवार मद की
		योग	2500000.00	जानकारी संलग्न है.
2.	28-003	चिकित्सकीय उपकरण	2500000.00	
		योग	2500000.00	

2008-09

1.	27-006	अन्य लघु निर्माण	2500000.00	
		योग	2500000.00	
2.	28-003	चिकित्सकीय उपकरण	2500000.00	
		योग	2500000.00	

2009-10

1.	27-006	अन्य लघु निर्माण	2500000.00	
		योग	2500000.00	
2.	28-003	चिकित्सकीय उपकरण	2500000.00	
		योग	2500000.00	

2010-11 (31 जनवरी 2011 की स्थिति में)

1.	27-006	अन्य लघु निर्माण	10000000.00	
		योग	10000000.00	
2.	28-003	चिकित्सकीय उपकरण	25000000.00	
		योग	25000000.00	

(ख) की जानकारी—उक्त अवधि में एनएमडीसी द्वारा कुल 40.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे तथा अन्य किसी संस्था द्वारा कोई राशि प्रदाय नहीं की गई है.

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त राशि (करोड़ रु. में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2005-06	10	सावधि खाते में जमा की गई है.
2.	2006-07	10	भास. कोशालय में जमा की गई है.
3.	2007-08	10	सावधि खाते में जमा की गई है.
4.	2008-09	10	
5.	2010-11	0	अंतिम किस्त की राशि भोश है.

प्रपत्र “ब”

(ग) की जानकारी

2007-08

क्रमांक (1)	मद (2)	भीर्ष (3)	आवंटन (4)	व्यय (5)
1.	27-006	अन्य लघु निर्माण	2500000.00	2497100.00
योग			2500000.00	2497100.00
2.	28-003	चिकित्सकीय उपकरण	25000000.00	24927126.00
योग			25000000.00	24927126.00

2008-09

1.	27-006	अन्य लघु निर्माण	2500000.00	2278500.00
योग			2500000.00	2278500.00
2.	28-003	चिकित्सकीय उपकरण	25000000.00	24987496.00
योग			25000000.00	24987496.00

2009-10

1.	27-006	अन्य लघु निर्माण	2500000.00	2114650.00
योग			2500000.00	2114650.00
2.	28-003	चिकित्सकीय उपकरण	25000000.00	5167338.00
योग			25000000.00	5167338.00

2010-11 (31 जनवरी 2011 की स्थिति में)

1.	27-006	अन्य लघु निर्माण	10000000.00	429598.00
योग			10000000.00	429598.00
2.	28-003	चिकित्सकीय उपकरण	25000000.00	64410.00
योग			25000000.00	64410.00

परिष्कृत "बाईस"

[अतारांकित प्र न संख्या 12 (क. 671) के भाग (ख) की जानकारी]

नक्सल प्रभावित जिलों के थाना/चौकियों के लिए स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक (1)	जिला (2)	स्वीकृत (3)	उपलब्ध (4)	रिक्त पद (5)
1.	कांकेर	1137	785	352
2.	जगदलपुर	1464	1195	269
3.	दंतेवाड़ा	1444	880	564
4.	बीजापुर	1140	615	525
5.	नारायणपुर	455	332	123
6.	राजनांदगांव	1377	909	468
7.	सरगुजा	655	377	278
8.	पुलिस जिला बलरामपुर	958	631	327
9.	पुलिस जिला सूरजपुर	889	710	179
10.	ज पुर	574	345	229
11.	कोरिया	510	356	154
12.	पुलिस जिला गरियाबंद	246	98	148
13.	धमतरी	427	275	152
14.	महासमुंद	246	187	59
15.	दुर्ग	1777	1499	278
		13299	9194	4105

नोट :-

- बुनियादी प्रिक्षण अप्राप्त/प्रिक्षण पर होने से 2377 नव आरक्षकों की थाना/चौकी में तैनात नहीं किया गया है, जिसके कारण रिक्तियों की संख्या अधिक है. नव आरक्षकों के प्रिक्षण उपरांत थाना/चौकियों में तैनात की जावेगी
- उपरोक्त आंकड़ों में आंकड़ों के रूप से नक्सल प्रभावित जिलों के नक्सल प्रभावित थानों के अतिरिक्त सामान्य थानों के बल भी शामिल है.

परिशिष्ट “तेईस”
[अतारंकित प्र न संख्या 17 (क. 966) की जानकारी]

क्रमांक (1)	तहसील का नाम (2)	विचाराधीन प्रकरण संख्या (3)
1.	मनोरा	—
2.	ज पुर	—
3.	कुनकुरी	01
4.	फरसाबहार	—
5.	दुलदुला	—
6.	कांसाबेल	03
7.	बगीचा	17
8.	पत्थलगांव	—
योग		21

परिशिष्ट “चौबीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1031) के भाग (क), (ख) एवं (घ) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

स. क्र.	निर्माण कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि
(1)	(2)	(3)

वित्तीय वर्ष 2008-09

1.	ग्राम पहरिया वि. ख. बलौदा में प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	25.39 लाख
2.	ग्राम जर्वे वि.ख. सक्ती में प्राथ. स्वा. केन्द्र भवन निर्माण	25.39 लाख
3.	ग्राम रायपुरा वि. ख. जैजैपुर में प्राथ. स्वा. केन्द्र भवन निर्माण	25.39 लाख
4.	ग्राम कोटमी सोनार वि. ख. में अकलतरा प्राथ. स्वा. केन्द्र भवन निर्माण	25.39 लाख
5.	ग्राम सरसों वि.ख. नवागढ़ में प्राथ. स्वा. केन्द्र भवन निर्माण	25.39 लाख
6.	ग्राम बम्हनीडीह वि. ख. बम्हनीडीह में सामु. स्वा. केन्द्र भवन निर्माण	44.60 लाख
7.	ग्राम नवागढ़ वि. ख. नवागढ़ में सामु. स्वा. केन्द्र भवन निर्माण	44.00 लाख
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण	35.00 लाख
9.	जिला चिकित्सालय जांजगीर में ड्रग स्टोर निर्माण	10.00 लाख
10.	सामु.स्वा. केन्द्र सक्ती में औषधि भंडार गृह निर्माण	7.00 लाख
11.	सामु.स्वा. केन्द्र अकलतरा में औषधि भंडार गृह निर्माण	7.00 लाख
12.	प्राथ.स्वा. केन्द्र केरा में जी एवं एच टाईप में आवासगृह निर्माण	10.00 लाख
13.	प्राथ. स्वा. केन्द्र चन्द्रपुर में जी एवं एच टाईप में आवासगृह निर्माण	10.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2009-10

1.	ग्राम कटनई वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
2.	ग्राम परसाहीनाला वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
3.	ग्राम पोता वि.ख. मालखरौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
4.	ग्राम सकर्रा वि.ख. मालखरौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
5.	ग्राम कुटरा वि.ख. नवागढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
6.	ग्राम केरा वि.ख. नवागढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
7.	ग्राम बरगांव वि.ख. पामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
8.	ग्राम कोसला वि.ख. पामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
9.	ग्राम कुलीपोटा वि.ख. बलौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
10.	ग्राम खिसोरा वि.ख. बलौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
11.	ग्राम गोविंदपुर वि.ख. डभरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
12.	ग्राम परसदाखुर्द वि.ख. सक्ती में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
13.	ग्राम कोटमीसोनार वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
14.	ग्राम किरारी वि.ख. मालखरौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	5.70 लाख
15.	ग्राम सारसकेला वि.ख. मालखरौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	5.70 लाख
16.	ग्राम रसौटा वि.ख. बलौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख

(1)	(2)	(3)
17.	ग्राम पिसौद वि.ख. बलौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
18.	ग्राम बघौद वि.ख. डभरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
19.	ग्राम पामगढ़ वि.ख. पामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
20.	ग्राम तागा वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
21.	ग्राम जेवरा वि.ख. पामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
22.	ग्राम बुंदेला वि.ख. पामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
23.	ग्राम हरदी वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
24.	ग्राम झलमला वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
25.	ग्राम सुकली वि.ख. नवागढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
26.	ग्राम बसंतपुर वि.ख. डभरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
27.	ग्राम तुषार वि.ख. जैजैपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
28.	ग्राम खैरा वि.ख. सक्ती में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
29.	ग्राम हरदी वि.ख. नवागढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	7.50 लाख
30.	ग्राम सलखन वि.ख. नवागढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	27.50 लाख
31.	ग्राम पोरथा वि.ख. सक्ती में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	27.50 लाख
32.	ग्राम देवरी वि.ख. सक्ती में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	27.50 लाख
33.	ग्राम सपोस वि.ख. डभरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	27.50 लाख
34.	ग्राम देवरघटा वि.ख. डभरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	27.50 लाख
35.	ग्राम कोटमी वि.ख. डभरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	27.50 लाख
36.	ग्राम टुण्डी वि.ख. डभरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	27.50 लाख
37.	ग्राम दारंग वि.ख. बम्हनीडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	27.50 लाख

प्रपत्र "ब"

क्र. (1)	निर्माण कार्य जो पूर्ण नहीं हुए हैं (2)	कारण (3)
वित्तीय वर्ष 2008-09		
1.	नवागढ़ वि.ख. नवागढ़ में सामु.स्वा.केन्द्र भवन निर्माण	कार्य प्रगति पर है स्लेब तक जोड़ाई पूर्ण
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण	कार्यालय भवन निर्माण हेतु भवन का माडल नक्शा प्राप्त नहीं हुआ है.
3.	जिला चिकित्सालय जांजगीर में ड्रग स्टोर निर्माण	लो.नि.वि. द्वारा निविदा की कार्यवाही जारी है.
4.	सामु. स्वा. केन्द्र सक्ती में औषधि भंडार गृह निर्माण	लो.नि.वि. द्वारा निविदा की कार्यवाही जारी है.
5.	सामु. स्वा. केन्द्र अकलतरा में औषधि भंडार गृह निर्माण	लो.नि.वि. द्वारा निविदा की कार्यवाही जारी है.
6.	प्राथ. स्वा. केन्द्र केरा में जी एवं एच टाईप में आवासगृह निर्माण	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है.
7.	प्राथ. स्वा. केन्द्र चन्द्रपुर में जी एवं एच टाईप में आवासगृह निर्माण	लो.नि.वि. द्वारा निविदा की कार्यवाही जारी है.
वित्तीय वर्ष 2009-10		
1.	ग्राम कटनई वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
2.	ग्राम परसाहीनाला वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
3.	ग्राम पोता वि.ख. मालखरौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
4.	ग्राम सकर्रा वि.ख. मालखरौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
5.	ग्राम कुटरा वि.ख. नवागढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
6.	ग्राम केरा वि.ख. नवागढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
7.	ग्राम बरगांव वि.ख. पामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
8.	ग्राम कोसला वि.ख. पामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.

(1)	(2)	(3)
9.	ग्राम कुलीपोटा वि.ख. बलौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
10.	ग्राम खिसोरा वि.ख. बलौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
11.	ग्राम गोविंदपुर वि.ख. डभरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
12.	ग्राम परसदाखुर्द वि.ख. सक्ती में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
13.	कोटमीसोनार वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	लो.नि.वि. द्वारा कार्यवाही निविदा स्तर पर.
14.	ग्राम किरारी वि.ख. मालखरौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	भवन निर्माण हेतु जोड़ाई कार्य प्रगति पर है.
15.	ग्राम सारसकेला वि.ख. मालखरौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	लिंटर लेबल तक जोड़ाई पूर्ण कार्य प्रगति पर है.
16.	ग्राम रसौटा वि.ख. बलौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
17.	ग्राम पिसौद वि.ख. बलौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
18.	ग्राम बघौद वि.ख. डभरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
19.	ग्राम पामगढ़ वि.ख. पामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
20.	ग्राम तागा वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
21.	ग्राम जेवरा वि.ख. पामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
22.	ग्राम बुंदेला वि.ख. पामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.

(1)	(2)	(3)
23.	ग्राम हरदी वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
24.	ग्राम झलमला वि.ख. अकलतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
25.	ग्राम सुकली वि.ख. नवागढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	लो.नि.वि. द्वारा कार्यवाही निविदा स्तर पर
26.	ग्राम बसंतपुर वि.ख. डभरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	लो.नि.वि. द्वारा निविदा दिनांक 28-12-2010 को खोला गया है.
27.	ग्राम तुशार वि.ख. जैजैपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	लो.नि.वि. द्वारा कार्यादेश जारी
28.	ग्राम खैरा वि.ख. सक्ती में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	लो.नि.वि. द्वारा निविदा दिनांक 15-12-2011 को खोला गया है.
29.	ग्राम हरदी वि.ख. नवागढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	लो.नि.वि. द्वारा कार्यादेश जारी
30.	ग्राम सलखन वि.ख. नवागढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
31.	ग्राम पोरथा वि.ख. सक्ती में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
32.	ग्राम देवरी वि.ख. सक्ती में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
33.	ग्राम सपोस वि.ख. डभरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
34.	ग्राम देवरघटा वि.ख. डभरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
35.	ग्राम कोटमी वि.ख. डभरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
36.	ग्राम टुण्डी वि.ख. डभरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.
37.	ग्राम दारंग वि.ख. बम्हनीडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य स्थगित रखा गया है.

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1117) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, नकबजनी, जाली नोट, प्रताड़ना की जानकारी

अवधि-1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 एवं 1 अप्रैल 2010 से 31 जनवरी 2011

क्रमांक (1)	अपराध शीर्ष (2)	1 अप्रैल 09 से 31 मार्च 10 तक (3)	1 अप्रैल 2010 से 31-01-2011 तक (4)
1.	हत्या	73	62
4.	बलात्कार	38	45
5.	अपहरण	19	17
6.	डकैती	3	11
8.	लूट	59	41
10.	चोरी	369	297
11.	धोखाधड़ी	54	65
12.	नकबजनी	224	224
14.	जाली नोट	1	4
15.	प्रताड़ना (दहेज)	35	42
योग		875	808

परिशिष्ट “छब्बीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1227) के भाग (ख) की जानकारी]

तहसील—महासमुंद के अंतर्गत वर्षवार विवादित नामांतरण एवं अविवादित नामांतरण के निपटाए गये प्रकरण की स्थिति :—

मद	वर्ष 2008-2009				
	वर्ष के प्रारंभ में शेष प्रकरण संख्या	वर्ष के दौरान दर्ज प्रकरण संख्या	योग	वर्ष के दौरान निपटाए गये प्रकरण संख्या	वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरण संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विवादित नामांतरण	49	180	229	202	27
अविवादित नामांतरण	—	1344	1344	1344	—
योग	49	1524	1573	1546	27

वर्ष 2009-2010

विवादित नामांतरण	27	127	154	129	25
अविवादित नामांतरण	—	783	783	783	—
योग	27	910	937	912	25

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 का योग

विवादित नामांतरण	76	307	383	331	52
अविवादित नामांतरण	—	2127	2127	2127	—
योग	76	2434	2510	2458	52

वर्ष 2010-2011 (दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में)

विवादित नामांतरण	25	59	84	40	44
अविवादित नामांतरण	—	553	553	553	—
योग	25	612	637	593	44

तहसील महासमुंद का योग

वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-2011 (दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में)

विवादित नामांतरण	49	366	415	371	44
अविवादित नामांतरण	—	2680	2680	2680	—
तहसील का योग	49	3046	9095	3051	44

तहसील—बागबाहरा के अंतर्गत वर्षवार विवादित नामांतरण एवं अविवादित नामांतरण के निपटाए गये प्रकरण की स्थिति :—

मद	वर्ष 2008-2009				
	वर्ष के प्रारंभ में शेष प्रकरण संख्या	वर्ष के दौरान दर्ज प्रकरण संख्या	योग	वर्ष के दौरान निपटाए गये प्रकरण संख्या	वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरण संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विवादित नामांतरण	30	142	172	158	14
अविवादित नामांतरण	25	1018	1043	1043	—
योग	55	1260	1215	1201	14

वर्ष 2009-2010					
विवादित नामांतरण	14	73	87	78	09
अविवादित नामांतरण	—	653	653	653	—
योग	14	726	740	731	09

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 का योग					
विवादित नामांतरण	44	215	259	236	23
अविवादित नामांतरण	25	1671	1696	1696	—
योग	69	1886	1955	1932	23

वर्ष 2010-2011 (दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में)					
विवादित नामांतरण	09	65	74	45	29
अविवादित नामांतरण	—	64	64	64	—
योग	09	129	138	109	29

तहसील बागबाहरा का योग					
वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010-2011 (दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में)					
विवादित नामांतरण	30	280	310	281	29
अविवादित नामांतरण	25	1735	1760	1760	—
तहसील का योग	55	2015	2070	2041	29

तहसील—पिथौरा के अंतर्गत वर्षवार विवादित नामांतरण एवं अविवादित नामांतरण के निपटाए गये प्रकरण की स्थिति :—

मद	वर्ष 2008-2009				
	वर्ष के प्रारंभ में शेष प्रकरण संख्या	वर्ष के दौरान दर्ज प्रकरण संख्या	योग	वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण संख्या	वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरण संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विवादित नामांतरण	29	40	69	49	20
अविवादित नामांतरण	—	115	115	115	—
योग	29	155	184	164	20
वर्ष 2009-2010					
विवादित नामांतरण	20	25	45	39	06
अविवादित नामांतरण	—	249	249	249	—
योग	20	274	294	288	06
वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 का योग					
विवादित नामांतरण	49	65	114	88	26
अविवादित नामांतरण	—	364	364	364	—
योग	49	429	478	452	26
वर्ष 2010-2011 (दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में)					
विवादित नामांतरण	06	15	21	14	07
अविवादित नामांतरण	—	196	196	196	—
योग	06	211	217	211	07
तहसील पिथौरा का योग					
वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010-2011 (दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में)					
विवादित नामांतरण	29	80	109	102	07
अविवादित नामांतरण	—	560	560	560	—
तहसील का योग	29	640	669	662	07

तहसील—बसना के अंतर्गत वर्षवार विवादित नामांतरण एवं अविवादित नामांतरण के निपटाए गये प्रकरण की स्थिति :—

मद	वर्ष 2008-2009				
	वर्ष के प्रारंभ में शेष प्रकरण संख्या	वर्ष के दौरान दर्ज प्रकरण संख्या	योग	वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण संख्या	वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरण संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विवादित नामांतरण	22	24	46	34	12
अविवादित नामांतरण	—	278	278	278	—
योग	22	302	324	312	12

वर्ष 2009-2010					
विवादित नामांतरण	12	21	33	28	05
अविवादित नामांतरण	—	325	325	325	—
योग	12	348	358	353	05

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 का योग					
विवादित नामांतरण	34	45	79	62	17
अविवादित नामांतरण	—	603	603	603	—
योग	34	648	682	665	17

वर्ष 2010-2011 (दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में)					
विवादित नामांतरण	05	12	17	09	08
अविवादित नामांतरण	—	86	86	86	—
योग	05	98	103	95	08

तहसील बसना का योग					
वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010-2011 (दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में)					
विवादित नामांतरण	22	57	79	71	08
अविवादित नामांतरण	—	689	689	689	—
तहसील का योग	22	746	768	760	08

तहसील—सरायपाली के अंतर्गत वर्षवार विवादित नामांतरण एवं अविवादित नामांतरण के निपटाए गये प्रकरण की स्थिति :—

वर्ष 2008-2009					
मद	वर्ष के प्रारंभ में शेष प्रकरण संख्या	वर्ष के दौरान दर्ज प्रकरण संख्या	योग	वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण संख्या	वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरण संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विवादित नामांतरण	19	101	120	101	19
अविवादित नामांतरण	—	898	898	898	—
योग	19	999	1018	999	19
वर्ष 2009-2010					
विवादित नामांतरण	19	66	85	73	12
अविवादित नामांतरण	—	134	134	134	—
योग	19	200	219	207	12
वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 का योग					
विवादित नामांतरण	19	167	205	174	31
अविवादित नामांतरण	—	1032	1032	1032	—
योग	38	1199	1237	1206	31
वर्ष 2010-2011 (दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में)					
विवादित नामांतरण	12	32	44	14	30
अविवादित नामांतरण	—	44	44	44	—
योग	12	76	88	58	30
तहसील सरायपाली का योग					
वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010-2011 (दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में)					
विवादित नामांतरण	19	199	218	188	30
अविवादित नामांतरण	—	1076	1076	1076	—
तहसील का योग	19	1275	1294	1264	30
महासमुंद जिला का योग					
वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010-2011 (दिनांक 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में)					
विवादित नामांतरण	149	982	1131	1013	118
अविवादित नामांतरण	25	6740	6765	6765	निरंक
महायोग	174	7722	7896	7778	118

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1228) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक	जिला	परियोजना/विकासखण्ड का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महासमुन्द	महासमुन्द (शहरी)	66
		महासमुन्द (ग्रामीण)	286
		बागबाहरा	293
		पिथौरा	303
		बसना	246
		सरायपाली	285
योग			1479

परिशिष्ट “अट्ठाईस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1285) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	मलेरिया से पीड़ितों की संख्या (3)	मलेरिया से मृत्यु संख्या (4)
1.	राजनांदगांव	3628	08
2.	नारायणपुर	1564	00
3.	बीजापुर	8389	02
4.	कांकेर	8029	00
5.	महासमुंद	496	02
6.	कोरिया	12327	05
7.	जशपुर	15063	00
8.	धमतरी	746	00
9.	कबीरधाम	2234	01
10.	जांजगीर-चांपा	858	07
11.	जगदलपुर	15238	00
12.	कोरबा	15945	02
13.	दंतेवाड़ा	31732	00
14.	बिलासपुर	8405	09
15.	रायगढ़	7903	05
16.	रायपुर	1280	00
17.	दुर्ग	2366	00
18.	सरगुजा	16100	00
योग		152303	41

प्रपत्र "ब"

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	लेब टेक्नीशियन के स्वीकृत पद (3)	लेब टेक्नीशियन के रिक्त पद (4)
1.	राजनांदगांव	40	12
2.	नारायणपुर	09	06
3.	बीजापुर	17	14
4.	कांकेर	36	13
5.	महासमुंद	21	13
6.	कोरिया	34	25
7.	जशपुर	44	31
8.	धमतरी	19	13
9.	कबीरधाम	16	10
10.	जांजगीर-चांपा	41	25
11.	जगदलपुर	58	03
12.	कोरबा	34	20
13.	दंतेवाड़ा	31	22
14.	बिलासपुर	64	31
15.	रायगढ़	60	31
16.	रायपुर	66	41
17.	दुर्ग	69	31
18.	सरगुजा	102	45
योग		761	386

परिशिष्ट “उन्तीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 1327) के भाग (क) की जानकारी]

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी विकासखंडों में दिनांक 04-02-2011 की स्थिति में जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता/सहायिका का पद रिक्त है, उनकी नामवार जानकारी

स. क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्रा. पं./नगरीय निकाय का नाम	ग्राम/वार्ड का नाम	ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त है	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम, जहां आंगनबाड़ी सहायिका का पद रिक्त है	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	छुरिया	बुचाटोला	बुचाटोला	बुचाटोला	एटमेटा	एटमेटा	—
2.	—,,—	तेलीनबांधा	रानीपुर खडकड़ी	रानीपुर खडकड़ी	नयापारा	नयापारा	—
3.	—,,—	घोरतलाव	घोरतलाव	घोरतलाव	नयापारा	नयापारा	—
4.	—,,—	भरीटोला (अं.)	भरीटोला (अं.)	भरीटोला (अं.)	गोड़पारा	गोड़पारा	—
5.	—,,—	भरीटोला (अं.)	भरीटोला (अं.)	भरीटोला (अं.)	छोटेटोला	छोटेटोला	—
6.	—,,—	गोपालपुर	गोपालपुर	गोपालपुर	नयापारा	नयापारा	—
7.	—,,—	खोबा	खोबा	खोबा	बजारटोला	बजारटोला	—
8.	—,,—	जोब	मरकाकसा	मरकाकसा	आदिवासीपारा	आदिवासीपारा	—
9.	—,,—	बरबसपुर	सम्बलपुर	सम्बलपुर	देवालापारा	देवालापारा	—
10.	—,,—	गोडलवाही	गोडलवाही	गोडलवाही	गोडवाही	गोडवाही	—
11.	—,,—	गिदरी	गिदरी	गिदरी	नयापारा	नयापारा	—
12.	—,,—	साल्हे	मनहोरा	मनहोरा	सलहईटोला	सलहईटोला	—
13.	—,,—	बड़गांव	बड़गांव	बड़गांव	तरीयापारा	तरीयापारा	—
14.	—,,—	रतनभाठ	रतनभाठ	रतनभाठ	आदिवासीपारा	आदिवासीपारा	—
15.	—,,—	कलडबरी	कलडबरी	कलडबरी	आवासपारा	आवासपारा	—
16.	—,,—	घोंगरे	घोंगरे	घोंगरे	डिपरापारा	डिपरापारा	—
17.	—,,—	लालूटोला	बापूटोला	बापूटोला	स्कूलपारा	स्कूलपारा	—
18.	—,,—	भंडारपुर	भंडारपुर	भंडारपुर	कुकरीटोला	कुकरीटोला	—
19.	—,,—	हालेकोसा	हालेकोसा	हालेकोसा	हालेकोसा	हालेकोसा	—
20.	—,,—	हालेकोसा	हालेकोसा	हालेकोसा	कोईयाटोला	कोईयाटोला	—
21.	—,,—	पिनकापार	पिनकापार	पिनकापार	आदिवासीपारा	आदिवासीपारा	—
22.	—,,—	पिनकापार	मासूलजोब	मासूलजोब	मासूलजोब	मासूलजोब	—
23.	—,,—	धरमूटोला	कोरटोला	कोरटोला	कोरगुड़ाटोला	कोरगुड़ाटोला	—
24.	—,,—	बोईरडीह	तेंदूटोला	तेंदूटोला	नयापारा	नयापारा	—
25.	—,,—	शिकारीमहका	शिकारीमहका	शिकारीमहका	गोटीयाटोला	गोटीयाटोला	—
26.	—,,—	शिकारीमहका	शिकारीमहका	शिकारीमहका	गोड़टोला	गोड़टोला	—
27.	—,,—	शिकारीमहका	जरहामहका	जरहामहका	साहूपारा	साहूपारा	—
28.	—,,—	पूरामटोला	किरगाहाटोला	किरगाहाटोला	नीचेपारा	नीचेपारा	—
29.	—,,—	पाड़ेटोला	पाड़ेटोला	पाड़ेटोला	गोड़टोला	गोड़टोला	—
30.	—,,—	बीटाल	तेलगान	तेलगान	भरकापारा	भरकापारा	—
31.	—,,—	भंडारीभरदा	मुचेदण्ड	मुचेदण्ड	आवासपारा	आवासपारा	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32.	छुरिया	भंडारीभरदा	भंडारीभरदा	भंडारीभरदा	आदिवासीपारा	आदिवासीपारा	—
33.	—,,—	खुर्शिटिकुल	खुर्शिटिकुल	खुर्शिटिकुल	नयापारा	नयापारा	—
34.	—,,—	आतरगांव	आतरगांव	आतरगांव	पटेलपारा	पटेलपारा	—
35.	—,,—	लक्ष्मणभरदा	तुमड़ीलेवा	तुमड़ीलेवा	तेलीपारा	तेलीपारा	—
36.	—,,—	लक्ष्मणभरदा	लक्ष्मणभरदा	लक्ष्मणभरदा	सिदारपारा	सिदारपारा	—
37.	—,,—	सागर	सागर	सागर	बड़ेपारा	बड़ेपारा	—
38.	—,,—	मुंजालकला	नरेठीटोला	नरेठीटोला	जगदीसनगर	जगदीसनगर	—
39.	—,,—	मुंजालकला	लोटमेटा	लोटमेटा	गौराचौक	गौराचौक	—
40.	—,,—	गैंदाटोला	गैंदाटोला	गैंदाटोला	खोदरापारा	खोदरापारा	—
41.	—,,—	मेटेपार	मेटेपार	मेटेपार	खेदरापारा	खेदरापारा	—
42.	—,,—	कुहीकला	कुहीकलाखुर्द	कुहीकलाखुर्द	गौराचौक	गौराचौक	—
43.	—,,—	बैरागीभेड़ी	बैरागीभेड़ी	बैरागीभेड़ी	बैरागीभेड़ी	—	—
44.	—,,—	नागरकोहरा	कल्लूटोला	कल्लूटोला	कल्लूटोला	—	—
45.	—,,—	आमगांव (कु.)	आमगांव (कु.)	आमगांव (कु.)	आमगांव (कु.)	आमगांव (कु.)	—
46.	—,,—	छुरिया	छुरिया	छुरिया	चन्देनीडीह	चन्देनीडीह	—
47.	—,,—	छुरिया	छुरिया	छुरिया	नयापारा	नयापारा	—
48.	—,,—	छुरिया	छुरिया	छुरिया	पहाड़ीपारा	पहाड़ीपारा	—
49.	—,,—	छुरिया	छुरिया	छुरिया	सीताबड़ी	सीताबड़ी	—
50.	—,,—	छुरिया	छुरिया	छुरिया	धोबीपारा	धोबीपारा	—
51.	—,,—	भरीटोला (अं.)	पैरीटोला	पैरीटोला	—	आदिवासीपारा	—
52.	—,,—	जोधरा	जोधरा	जोधरा	—	तरीयापारा	—
53.	—,,—	आयबांधा	तुरेंगढ़	तुरेंगढ़	—	सिदारपारा	—
54.	—,,—	बन नवागांव	बन नवागांव	बन नवागांव	—	बीचपारा	—
55.	—,,—	महरूम	महरूम	महरूम	—	बड़ेपारा	—
56.	—,,—	महरूम	पतौरा	पतौरा	—	आदिवासीपारा	—
57.	—,,—	आमगांव (छु.)	गेरूघांट	गेरूघांट	—	गेरूघांट	—
58.	—,,—	बीटाल	बीटाल	बीटाल	—	भाठापारा	—
59.	—,,—	गुपसालधु (छु.)	गुपसालधु (छु.)	गुपसालधु (छु.)	—	छोटेटोला	—
60.	—,,—	कुमरदा	कुमरदा	कुमरदा	—	पटेलपारा	—
61.	—,,—	धनगांव	धनगांव	धनगांव	—	उपरपारा	—
62.	—,,—	आलीवारा	आलीवारा	आलीवारा	—	फगडूटोला	—
63.	—,,—	बेलरगोंदी	बेलरगोंदी	बेलरगोंदी	—	आवासपारा	—
64.	—,,—	पेण्ड्रीडीह	पेण्ड्रीडीह	पेण्ड्रीडीह	—	पेण्ड्रीडीह	—
65.	—,,—	झाड़ीखैरी	झाड़ीखैरी	झाड़ीखैरी	—	—	आवासपारा
66.	—,,—	झाड़ीखैरी	बेगाड़ी	बेगाड़ी	—	—	नयाटोला
67.	—,,—	तेलीनबांधा	तेलीनबांधा	तेलीनबांधा	—	—	आवासपारा
68.	—,,—	गोपालपुर	भेजराटोला	भेजराटोला	—	—	आवासपारा
69.	—,,—	जोब	कटेंगाटोला	कटेंगाटोला	—	—	आदिवासीपारा
70.	—,,—	जोब	जोब	जोब	—	—	गोटाटोला
71.	—,,—	कल्लूबंजारी	कल्लूबंजारी	कल्लूबंजारी	—	—	बसस्टैंडपारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
72.	छुरिया	सीताकंसा (उ.)	सीताकंसा (उ.)	सीताकंसा (उ.)	—	—	भांटापारा
73.	—,,—	उमरवारी	उमरवारी	उमरवारी	—	—	परेवाडीहरोड
74.	—,,—	गुण्डरदेही	कांपा	कांपा	—	—	पटेलपारा
75.	—,,—	चिखलकसा	चिखलकसा	चिखलकसा	—	—	मरकाकसा
76.	—,,—	बड़गांव	परेवाडीह	परेवाडीह	—	—	आदिवासीपारा
77.	—,,—	महरूम	पतौरा	पतौरा	—	—	नयाआवास
78.	—,,—	रानामटिया	रानामटिया	रानामटिया	—	—	बाधपारा
79.	—,,—	रानामटिया	करमरी	करमरी	—	—	आवासपारा
80.	—,,—	नागरकोहरा	नागरकोहरा	नागरकोहरा	—	—	तलाबपारा
81.	—,,—	लालमेटा	लालमेटा	लालमेटा	—	—	रोडपारा
82.	—,,—	धरमूटोला	कल्लूटोला	कल्लूटोला	—	—	आवासपारा
83.	—,,—	नदियाखुर्द	नदियाखुर्द	नदियाखुर्द	—	—	नयापारा
84.	—,,—	पूरामटोला	पूरामटोला	पूरामटोला	—	—	सड़कपारा
85.	—,,—	पदगुड़ा	खुर्सीपार	खुर्सीपार	—	—	तरीयापारा
86.	—,,—	बैरगीभेड़ी	बैरगीभेड़ी	बैरगीभेड़ी	—	—	भाठापारा
87.	—,,—	बैरगीभेड़ी	दिवानटोला	दिवानटोला	—	—	आवासपारा
88.	—,,—	चिरचारीखुर्द	चिरचारीखुर्द	चिरचारीखुर्द	—	—	आदिवासीपारा
89.	—,,—	चिरचारीखुर्द	सोमाझिटिया	सोमाझिटिया	—	—	डिपरापारा
90.	—,,—	चांदो	चांदो	चांदो	—	—	नयापारा
91.	—,,—	घुपसाल (क.)	मालीचुवा	मालीचुवा	—	—	मालीचुवां
92.	—,,—	सागर	बीजेपार	बीजेपार	—	—	सिदारपारा
93.	—,,—	मुंजालकला	मुंजालकला	मुंजालकला	—	—	गौराचौक
94.	—,,—	नांदिया	कुल्हाड़ी	कुल्हाड़ी	—	—	उपरपारा
95.	—,,—	आलीवारा	खपसभांट	खपसभांट	—	—	आवासपारा
96.	—,,—	पठानढड़गी	पठानढड़गी	पठानढड़गी	—	—	नवापारा
97.	—,,—	कुहीकला	कुहीकला	कुहीकला	—	—	आवासपारा
98.	—,,—	कुलीहालमती	कुलीयारी	कुलीयारी	—	—	घूटकिरिपारा
99.	—,,—	फाफामार	लूलीकसा	लूलीकसा	—	—	नूनहाटोला
100.	—,,—	गरांपार	गरांपार	गरांपार	—	—	भाठापारा
101.	—,,—	छुरिया	छुरिया	छुरिया	—	—	गुजरातीपारा
102.	अंबागढ़ चौकी	रेंगाकठेरा	रेंगाकठेरा	रेंगाकठेरा	मुख्यबस्ती रेंगाकठेरा	—	—
103.	—,,—	केतकीटोला	हाथीकन्हार	हाथीकन्हार	चापाटोला हाथीकन्हार	—	—
104.	—,,—	तीरपेमेटा	हज्जूटोला	हज्जूटोला	आवासपारा हज्जूटोला	—	—
105.	—,,—	सांगली	सिरमुंडा	सिरमुंडा	—	सिरमुंडा	—